पाषाणों में फूल खिले

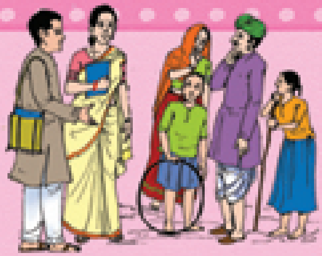

PRAYATN

पाषाणों में फूल खिले

बाल अधिकार संरक्षण पर
सामुदायिक प्रयासों का संग्रह

संयुक्त प्रयास

PRAYATN

Save the Children

संस्करणः 2011

प्रकाशनः
प्रयत्न, 68/337, प्रताप नगर,
सांगानेर-302033, जयपुर, राजस्थान, भारत
फोनः- 0141-2792919
ई-मेलः malay@prayatn.org, prayatnraj@yahoo.com
वेब पताः http://www.prayatn.org

लेखनः
रामखिलाड़ी, संदीप सिंह, देवेन्द्र पाल सिंह, राम प्रसाद जांगिड़

सम्पादनः
योगेश जैन, अशरफ आलम, पदमा भट्ट

मार्गदर्शनः-
मनीष सिंह गौड़, मलय कुमार

प्रकाशकः-
श्री श्याम प्रिंट्र्स, जयपुर, राजस्थान

आर्थिक सहयोगः-

Save the Children

OFFICIAL DEVELOPMENT AID FROM THE MINISTRY FOR FOREIGN AFFAIRS
FINLAND

नोटः- इस पुस्तिका में प्रस्तुत विवरण अलग अलग गाँवों से है और उनमें इस्तेमाल किये नाम काल्पनिक है जिनका किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से कोई संबंध नही है। इस पुस्तिका में वर्णित कहानियाँ सिर्फ मुद्दे पर कार्य करने हेतु लोगों को अलग-अलग तरीके बताने का एक प्रयास मात्र है।

आभार

राजस्थान खनिजों की खान है। जो खनिज इस राज्य में प्रचुरता से पाए जाते हैं उनमें अलौह खनिज जैसे सीसा, जस्ता व ताँबा तथा लौह खनिज जैसे टंगस्टन तथा अन्य औद्योगिक खनिज शामिल हैं। इन खनिजों के राष्ट्रीय उत्पादन का 70 प्रतिशत से अधिक हिस्सा राजस्थान की खानों में होता है। रोज़गार की दृष्टि से राज्य में खनन कृषि के बाद सबसे बड़ा नियोक्ता क्षेत्र है। लेकिन इसी क्षेत्र का एक काला पक्ष भी है और वह है इस क्षेत्र का असंगठित होना और इसमें बाल श्रम की व्यापकता। राजस्थान में लगभग 95 प्रतिशत खनन असंगठित क्षेत्र में होता है तथा इसमें लगभग 15 प्रतिशत कार्यबल बच्चों का होता है। महिलाओं की भागीदारी इस कार्यबल में लगभग 37 प्रतिशत है।

धौलपुर औद्योगिक रूप से एक अत्यंत पिछड़ा जिला है। यह मुख्य रूप से कृषि पर निर्भर है और केवल कुछ ही कुटीर उद्योग यहाँ अस्तित्व में हैं। निर्माण में काम आने वाले पत्थर का उत्खनन ही ऐसे में इस जिले का एक मात्र उद्योग है जिसमें बड़ी संख्या में लोगों को रोज़गार मिलता है। इन उत्खनन क्षेत्रों में सभी आयुवर्ग के काफी बच्चे रहते हैं और वे इससे जुड़े विभिन्न कार्यों में बाल श्रमिक के रूप में शामिल होते हैं। उत्खनन प्रक्रियाओं में श्रम बच्चों और बड़ों दोनों के लिए जोखिम भरा होता है। विस्फोट जैसी खतरनाक प्रक्रियाएँ तो यहाँ होतीं ही हैं, साथ–ही–साथ, यहाँ भारी उपकरणों का उपयोग भी होता है जो कई बार खतरनाक साबित होता है। इसके साथ ही काम की विषम परिस्थितियाँ जैसे स्वच्छ पेयजल की अनुपलब्धता, भीषण गर्मी, देर तक काम, रात में भी काम, आदि, तथा रोज़गार का मौसमी स्वरूप इनके लिए कष्टदायक एवं हानिकारक साबित होते हैं।

प्रयत्न ने इन बच्चों के साथ लगभग एक दशक के अनुभव के दौरान जाना है कि इन्हें उत्खनन संबंधी उन कार्यों व प्रक्रियाओं में लगाया जाता है जिनमें अधिक शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं होती। बच्चे लगभग 12 वर्ष की आयु से इस कार्य में लग जाते हैं। वे लगभग पूरे साल काम करते हैं और कई बार उन्हें आठ से भी ज़्यादा घँटों तक काम करना

पड़ता है। उत्खनन एवं संबंधित गतिविधियों में बाल श्रम को समुदाय द्वारा धन कमाने के आसान ज़रिये व रोज़गार हेतु प्रशिक्षण के रूप में देखा जाता है। पर इसी दौरान माता, पिता या दोनों की असामयिक मृत्यु उन विषमताओं के दुर्दांत स्तर की ओर इंगित करती है जिनके कारण बच्चों को इस क्षेत्र में प्रवेश करना पड़ता है।

प्रयत्न का बच्चों के लिए इस क्षेत्र में प्रयास बाल अधिकार क्रमादेशन (प्रोग्रामिंग) पर आधारित रहा है। संस्था ने 2006 में इन बच्चों के साथ काम की औपचारिक शुरूआत एक परियोजना के रूप में की और इसमें इसे सहयोग मिला सेव द चिल्ड्रन (पहले सेव द चिल्ड्रन, फिनलैण्ड, और बाद में सेव द चिल्ड्रन, बाल रक्षा भारत) का। शुरूआती दौर में यह कार्य बच्चों के चारों अधिकार – जीवन जीने, विकास, सुरक्षा व भागीदारी – पर समान रूप से केन्द्रित था पर बाद में स्थानीय परिस्थितियों को देखते हुए इसे समावेशी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं बाल सुरक्षा पर अधिक केन्द्रित किया गया। इसमें कार्यकत्ताओं के स्वयं के प्रयासों व सेव द चिल्ड्रन तथा विभिन्न संदर्भ व्यक्तियों से सीखने का पर्याप्त अवसर उपलब्ध हुआ। जो प्रयास जागरूकता फैलाने से शुरु हुआ था वह बाल सुरक्षा के बाल विवाह, बाल श्रम, बाल उत्पीड़न व बाल हिंसा जैसे कठोर मुद्दों पर अंकुश लगाने के लिए समुदाय आधारित व्यवस्थाओं के निर्माण तक पहुँच सका।

इस प्रयत्न को सफल बनाने में जो सहयोग हमें समाज के विभिन्न अंगों से प्राप्त हुआ है उसके लिए हम सभी के आभारी हैं। विशेष रूप से हम धन्यवाद देना चाहते हैं बच्चों का जिनके लिए और जिनके साथ यह प्रयत्न चला और समुदाय के उन लोगों का जिनके सहयोग के बिना बाल अधिकारों की सुनिश्चितता संभव नहीं थी। हम धन्यवाद ज्ञापित करना चाहते हैं उन शिक्षकों, आँगनवाड़ी कार्यकत्ताओं, आशा सहयोगिनियों, जन–प्रतिनिधियों व पुलिस जैसे स्थानीय सेवा प्रदाताओं व विभिन्न सरकारी विभागों के आला अफसरों, अन्य संस्थाओं व मीडिया का जिन्होंने प्रक्रिया में प्रशंसनीय सहभागिता निभाई।

इस अवसर का लाभ हम फिनलैण्ड सरकार और उसके विदेश मंत्रालय तथा सेव द चिल्ड्रन फिनलैण्ड का आभार व्यक्त करने के लिए भी उठाना चाहेंगे, जिन्होंने इस पूरे प्रयास को वित्तीय,

तकनीकी सहयोग एवं मार्गदर्शन प्रदान किया। सेव द चिल्ड्रन के भारत में तत्कालीन राष्ट्रीय निदेशक श्री पारूल सोनी, जो वर्त्तमान में अर्नेस्ट एंड यंग प्रा. लि. के कार्यकारी निदेशक हैं, का कुशल नेतृत्व मुश्किल परिस्थितयों में भी परियोजना को सही दिशा व गति देने में अचूक रहा। उनका नियमित मार्गदर्शन परियोजना को सही समय पर सही दिशा देता रहा। कार्यक्रम के सफल संचालन हेतु एवं समय समय पर उसमें नये आयाम जोड़ने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई श्री मुकेश लट्ठ, वरिष्ठ कार्यक्रम प्रबन्धक, सेव द चिल्ड्रन, फिनलैण्ड ने, संस्था इनका तहे दिल से आभार मानती है। कार्यक्रम प्रबंधक श्री राजीव नागपाल (जो वर्त्तमान प्लान इंडिया में क्षेत्रीय प्रबंधक के रूप में कार्यरत हैं) का योगदान इस कार्यक्रम की सफलता बढ़ाने और कार्यकर्त्ताओं का मनोबल बढ़ाए रखने में अत्यंत महत्वपूर्ण रहा। हम इनका हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। परियोजना में नीतु जी (कार्यक्रम प्रबंधक, सेव द चिल्ड्रन, पटना) का जुड़ाव एवं योगदान काबिले तारीफ है जिन्होने अपने कुशल नेतृत्व से परियोजना को ना सिर्फ नई दिशाएँ दी बल्कि अंजाम तक भी पहुँचाया, हम उनका हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं।

कार्यकर्त्ता किसी भी परियोजना की रीढ़ की हड्डी होते हैं। परियोजना में प्रयत्न के साथ कुछ ऐसे कार्यकर्त्ता जुड़े जिन्होंने इस कथन को चरितार्थ कर दिखाया। यहाँ विशेष उल्लेख करना चाहते हैं हमारे पूर्व साथीगण श्री एनेम प्रवीन, सुश्री वीणा पंचोली, सुश्री भारती वर्मा, सुश्री राखी शर्मा व सुश्री ममता कुशवाहा तथा अब तक साथ निभा रहे श्री रामखिलाड़ी पोसवाल, श्री संदीप सिंह व श्री देवेन्द्र पाल सिंह का जिन्होंने इस कोशिश की मज़बूत आधारशिला रखने और फिर इसे बाल अधिकार संरक्षण के एक प्रेरणादायी आदर्श के रूप में विकसित करने में अविस्मरणीय भूमिका निभाई। इन सभी का हार्दिक आभार और साथ ही आप सभी पाठ्कों को हार्दिक अभिनंदन!

मलय कुमार
मुख्य कार्यकारी

प्रयत्न का यत्न

वर्ष 1989 में हुए संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार सम्मेलन में बाल सहभागिता को बच्चों के मूल अधिकार के रूप में स्वीकारा गया है। बच्चों का यह अधिकार है कि उनसे संबंधित निर्णयों में उनकी बात सुनी और समझी जाए, उनकी जानकारियों तक पहुँच हो और आस्था तथा संघ की स्वतंत्रता हो। इसके साथ ही यह भी कहा गया कि बाल अधिकारों की देखभाल बड़ों द्वारा उनकी उम्र और बढ़ती हुई क्षमताओं को देखते हुए की जाए। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रयत्न द्वारा सेव द चिल्ड्रन, फिनलैण्ड, और सेव द चिल्ड्रन, बाल रक्षा भारत के सहयोग से एक परियोजना की शुरूआत की गई जिसका उद्देश्य समावेशी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं बाल संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए समुदाय आधारित व्यवस्थाओं का विकास करना था। यह परियोजना भारत के राजस्थान राज्य के धौलपुर जिले में स्थित 90 गाँवों में क्रियान्वित की गई थी।

अधिकार आधारित एवं आवश्यकता आधारित कार्यप्रणालियाँः-

अधिकार आधारित कार्यप्रणाली वृहद् स्तर पर उपयोगी होती है जबकि आवश्यकता आधारित कार्यप्रणाली का प्रभाव समुदाय स्तर तक ही सीमित रहता है। अधिकार आधारित कार्यप्रणाली का फायदा यह होता है कि इसके अंतर्गत कर्त्तव्य-वाहकों, यानि वे व्यक्ति या संस्थान जो अधिकार धारकों के प्रति उत्तरदायी हैं, की पहचान की जा सकती है। इसी के साथ ही विभिन्न हितधारकों की इस प्रक्रिया में भूमिका को समझते हुए संवैधानिक गुंजाइशों को सुगम कर अधिकार-धारकों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाया जा सकता है।

बाल सहभागिता

बाल सहभागिता को परिभाषित किया गया है बच्चों के जीवन को प्रभावित करने वाले निर्णयों व मुद्दों में उनकी सक्रिय, सार्थक और समावेशी भागीदारी के रूप में। इसके बेहतर तरीके

शुरू होते हैं उनको ध्यानपूर्वक सुनने से, बजाय इसके, कि सहभागिता की पूर्व–नियोजित तकनीकें शब्दशः लागू कर दी जाएँ। यह एक निरंतर प्रक्रिया है जिसकी शुरूआत आदर्श रूप में हो यह ज़रूरी नहीं। बच्चे इसके लिए धीरे–धीरे तैयार होते हैं। बच्चों और बड़ों के बीच बाल अधिकार संबंधित मुद्दों पर संवाद इसकी सफलता की पहली सीढ़ी है। बाल सहभागिता को बाल–केन्द्रित सामुदायिक विकास प्रक्रिया की सफलता के लिए आवश्यक माना गया है।

प्रयत्न ने बाल सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए अपने कार्य की शुरूआत गाँव स्तर पर बाल मंच के गठन से की। बाल मंच 25 से 50 बच्चों की खुली सदस्यता वाला एक मंच है जिसकी नियमित बैठकों के दौरान बच्चे उन समस्याओं के बारे में चर्चा करते हैं जिनका वे घर में, स्कूल में या गाँव में सामना करते हैं। यहाँ वे अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं और एक–दूसरे का सहयोग भी करते हैं। इसके साथ ही वे अपनी पिछली प्रगति की समीक्षा करते हैं और आगे की कार्यवाही तय करते हैं। इसी के साथ मंच उनको मनोरंजन तथा व्यक्तित्व विकास का अवसर भी देता है। इसके लिए उनका समय–समय पर क्षमतावर्द्धन किया जाता है। शुरू में बैठक की यह प्रक्रिया संस्था कार्यकर्त्ता द्वारा सुगम की जाती है उसके बाद उभरते हुए बाल–नेता इसे संभालते हैं। इनमें से कुछ में तो, बिना किसी इरादे के, संस्थागत ढाँचा उभरकर आया है जिसमें कुछ बच्चों को पद धारक बनाया गया है और उनकी भूमिका भी निर्धारित की गई है।

बाल मंचों ने अपने गाँवों और विद्यालयों में बाल–सुलभ वातावरण बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बहुत से मामलों में उन्होंने अपने साथियों की समस्याओं का समाधान भी करवाया है। लेकिन इन सबके दौरान इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है कि बच्चों के अधिकार सुनिश्चित करने के लिए वे अपना बचपना छोड़ बड़ों की भूमिका निभाने की ओर प्रेरित न हों। इस तरह की व्यवस्था विकसित की गई है कि बच्चे अपनी समस्याएँ बड़ों के सामने रखें और बड़े उन समस्याओं के समाधान हेतु पहल करें।

बच्चों द्वारा सूचक विकास

इस प्रयास के आरंभ में प्रयत्न के सभी साथियों का बाल आधारित स्थिति विश्लेषण पर एक प्रशिक्षण किया गया, जिसके अंतर्गत स्थिति को बच्चों की आँखों से समझने पर ज़ोर देते हुए इसका सही तरीका समझाया गया। अन्य अनुभवों से पता लगा कि इस प्रक्रिया को बच्चों द्वारा सूचक विकास की प्रक्रिया कहा जाता है। बच्चों के साथ मिलकर कार्यकर्त्ताओं ने फिर आधारभूत मूल्यांकन के लिए सूचकों की सूची बनाई जिसमें बाल अधिकार, बाल उत्पीड़न, शोषण एवं विद्यालय वातावरण संबंधी सूचक शामिल थे। बाल मंच सदस्यों ने इस संबंध में जानकारी एकत्र की और प्रत्येक सूचक का 0 से 10 के माप पर प्राथमिकता क्रम निर्धारित किया। समय-समय पर इसी आधार पर बच्चों द्वारा ही पुनर्मूल्यांकन भी किया गया ताकि वातावरण में बदलाव की समीक्षा की जा सके। कुछ नए सूचक भी इस समीक्षा की प्रक्रिया के दौरान तय हुए। बच्चों द्वारा तय की गई प्राथमिकता के आधार पर ही आगे की कार्यवाही तय की गई।

बाल अधिकार मंच

बाल अधिकार मंच गाँव के बड़ों का मंच है। यह गाँव में बच्चों के अधिकार सुनिश्चित करने और बाल मित्र वातावरण बनाने के लिए समुदाय आधारित संस्थान के रूप में कार्य करता है। इसमें 15-20 सकारात्मक विचारधारा वाली महिलाएँ एवं पुरूष शामिल होते हैं। इसमें समय-समय पर विभिन्न तरीकों से मानविक एवं संस्थागत क्षमता विकास हेतु इनपुट दिए गए हैं जिसकी वजह से यह एक ग्राम स्तरीय प्रतिनिधि निकाय के रूप में उभर कर सामने आ रहा है। इसने विकास के वृहद् मुद्दों जैसे बिजली, सड़क व पानी को भी अपने काम के दायरे में लेना शुरू कर दिया है। अपनी सवंर्द्धित क्षमताओं की वजह से बाल अधिकार मंच सदस्य ग्राम स्तरीय विकास समितियों में जगह बनाकर बाल विकास संबंधी कार्यक्रमों के बेहतर क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने में कामयाब हुए हैं। मंच द्वारा समुदाय आधारित व्यवस्थाओं एवं तंत्रों का भी निर्धारण किया गया है जिसमें बच्चों के अधिकार प्रोत्साहित एवं

सुरक्षित हो सकें। इन्होंने पंचायती राज संस्थाओं से भी समन्वय स्थापित किया है ताकि बच्चों के मुद्दों को सेवा प्रदान करने के लिए उत्तरदायी विभागों तक पहुँचाया जा सके।

बाल अधिकार मंच व बाल मंच में समन्वय पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। चाहे मुद्दा बाल विवाह का हो या घरेलू हिंसा का, शारीरिक दंड का हो या बच्चों के विद्यालय छोड़ने का या फिर बाल श्रम जैसा मुद्दा हो, बच्चे इसे बाल अधिकार मंच के सामने लाते हैं और बाल अधिकार मंच इसे परिवार या अन्य स्तरों तक ले जाता है।

सामुदायिक नियम

बाल अधिकार मंच ने बच्चों के अधिकारों के संरक्षण की दिशा में एक कदम और बढ़ते हुए सामुदायिक नियम भी तय किये हैं। इनसे बाल अधिकारों के उल्लघंन को रोकने में काफी मदद मिल रही है। कुछ गाँवों में इस संबंध में होने वाले खर्चे को संस्थागत रूप से वहन करने की दृष्टि से सदस्यों ने ग्राम कोष की स्थापना भी की है। जो नियम बनाए गए हैं वे कुछ इस प्रकार हैंः–

1. यह सुनिश्चित करना कि सभी बच्चे व बड़े बाल अधिकारों की अच्छी तरह समझ बना लें
2. गाँव की कार्यवाही में बच्चों के हितों को सर्वोपरि मानें
3. बच्चों का विद्यालय जाने का अधिकार प्रोत्साहित हो
4. किसी भी तरह के बाल अधिकारों के उल्लघंन को स्वीकार नहीं किया जाए
5. शराब व जुआ बंदकर बच्चों को किसी भी प्रकार के उत्पीड़न से बचाएँ
6. बच्चों की आवाज़ पर ध्यान दें
7. अन्य लोगों, सरकारी संस्थानों व गैर–सरकारी संस्थाओं के साथ तालमेल बनाएँ ताकि बच्चों को आवश्यक सेवाओं तक पहुँचने में मदद मिले।

***

विषय-सूची

1.	चिल्ली-फ्री...	1
2.	जुए पर भारी कॉपियाँ...	5
3.	नई किरण...	9
4.	मील का पत्थर...	12
5.	विकास की राह...	15
6.	बदलाव की आहट...	18
7.	खाने की खुशबू...	21
8.	स्कूल ड्रेस...	24
9.	पिएगें नहीं... पढ़ाएगें...	27
10.	'ब' से बकरी... 'प' से पढ़ाई...	31
11.	लालाराम जी मुस्कुराए...	34
12.	आगे आएं... लाभ उठाएं...	37
13.	भटके को राह...	39
14.	समधी जी मान गए...	42
15.	लेके हाथों में हाथ...	46
16.	दीप जला, फैला उजियारा...	49
17.	कँचे...	53
18.	जहाँ चाह वहाँ राह...	56
19.	हमको मन की शक्ति देना...	59
20.	वापसी...	62

21. ग्राम कोष... 65
22. जब जागो तभी सवेरा... 69
23. आधा ज्ञान - पूरा नुकसान... 72
24. संगठ्न में शक्ति है... 75
25. यह हक है मेहरबानी नहीं... 78
26. बदलाव का रंग... 82
27. लड़की लड़का एक समान... 86
28. शराब... कभी नहीं... 90
29. पास–फेल का खेल... 94
30. हृदय परिवर्तन... 98
31. फाटक पुराण... 101
32. कोई मिल गया... 104
33. जलधारा... 107

***

1: चिल्ली-फ्री...

शाम होने को आ रही थी। अँधेरा होने को था। घरों में चूल्हे जल चुके थे। लोग काम पर से लौट रहे थे। कुछ लौट चुके थे। अचानक पातीराम के घर से जोर जोर से रोने-चिल्लाने की आवाज आई। किसी अनहोनी की आशंका से जिसने भी रोने व चिल्लाने की आवाज सुनी वही पातीराम के घर की तरफ चल पड़ा। देखते-ही-देखते पातीराम के घर पर भीड़ इकट्ठा हो गई। थोड़ी ही देर में माज़रा समझ में आ गया। आज पातीराम कुछ ज़्यादा ही शराब पीकर आया था और आते ही पत्नी व बच्चों के साथ गाली-गलौच एवं मार-पीट शुरू कर दी थी। यद्यपि वह स्वयं भी होश में नहीं था। गिर-पड़ रहा था। कुछ लोग तमाशा देख-सुन कर जा चुके थे। कुछ लोग बाहर खड़े-खड़े इस स्थिति पर बात कर रहे थे। पातीराम के घर में पत्नी के अलावा तीन बच्चे थे जिनमें एक बच्चा व एक बच्ची स्थानीय विद्यालय में पढ़ रहे थे। पातीराम का शराब पीना तो रोज की बात थी पर आज तो हद ही हो गई। घर आने पर जैसे ही पत्नी व बच्चों ने टोका वह सीधा मारपीट पर उतर आया और घर में कोहराम मच गया। गाँव में शराबखोरी के बढ़ते प्रचलन के कारण ऐसे दृश्य आम हो चले थे।

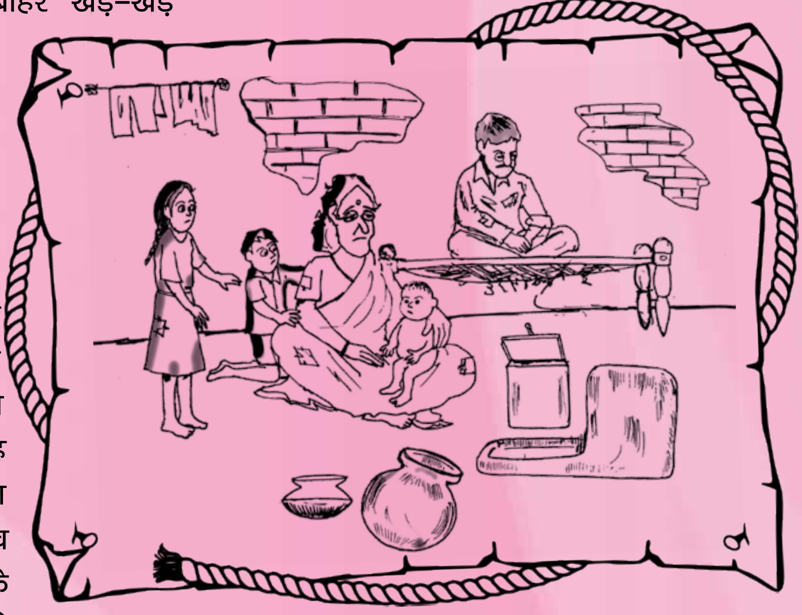

महिलाएँ एवं युवतियाँ तो शाम होने के बाद घर से भी नहीं निकलतीं थीं। डर था कि पता नहीं कब कोई पियक्कड़ मिल जाए और राह चलते बेइज़्ज़ती का सामना करना पड़े क्योंकि पीकर आने के बाद गाली–गलौच, छेड़खानी इत्यादी आम बात थी। यह केवल पातीराम के घर की ही बात नहीं थी। अमूमन हर घर को इन स्थितियों का सामना करना पड़ रहा था। बच्चों की पिटाई बिना कारण रोज़ का काम था। बच्चों की पढ़ाई भी बन्द हो रही थी क्योंकि कमाने वाले की कमाई शराब में जा रही थी और रोटी के लिए महिला या बच्चे को भी काम करने की ज़रूरत पड़ रही थी। मिल्कन गाँव जिला मुख्यालय धौलपुर से 14 कि.मी. दूर है। गाँव में 88 परिवार हैं जिनमें से 86 परिवार कुशवाहा जाति से हैं तथा दो परिवार अन्य जातियों से हैं।

मिल्कन में खेती बहुत ही सीमित होती है। सभी परिवार पत्थर खनन में मज़दूरी करते है। पड़ौस के 6 गाँव खोर का पुरा, नकटपुरा, मसूदपुर, भूतपुरा, सीसे का पुरा तथा रामनगर भी इसी तरह की स्थिति में हैं तथा न्यूनाधिक रुप से मिल्कन गाँव जैसी समस्याओं से ग्रस्त हैं।

प्रयत्न ने 2006 में इस क्षेत्र में बाल–अधिकारों की सुरक्षा के उद्देश्य से काम करना शुरू किया था। 3 साल की प्रक्रियाओं, जागृति, जानकारी, संगठ्न निर्माण व क्षमता–विकास के माध्यम से मिल्कन ने अपनी जरूरतों को पहचाना। बच्चों की शिक्षा, सुरक्षा के साथ–साथ गाँव के विकास में आ रही बाधाओं को भी रेखांकित किया। शराब सेवन सब समस्याओं की जड़ लगी। सब चाह रहे थे कि यह बुराई खत्म हो। रणनीति बनी। कुछ दबी ज़ुबान से सहमत थे। कुछ ने विरोध भी किया, ‘‘हम क्यों इस झगड़े में पड़ें? पीने वाला अपने पैसे से पीता है, नुकसान अगर हो रहा है तो वह स्वयं भुगतेगा।’’

गाँव के संगठनने शराबखोरी के नुकसान बताने तथा विरोध जताने के लिए एक रैली का आयोजन गाँव में किया, जिसमें बच्चे व महिलायें ज़्यादा थी। हाथ में शराब विरोधी व नुकसान की तख्तियाँ थीं तथा बन्द करने के नारे लगे थे। सबको लग रहा था कि शराब

जीवन को चील–कौओं की तरह नोंच–नोंच कर खा जाती है।

शराब बन्द करने का ज्ञापन जिलाधीश धौलपुर को दिया गया लेकिन सीमित लोग ही थे। आबकारी विभाग को भी लिखित में दिया गया क्योंकि शराब बिक्री अवैध तरीके से हो रही थी। 15 लोग जो इससे जुड़े थे, गिरफ्तार किए गए लेकिन दो दिन बाद ही छोड़ दिए गए। वापस आकर शिकायतकर्त्ताओं को धमकाने लगे। दोबारा जिलाधीश को शिकायत की, संबंधित विभाग को भी लिखा, कुछ समय के लिए शराब का बिकना बंद भी हुआ, लेकिन वापस चोरी–छिपे शुरू हो गया। अब तक शराब के नुकसानों को लोग समझ चुके थे, हिम्मत भी आ गई थी एवं आंशिक प्रभाव भी देख चुके थे।

शराब बनाने वाले व बेचने वालो के मददगारों द्वारा गाँव में महिलाओं व युवतियों के साथ दुर्व्यवहार भी किया गया लेकिन लोगों ने हिम्मत नहीं हारी। गाँव में शराब के कारण हुई 9 मौतों का विश्लेषण किया गया कि यह आदत समुदाय में किस तरह के हालात बना रही है। संस्था साथियों को भी दुर्व्यवहार एवं धमकियों का सामना करना पड़ा। इसका असर पड़ौसी गाँवों में भी हुआ क्योंकि इस समस्या से सभी लोग त्रस्त थे। खोर पुरा, नकटपुरा, मसूदपुर, भूतपुरा, सीसे का पुरा और रामनगर के लोग भी इस मुद्दे पर मिल्कन के साथ हो गये थे। सरकार से समाधान के साथ लोगों ने खुद भी तय किया कि उन्हें भी कुछ करना पड़ेगा। गाँवों के लोग इकट्ठे हुए, सबने मिलकर इस समस्या के नियंत्रण हेतु कुछ नियम तय किए :–

1. अगर कोई शराब बनाता है तो उस पर जुर्माना होगा।
2. शराब बेचने वाले पर 2100/– रू. का जुर्माना किया जाएगा।
3. शराब खरीदने व पीने वाले पर 1100/– रू. जुर्माना किया जाएगा।
4. बाहर गाँव से पीकर आने वाले पर भी 1100/– रु. का जुर्माना किया जाएगा।
5. सूचना देने वाले को 500/– रू. का इनाम दिया जाएगा।
6. जुर्माना नहीं देने पर सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा।

समस्या पर काबू पाने पर सब खुश थे। अचानक एक दिन एक व्यक्ति (ठाकुरदास) ने शराब बनाकर बेची। लोग इकट्ठा हुए। ठाकुरदास को बुलाया। उसने गलती तो स्वीकार की लेकिन जुर्माना देने से इन्कार कर दिया। ठाकुरदास एवं पीने वालों ने लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया। इस बार सब लोगों ने चंदा भी इकट्ठा किया क्योंकि ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करनी पड़ेगी, खर्च भी होगा। ठाकुरदास के खिलाफ पुलिस में (एफ.आई.आर.) शिकायत दर्ज कर समुदाय के निर्णय की प्रतिलिपि भी लगाई, साथ ही उस व्यक्ति का सामाजिक बहिष्कार भी किया।

इस बार ठाकुरदास अकेला था, पुलिस ने गिरफ्तार कर 3 दिन के लिए हवालात में बन्द कर दिया। कुछ रिश्तेदार समुदाय के संगठ्न में आये तथा क्षमा माँगते हुए कार्यवाही को आगे न बढ़ाने की प्रार्थना की और ठाकुरदास दोबारा गलती नहीं दोहराएगा, इसकी ज़िम्मेदारी लेते हुए सामाजिक बहिष्कार न करने का आग्रह किया। सभी लोगों ने रिश्तेदारों की प्रार्थना पर ठाकुरदास को प्रथम बार में रियायत देते हुए सभी को आगाह किया कि भविष्य में अगर निर्णय को न मानते हुये गलती करेगा तो कोई रियायत नहीं बरती जाएगी बल्कि समाज का दण्ड व सरकार की कार्यवाही को झेलना पड़ेगा।

मिल्कन व अन्य छः गाँव आज शराब मुक्त हैं। महिलाओं और बच्चों को प्रताड़ना से राहत है और परिवारों तथा गाँव में शांति का माहौल है। अनावश्यक खर्चा रुकने से बचत हो रही है और इस तरह परिवारों की आर्थिक स्थिति भी सुधर रही है। बच्चों की पढ़ाई में अब पैसा आड़े नहीं आ रहा। मिल्कन गाँव की इस अनोखी ‘‘व्यवस्था’’ से दूसरे गाँव भी सीख रहे हैं।

***

2: जुए पर भारी कॉपियाँ...

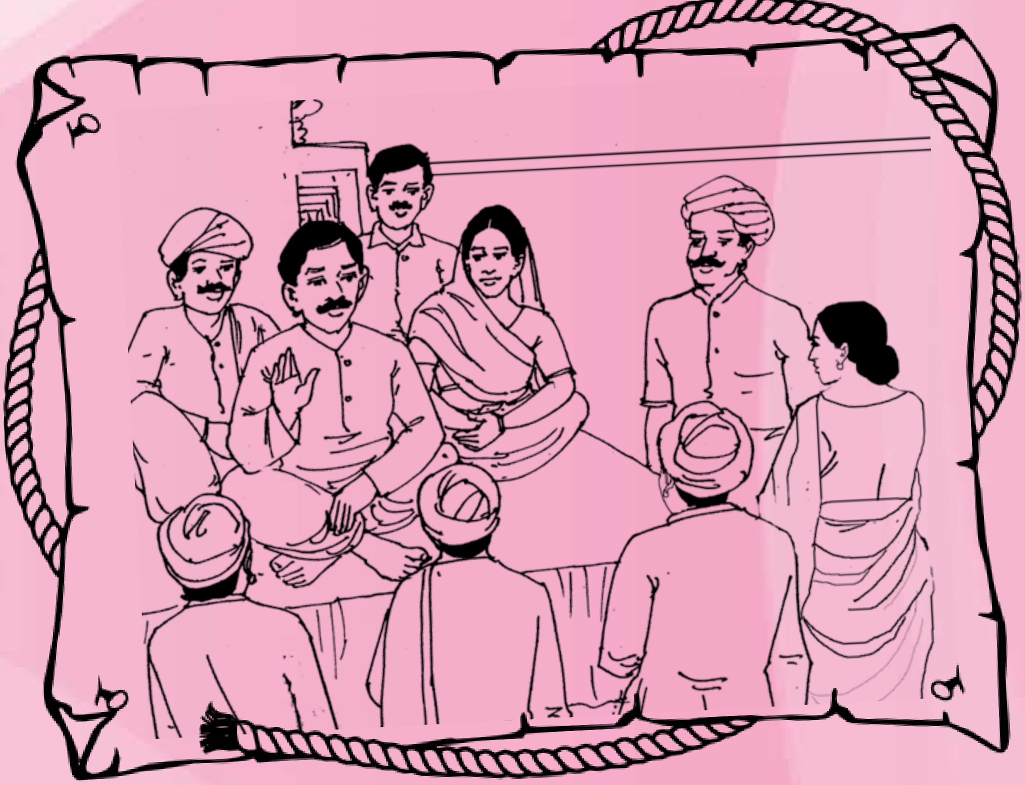

राम नरेश काम पर जाने को तैयार था। वह पत्थर की खान में मज़दूरी करता है। दोपहर की रोटी बाँधते समय राम नरेश की पत्नी सरोज ने कहा, ''आज कुछ घर का ज़रूरी सामान तथा बच्चों के लिए कुछ कॉपियाँ लेकर आना हैं।'' आज पगार का दिन था।

शाम को रामनरेश घर लौटा, आँखें लाल थीं। सरोज समझदार थी। आते ही चाय-पानी के बाद सामान व बच्चों की कॉपियों के लिये पूछा। ''नहीं ला सका'' रामनरेश ने जवाब दिया। ''कोई बात नहीं पैसे मुझे दे दो, कल मैं ले आऊँगी।'' इतने में बच्चे भी बाहर से घर आ गए। बच्चे खुश थे कि आज तो उनके लिए नई कॉपियाँ आ गई होंगी। आते ही रणबीर (रामनरेश का बड़ा बेटा) ने कॉपियों के लिए पिता से पूछ लिया।

पर यह क्या? जैसे ही बच्चे ने कॉपी के लिए पूछा, रामनरेश ने उसके थप्पड़ मार दिया। पत्नी ने रोका तो उसको भी गाली-गलौच करते हुए एक तरफ किया और पिटाई शुरू कर दी। आवाज़ सुन कर कुछ लोग घर में आए, दोनों को शांत किया। बात पूछी। सामने आया कि रामनरेश को आज जो पगार के पैसे मिले थे उन्हें वह जुए में हार गया था और जो कुछ बचे थे वह उनकी शराब पी गया।

यह किस्सा है गाँव रहरई का जो धौलपुर जिले की बसेड़ी पंचायत समिति का एक पंचायत मुख्यालय है। गाँव बसेड़ी से 39 कि.मी. दूर पहाड़ी क्षेत्र में ऊँचे पर बसा है। गाँव में 100 से अधिक परिवार हैं जो जाटव एवं मीणा समुदाय के हैं। जाटवों का यहाँ बाहुल्य है। खेती नाम मात्र की है। सभी की रोज़ी-रोटी पत्थर खनन में मज़दूरी से चलती है। जुआ-सट्टा खेलना, शराब पीना आम बात है। यह लत बच्चे भी सीख जाते हैं। पैसों के जुगाड़ के लिए वे भी खान-मज़दूरी की तरफ रुख कर लेते हैं। घर में कलह और मार-पीट तथा परिवार की ज़रूरतों की भी पूर्ति न होना सामान्य बात है। बच्चों का विकास, बच्चों के अधिकार, बच्चों का भविष्य आदि शब्द बेमानी से लगते हैं। यही जीवनचर्या है रहरई तथा इसके आस-पास के गाँवो की।

गाँव में सूक्ष्म स्तरीय नियोजन का आयोजन किया गया। इसके लिए बाल अधिकार मंच की बैठक हुई। गाँव के अन्य लोग भी मौजूद थे। अन्य बड़ी समस्याओं के साथ जुआ एवं शराब मुख्य समस्या के रूप में उभर कर आए जो बच्चों, परिवारों एवं गाँव तथा उसके विकास को दुष्प्रभावित कर रहे थे।

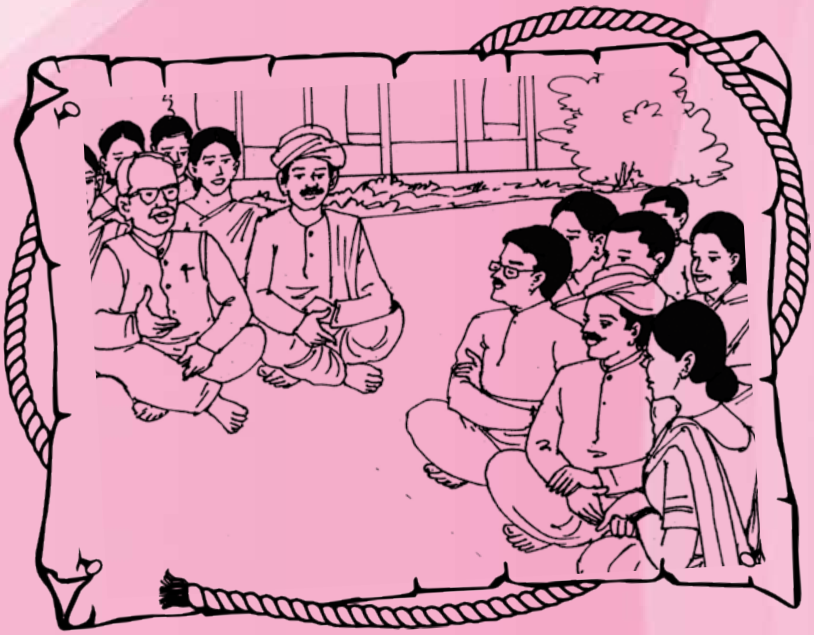

चर्चा हुई। विश्लेषण हुआ। नुकसानप्रद आदतों पर रोक लगाने की ज़रूरत महसूस हुई। विकल्प ढूँढे। एक-दूसरे पर दोषारोपण भी हुआ। बैठक के दौरान कई बार आस में झगड़ा होते-होते बचा। जुआ खेलने वालों की शिकायत करना एक विकल्प था। दूसरे विकल्पों पर भी चर्चा हुई। राय बनी कि पहली कोशिश ग्राम स्तर पर तथा सामाजिक स्तर पर की जानी चाहिए। सुझाव आया कि 25 लोग जो हर मौहल्ले, समुदाय, महिलाओं व बच्चों का प्रतिनिधित्व करें, उनको ज़िम्मेदारी दी जाए कि वे स्थानीय स्तर पर इन बुराइयों पर रोक लगाने के लिए नियम बनायें तथा पूरा गाँव उन नियमों पर अमल करेगा। कुछ लोगों ने टोका, पुनर्विचार कर लें, गाँव अपना है नियम भी अपने ही है, उल्लंघन पर नई समस्याएँ गाँव में ना आए। सब सहमत थे जो भी नियम बनायेंगे सब मानेंगे। 25 लोगों से कहा गया कि आप सब मिलकर नियम तय करें। कल शाम को पूरे गाँव की वापस बैठक होगी, उसमें सबको नियमावली से अवगत कराएँगे।

दूसरे दिन गाँव की बैठक आयोजित हुई। पूरा ही गाँव इकठ्ठा था क्योंकि पहले ही यह कह दिया गया था कि कल कोई भी अनुपस्थित नहीं रहेगा।

कमेटी ने नियम प्रस्ततु किए :

1. गाँव का कोई भी व्यक्ति जुआ-सट्टा नहीं खेलेगा, न गाँव में और न ही गाँव के बाहर।
2. अगर कोई जुआ-सट्टा खेलेगा तो उस पर रु. 1100 का जुर्माना होगा।
3. जुर्माने की राशि गाँव के कोष में जमा होगी।
4. ऐसी जमा होने वाली राशि का उपयोग गाँव के विकास के कामों में किया जाएगा।
5. जुर्माना राशि न भरने वाले का समाज एवं गाँव से बहिष्कार किया जाएगा।
6. जुआ-सट्टा की जानकारी देने वाले को रु. 250 का इनाम दिया जाएगा।

नियमावली पर 25 लोगों ने हस्ताक्षर किए। सबको सुनाया तथा समझाया गया। सबकी सहमति ली गई। कुछ ने विरोध भी किया पर गाँव के लोगों ने नहीं माना और कहा कि यह गाँव के भले के लिए है, इसका विरोध करने वाले भी दण्ड के भागी होंगे।

जब समाज खुद नियम बना ले और उसे लागू करने की ठान ले तो उसका उल्लंघन करना किसी के लिए आसान नहीं होता। रहरई आज जुआ-सट्टा से मुक्त है। सब इस मुक्ति से राहत भी महसूस कर रहे हैं और फायदा भी। बचत होने लगी है और परिवारों की मूलभूत ज़रूरतों के लिए समय पर पैसे उपलब्ध होने लगे है। महिलाओं तथा बच्चों पर अब हिंसा नहीं होती। अब गाँव वाले अन्य बुराइयों पर नियंत्रण हेतु भी ऐसी ही व्यवस्था बनाने का सोच रहे है। आस-पास के गाँवों में भी चर्चा हो रही है। जुए पर “जरूरतें” भारी पड़ रही है।

***

3: नई किरण...

सामोती पिछले कई दिनों से चिंतित एवं उदास दिख रही थी। चिंता थी दो बेटियों की शादी की। सामोती खान मज़दूर कल्ला कुशवाहा की पत्नी असमय विधवा हुई थी। बाल विवाह बच्चों के हित में नहीं है और यह कानूनन अपराध भी है। शायद इस बात को जानते हुए भी घर की आर्थिक स्थिति एवं सामाजिक रीति-रिवाजों के चलते उसने निर्णय लिया कि वह दोनों बेटियों की शादी एक साथ करेगी। उसकी एक बेटी 18 वर्ष पूरे कर चुकी थी, दूसरी बेटी अभी केवल 14 वर्ष की थी। सामोती के इस निर्णय को परिवार के अन्य लोग जो रिश्ते में नज़दीक थे, देवर, जेठ, आदि, वे भी जानते थे तथा निकटतम पड़ौसियों को भी पता था। शादी की तारीख भी पक्की हो चुकी थी। सामोती की चिंता यथावत थी।

यह बात बाल मंच के बच्चों तक भी पहुँच चुकी थी और आपस में चर्चा का विषय बन गई थी। वर्ष 2006 से गाँव में बाल सुरक्षा का माहौल था। इस हेतु बच्चों का बाल मंच तथा बड़ों का बाल अधिकार मंच निरंतर चिंतन-मनन करते रहते हैं। बच्चों ने अपने मंच (बाल मंच) में इस विषय पर चर्चा की तथा तय किया कि सामोती की छोटी बेटी का विवाह ना हो इसके लिए बाल अधिकार मंच की बैठक में जाकर बात करेंगे।

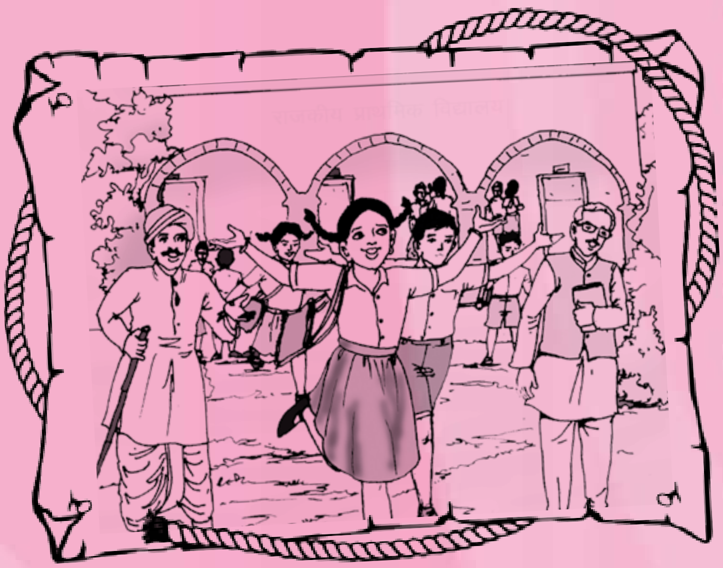

यह कहानी है गाँव रीछरी की जो जिला मुख्यालय धौलपुर से करीब 46 कि.मी. तथा ब्लाक मुख्यालय से करीब 16 कि.मी. दूर चिलाचौंद पंचायत का गाँव है। गाँव में राजपूत, कुशवाहा तथा ब्राह्मण समुदाय के कुल 64 परिवार हैं। सभी की आजीविका का मुख्य साधन कृषि व खनन मज़दूरी है। आज बाल अधिकार मंच की बैठक में बाल मंच के सदस्य भी थे। अन्य विषयों के अलावा सामोती की बेटियों की शादी भी चर्चा का विषय बनी हुई थी। इस बात पर सहमति बनी कि छोटी बेटी की शादी को रोकना होगा क्योंकि यह गैर-कानूनी है। दो लोगों को नियुक्त किया कि वे सामोती से इस विषय पर चर्चा करें और छोटी बेटी की शादी अभी न करे; इसके लिए समझाइश करें।

दोनों सदस्यों ने सामोती से बात की। बात सही थी वह अपनी दोनों बेटियों की शादी एक साथ तय कर चुकी थी और इसका कारण भी सामोती ने अपने घर की आर्थिक स्थिति को बताया। ''कंवारी लड़की को घर में नहीं रखा जा सकता, हाथ तो पीले करने ही हैं। मैं इस स्थिति में नही हूँ कि दो लड़कियों की अलग-अलग बार में शादी करूँ।''

स्थिति सोचनीय थी। एक तरफ सामोती की आर्थिक समस्या तथा दूसरी तरफ बाल अधिकारों का हनन। आखिर सामोती को छोटी बेटी की शादी रोकने का आग्रह किया गया तथा स्थिति के समाधान के विकल्पों पर जल्दी ही चर्चा कर रास्ता निकालने का आश्वासन देकर दोनों सदस्य लौट आए।

बाल अधिकार मंच की बैठक आयोजित की। इस विषय पर विचार-विमर्श हुआ और तय किया कि -

1. सामोती की छोटी बेटी की शादी को रोकना है,
2. सामोती की आर्थिक स्थिति व बेटी के विवाह के लिए विकल्प ढूंढना है।

संस्था साथी ने विधवा-महिला की बेटी की शादी हेतु सरकारी आर्थिक मदद के प्रावधान एवं उसकी प्रक्रिया की पूरी जानकारी बाल अधिकार मंच को दी। मंच ने दो सदस्यों को यह

जिम्मेदारी दी कि वे संस्था साथी की मदद से आवश्यक प्रक्रियाएँ सामोती से पूरी करवाएँ तथा उचित समय पर (शादी से पूर्व) सरकारी आर्थिक मदद सामोती को दिलवाएँ। इसके साथ यह भी शर्त है कि वह अभी केवल बड़ी लड़की, जिसकी उम्र 18 वर्ष है, उसकी ही शादी करेगी। नियम भी यही है कि सरकारी आर्थिक मदद केवल विधवा महिला को बालिग लड़की की शादी के लिए ही मिलती है।

दोनों ज़िम्मेदार सदस्यों ने मनोयोग से सक्रियता दिखाई। इसके लिए मंच ने आपस में कुछ चंदा भी इकट्ठा किया ताकि दोनों सदस्यों को बाड़ी-धौलपुर आने-जाने में परेशानी का सामना ना करना पड़े।

आखिर लोगों की मेहनत व संकल्प का नतीजा यह हुआ कि विधवा सामोती की बड़ी लड़की की शादी के लिए सरकारी अनुदान से 20,000 रु. स्वीकृत हुए। दोनों ही मंचों (बाल अधिकार मंच व बाल मंच) के सदस्यों तथा गाँव के लोगों में खुशी थी। आखिर ऐसी समस्याओं के लिए एक नया रास्ता मिल गया था जो बाल विवाह पर रोक के लिए कारगार है। सामोती की बड़ी बेटी की शादी धूमधाम से हुई। समुदाय के सभी लोगों ने उत्साह से भाग लिया। सामोती की बेटी को अपनी ही बेटी मानकर विदा किया। सामोती अब खुश थी। बड़ी बेटी की शादी अच्छे से हो गई थी और छोटी बेटी की शादी में भी अनुदान मिल जाएगा यह पता चल चुका था। उसने तय कर लिया कि वह अपनी छोटी बेटी की पढ़ाई पूरी कराएगी, फिर ही उसकी शादी करेगी।

छोटी बेटी भी खुश है। उसका स्कूल जाना जारी है। बाल मंच में भी आती है, खेलती-कूदती है और नई-नई बातें सीखती हैं। बाल अधिकार क्या होते हैं यह उसकी समझ में आने लगा है। उसे पता है कि उसकी शादी अब उसकी पढ़ाई पूरी होने से पहले नहीं होगी। माँ के साथ-साथ उसे भी अपने जीवन में उजाले की नई किरण दिखाई देने लगी है।

***

4: मील का पत्थर...

सियाराम के घर में खुशी का माहौल था। उसका व उसके बड़े भाई की शादी का दिन नज़दीक आ रहा था। घर की साफ-सफाई, रंग-रोगन इत्यादि हो रहे थे। पूरा परिवार शादी की तैयारी के काम में जुटा था। सुबह-शाम संगीत हो रहा था। शादी के रस्म-रिवाज़ चल रहे थे। परिवार इस बात से बेखबर था कि सियाराम की उम्र अभी शादी के योग्य नहीं है। उसकी शादी उसके बड़े भाई के साथ की जा रही थी।

यह हो रहा था ग्राम निसोरे का पुरा में जो जिला मुख्यालय धौलपुर से 10 कि.मी. की दूरी पर स्थित है यह धौलपुर-भरतपुर मार्ग पर पँचगाँव पंचायत का गाँव है। गाँव में कुशवाहा तथा ब्राह्मण जाति के लोग हैं। जनसंख्या 500 के लगभग है। जीविकोपार्जन का साधन कृषि व खनन मज़दूरी है।

बाल मंच की बैठक आयोजित हो रही थी। सभी बाल मंच के सदस्य बच्चे इकट्ठे थे। राकेश (सियाराम के ताऊ का लड़का) ने बैठक में बात रखी कि उसके परिवार में चचेरे भाई की शादी हो रही है और साथ ही उसके छोटे भाई सियाराम की शादी भी कर रहे हैं जो उम्र में काफी छोटा है और शादी के लायक नहीं है। बैठक में इस बात पर चर्चा हुई, निर्णय लिया गया कि वे सब सियाराम के घर जाएँगे, परिवार वालों से बात करेंगे और सियाराम की शादी को रोकेंगे।

बच्चों ने यही किया, सब सियाराम के घर पहुँचे। परिवार के लिए इतने बच्चों का इकट्ठा होना कौतूहल का विषय था। सबने सोचा सियाराम के साथ खेलने, गप-शप करने आए होंगे। लेकिन यह क्या! बच्चे तो सियाराम की शादी नहीं करने की बात कर रहे थे? किसी ने उनकी बात को गम्भीरता से नहीं लिया। गुड़ से मीठा मुँह कर वापस भाग जाने के लिए कह दिया। सोचा कि बच्चे हैं ऐसे ही हो हल्ला करते हैं, किसी ने कह दिया होगा। लेकिन बच्चे तो सियाराम की शादी रोकने के लिए अड़े थे। आखिर परिवार के लोगों ने कह दिया,

''जाओ तुम्हें जो करना है करो, शादी तो होगी।''

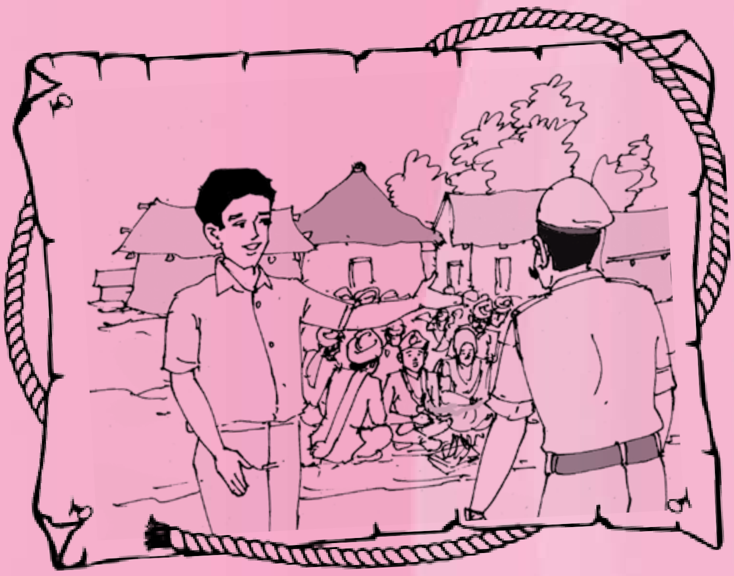

बच्चों ने नारे लगाना शुरू कर दिया, ''बाल विवाह बन्द करो, बाल विवाह बन्द करो!'' यह भी कहा, ''हमारी बात मान लो वरना हम आगे शिकायत करेंगे।''

बच्चे चले गए। इसके बावजूद भी परिवार ने विशेष कुछ नहीं सोचा यद्यपि बच्चे जिलाधीश तथा पुलिस तक जाने की बात कह कर गये थे। दूसरे दिन बच्चों ने वापस बैठक की। बैठक में प्रयत्न संस्था के साथी भी उपस्थित थे इसलिए उनकी भी मदद बच्चों ने ली। एक प्रार्थना पत्र उप-अधीक्षक पुलिस, धौलपुर, के नाम से तैयार किया गया जिसमें परिवार के मुखिया का नाम, नाबालिग बच्चे (सियाराम) का नाम व उम्र लिखी तथा उसकी शादी रोकने में कानूनी मदद माँगी गई। प्रार्थना पत्र पर बाल मंच के सदस्य बच्चों व गाँव के अन्य बच्चों ने भी हस्ताक्षर किए। 10 बच्चों को पत्र पुलिस तक पहुँचाने तथा प्रतिलिपि जिलाधीश कार्यालय पहुँचाने की ज़िम्मेदारी दी गई।

दूसरे दिन दसों बच्चे जिलाधीश कार्यालय पहुँचे। पत्र उप-अधीक्षक पुलिस महोदय को दिया। प्रतिलिपि जिलाधीश कार्यालय में दी। उप-अधीक्षक पुलिस ने बच्चों को सुना; बातें कीं। ज़िम्मेदारीपूर्ण प्रक्रिया देखी तो अच्छा लगा था। उप-अधीक्षक पुलिस महोदय ने बच्चों को आश्वस्त कर तुरन्त कार्यवाही करने की बात कही।

दूसरे दिन गाँव मे पुलिस पहुँची। गाँव के लोग व सियाराम के परिवार के लोग भौचक्के होकर देखते रह गए। पुलिस ने परिवार को सियाराम की शादी न करने की हिदायत देते हुए पाबंद किया। परिवार मान चुका था कि शादी नहीं करेंगे।

बच्चे माहौल देखकर थोड़ा सहम गए। डर था कि पुलिस के जाने के बाद सियाराम के परिवार के लोग या अन्य लोग उन्हें पुलिस को बताने के लिए डाँटेंगे या पिटाई कर देंगे। आखिर पुलिस के सामने ही बच्चों ने हिम्मत करके अपना डर भी प्रकट कर दिया। पुलिस ने सभी गाँव के लोगों को इस बाबत भी हिदायत दी कि वे बच्चों को डराएँ, धमकाएँ या पीटें नहीं।

बच्चे खुश हो गए। उनको लग रहा था कि जैसे उन्होंने एक जंग जीत ली हो। उन्होंने लगभग ऐलान ही कर दिया, ‘‘हम अब अपने अधिकारों को जान गए हैं। यदि आगे भी गाँव में कोई बच्चों के अधिकारों के आड़े आएगा तो हम उसकी शिकायत बड़े अधिकारियों और पुलिस को कर देंगे। कोई भी हमें हल्का न ले।’’ सियाराम ने भी ऐसे में शादी करने की बजाय स्कूल जाने की अपनी इच्छा ज़ाहिर कर दी।

गाँववालों ने जब यह देखा–सुना तो सभी आश्चर्यचकित हुए। बच्चों की हिम्मत और जागरूकता की उन्होंने दबी ज़ुबान से तारीफ की। सबको समझ में आ गया कि गाँव में अब बाल विवाह करना आसान नहीं होगा। भलाई बच्चों की बात मानने में ही है।

निसोरे का पुरा में अब बाल विवाह होने बंद हो गए हैं। बच्चों के अधिकारों के बारे में गाँव में जागरूकता फैलने लगी है। बच्चों की यह पहल उनके अधिकार सुनिश्चित करने में मील का पत्थर साबित हो रही है।

***

5: विकास की राह...

महेश आज 11 से 12:30 बजे तक कक्षा से गायब था। वापस आने पर अध्यापक जी नाराज़ हुए व गायब रहने का कारण पूछा। महेश ने बताया, ''मुझे पानी पीना था। विद्यालय के नज़दीक वाला हैंडपम्प खराब है, पानी ही नहीं आता। इसलिए मैं पानी पीने घर चला गया। वहीं माँ ने कुछ ज़रूरी काम बता दिया, इसलिए मुझे समय लग गया।''

''यह ठीक नहीं है।'' अध्यापक जी ने कहा और साथ ही बोले, ''गाँववालों एवं अपने परिवार वालों से कहकर हैंडपम्प ठीक क्यों नहीं करवाते।''

विद्यालय से छुट्टी होने पर महेश अपने दोस्तों से मिला और अध्यापक जी की नाराज़गी पर बात की। हैंडपम्प खराब होने और पीने के पानी की समस्या सभी बच्चों को परेशान कर रही थी। लगभग सब बच्चे बाल मंच से जुड़े थे। शाम को बैठक की और इस समस्या पर विचार–विमर्श करने लगे। तय हुआ कि इसके लिए बाल अधिकार मंच से बात करेंगे।

महेश और उसके दोस्त बाल मंच की तरफ से बाल अधिकार मंच की बैठक में शामिल हुए। अपनी बात बताई। बाल अधिकार मंच की बैठक में चर्चा कर शिकायत तैयार की जिसे ग्राम पंचायत तथा जलदाय विभाग में देना तय हुआ। यह जिम्मेदारी दो सदस्यों को दी गई।

यह कहानी है रूपसपुर की जो पँचगाँव पंचायत में स्थित है। जिला मुख्यालय धौलपुर से करीब 10–12 कि.मी. की दूरी पर स्थित इस गाँव की आबादी 524 के लगभग तथा परिवार 81 हैं। ज्यादातर सभी कुशवाहा जाति के हैं। एक दो परिवार अन्य जातियों के भी हैं। खेती के साथ इस गाँव में आय का मुख्य साधन खनन मज़दूरी है।

पीने के पानी की समस्या ज्यों–की–त्यों बनी हुई थी। हैंडपम्प ठीक नहीं हुआ था। बच्चों ने वापस बात की। बाल अधिकार मंच की बैठक वापस बुलाई गई। दरअसल जिन सदस्यों को प्रस्ताव धौलपुर देकर आने की ज़िम्मेदारी दी थी वे गए ही नहीं और पीने के पानी की

समस्या का समाधान नहीं हुआ। बात–चीत की गई। कारण जाने गए। पता चला कि वे धौलपुर जाकर शिकायत करने के लिए न तो सहमत थे और न ही सक्षम। वाजिब भी था। पूरे गाँव का काम था, पूरे गाँव की ज़रूरत थी। एक व्यक्ति ही क्यों खर्च करे? खुद की ज़रूरत मुश्किल से पूरी होती है, अलग से खर्च कहाँ से लाएँ?

सभी ने सोचा, क्या हो? विचार विमर्श किया गया, विकल्प ढूँढे गए लेकिन पुख्ता विकल्प नहीं मिले। एक सुझाव आया, ‘‘हम पूरे गाँव की समस्याओं–समाधानों पर बात करते हैं, कहीं–न–कहीं न्यूनाधिक खर्च भी होता है, क्यों ना परिवार क्रम चन्दा कर लें ताकि ज़रूरत पड़ने पर उसमें से खर्च के लिए पैसा काम में ले सकें।’’ सभी के काम आने वाली बात थी। दो दिन का समय तय किया गया ताकि सब सोच लें। गाँव के दूसरे लोगों से पूछा गया। उसके बाद वापस इकट्ठा होकर बात की गई।

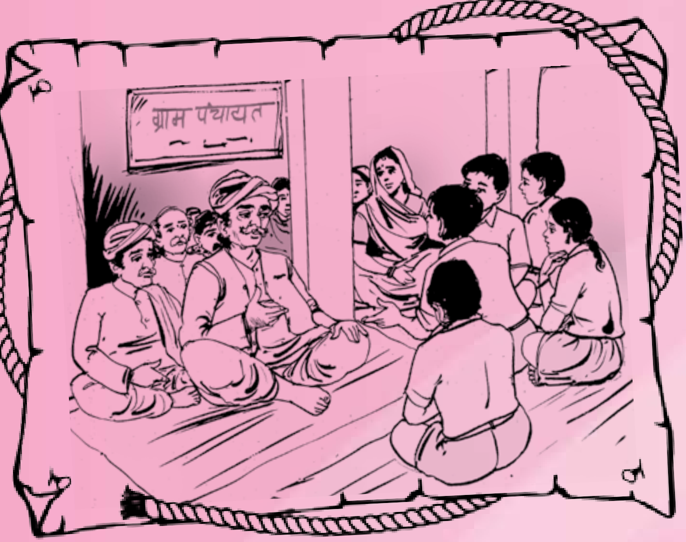

वापस बाल अधिकार मंच की बैठक हुई। गाँव के अन्य लोग भी मौजूद थे। गहनता से विचार–विमर्श के बाद निर्णय हुआ कि चंदे की राशि ऐसी तय की जानी चाहिए जो सब लोग बिना दबाव खुशी से दे सकें। पैसा कौन इकट्ठा करें? किसके पास रहे? खर्च का निर्णय कौन करें? चंदा क्या समयबद्ध लगातार रहे या ज़रूरत के समय इकठ्ठा करें। इन बातों पर चर्चा कर सबके विचार भी जाने गए। इसके बाद निर्णय लिए गए जो

इस प्रकार थे -

1. पहली बार प्रत्येक परिवार 20-20 रू. का चंदा देगा। बिना माँगे रमेश सिंह व विक्रम सिंह को यह एक सप्ताह के अन्दर जमा कराना होगा।
2. इकठ्ठा हुआ पैसा विक्रम सिंह व रमेश सिंह के पास रहेगा।
3. ज़रूरत पड़ने पर दोनों लोग बैठक में सब की आम सहमति से निर्णय करवाकर खर्च करेंगे।
4. यह पैसा गाँव की सामूहिक ज़रूरत के लिए ही खर्च किया जाएगा।
5. कभी ऐसा खर्च आ सकता है जिससे केवल कुछ परिवारों का ही भला हो, ऐसे में खर्च करने व न करने का निर्णय सामूहिक रूप से लेंगे।
6. खर्च का हिसाब दोनों व्यक्ति रखेंगे व बाल अधिकार मंच की बैठक में सबके सामने हिसाब प्रस्तुत किया जाएगा।
7. कुल राशि जो लगभग रू.1580 बनती है खर्च होने के बाद पूरा हिसाब करके दोबारा चंदा किया जाएगा।

पैसे जमा हुए। प्रतिनिधिमंडल तैयार हुआ और ग्राम पंचायत व जलदाय विभाग में लिखित शिकायत देकर आया। थोड़े ही दिनों में विभाग द्वारा मेकैनिक गाँव में भेजा गया जिसने हैंडपम्प ठीक कर दिया। कुल मिलाकर 200 रु. खर्च हुए। शेष 1380 रु. दोनों ज़िम्मेदार व्यक्तियों के पास रखे हैं। गाँव की ज़रूरतों के समाधान के लिए इससे सामूहिक ग्राम कोष बनाया गया है।

अब गाँववालों को लगने लगा है कि व्यवस्था से वे गाँव की अन्य समस्याओं का भी धीरे-धीरे समाधान कर पाएँगे। संगठन का अर्थ उन्हें समझ में आने लगा है और वे जान गए हैं कि यदि संगठन व समाज एक व्यवस्था कर ले तो चिर स्थायी विकास की राह बहुत आसान हो जाती है।

***

6: बदलाव की आहट...

मनीष एवं लेखराज बाल-मेले के अवसर पर धौलपुर गए थे। यह मेला बच्चों के शिक्षाप्रद मनोरंजन के लिए आयोजित किया गया था। दूसरे गाँव के बच्चे भी इस मेले में शामिल होने आए थे। काफी बच्चे इकट्ठा हुए थे। सब अपनी-अपनी रूचि के कार्यक्रमों में भाग ले रहे थे और मेले का आनन्द ले रहे थे। मनीष एवं लेखराज की रूचि खेलने में थी। मेला ऐसे विद्यालय में आयोजित था जहाँ खेलने के लिए बड़ा मैदान था। दोनों ने क्रिकेट के खेल में भाग लिया। दूसरे गाँव से आए बच्चों से खूब बातें की। काफी बच्चों ने बताया कि उनके विद्यालय में खेल का मैदान है वहाँ वे खेलते हैं। खेल के उपरांत मेले में प्रयत्न के साथियों ने खेल का महत्व, खेल की ज़रूरतों, खेल के संसाधन, विद्यालयों में खेल व्यवस्था एवं खेल मैदान पर चर्चा की थी। हर विद्यालय से खेल का मैदान जुड़ा होना चाहिए इस पर भी ज़ोर दिया था।

मनीष व लेखराज गाँव भिलगंवा के रहने वाले हैं जो धौलपुर जिले एवं ब्लाक की ग्राम पंचायत बसई सामंता का गाँव है। यह गाँव जिला मुख्यालय से 10 कि.मी. व पंचायत मुख्यालय से 4 कि.मी. दूर है। गाँव में 120 परिवार हैं जो सभी कुशवाहा जाति के हैं, आबादी लगभग 1200 है। न्यूनतम खेती के अलावा सभी आय का मुख्य स्त्रोत खान में मज़दूरी हैं। गाँव में उच्च प्राथमिक विद्यालय है। मनीष व लेखराज इसी विद्यालय के विद्यार्थी हैं। विद्यालय में खेल का मैदान नहीं है।

मनीष व लेखराज जब गाँव पहुँचे तो बाल मेले में खेल के मैदान पर हुई बात को अन्य दोस्त बच्चों को बताया। सभी इस बारे में विचार–विमर्श करने लगे। बाल मंच की बैठक में इस बात को रखा गया। खेल के मैदान की ज़रूरत क्यों है, इस पर विस्तार से बातचीत की। चूँकि इसपर कार्यवाही उनके वश में नहीं थी अतः तय किया गया कि इस आवश्यकता को बाल अधिकार मंच की बैठक में रखा जाए। बाल मंच ने यह ज़िम्मेदारी मनीष व लेखराज को ही दी।

बाल अधिकार मंच में दोनों बच्चों ने यह प्रस्ताव रखा कि उनके विद्यालय में खेल का मैदान नहीं है इसकी ज़रूरत है और यह व्यवस्था विद्यालय से जुड़ी होनी चाहिए।

बाल अधिकार मंच ने बच्चों की बात को ध्यानपूर्वक सुना। ज़रूरत को संवेदनशीलता के साथ समझा भी। तय किया कि अगले दिन श्री गोरे लाल एवं श्री नत्थीलाल दोनों बच्चों को साथ लेकर प्रधानाध्यापक जी से मिलेंगे ताकि इसके लिए कार्यवाही विद्यालय स्तर से शुरू की जा सके। वे इस हेतु शाला विकास एवं प्रबंधन समिति की बैठक तुरन्त बुलाने का आग्रह करेंगे।

प्रधानाध्यापक जी के साथ दोनों मंचो के प्रतिनिधि सदस्यों ने मुलाकात कर खेल मैदान के लिए कार्यवाही करने का आग्रह किया। प्रधानाध्यापक जी पहले से इस बात पर सोच रहे थे। विचार को बल मिला और तुरन्त कार्यवाही के साथ शाला विकास एवं प्रबंधन समिति की बैठक बुलाने का निर्णय किया गया।

शाला विकास एवं प्रबंधन समिति की बैठक में खेल मैदान पर विस्तृत विचार विमर्श हुआ। जगह तलाशी गई। सदस्यों ने सुझाव दिया कि गाँव से उत्तर दिशा में 7 बीघा ज़मीन सिवाय चक है, वह ठीक रहेगा। विभागीय स्तर पर आवश्यक कार्यवाही की ज़िम्मेदारी प्रधानाध्यापक जी ने ले ली। पंचायत, तहसील एवं ज़रूरत पड़ने पर जिलाधीश कार्यालय पर जाकर कार्यवाही करने की ज़िम्मेदारी बाल अधिकार मंच के सदस्य जो शाला विकास एवं प्रबंधन समिति के भी सदस्य थे उन्होंने ली।

पटवारी से सम्पर्क तथा गाँव में वस्तुस्थिति का पता किया गया। जानकारी में आया कि किसी राजनेता का उस पर कब्ज़ा है। लोगों ने मिलकर राजस्व विभाग में प्रयास किए। पता लगा कि मौजूदा कब्ज़ा जो राजनेता का था वह वैधानिक नहीं था। उस ज़मीन के दो खसरे हैं जिनमें अलग–अलग 3 बीघा एवं 4 बीघा का रकबा है।

गाँव में बात फैली। ग्राम बैठक आयोजित हुई। प्रकरण पूरे गाँव के सामने रखा गया। सभी ने बाल अधिकार मंच को अधिकृत किया कि वे कार्यवाही को आगे बढ़ाएँ। पूरा गाँव साथ है। सक्रियता से संबंधित विभाग से सम्पर्क एवं पत्र व्यवहार चला। बाधाएँ खूब थीं लेकिन लोगों ने तय किया कि गाँव की ज़मीन गाँव के ही काम आनी चाहिए। लोग डटे रहे, 3 बीघा ज़मीन विद्यालय के नाम अधिकृत हुई। गाँव में बैठक बुलाकर गाँव के सामने स्थिति को रखा। 3 बीघा ज़मीन विद्यालय के सुपुर्द कर उसकी सीमाबंदी की गई। 4 बीघा जो अभी भी दूसरे खसरे में है उस पर कार्यवाही एवं प्रयास लगातार जारी है ताकि पूरी 7 बीघा ज़मीन गाँव के विद्यालय को मिल सके।

गाँव के नेता के अवैध कब्ज़े से गाँववालो द्वारा ही ज़मीन छुड़वा पाना आसान नहीं होता पर संगठन की शक्ति की वजह से यह संभव हो पाया। आगे का रास्ता भी यही शक्ति सुगम करेगी। विद्यालय का मैदान ही नहीं गाँव के विकास के अन्य कार्य भी हो पाएँगे।

बच्चों ने जब यह मैदान देखा तो बहुत खुश हुए हालांकि अभी मैदान को समतल करना है और उसके आस–पास सुरक्षा दीवार बनाई जानी बाकी है। उन्हें भी खेलने के लिए पर्याप्त जगह मिलेगी और उनके स्कूल में भी बाल मेला आयोजन हो सकेगा। जैसे ही शेष ज़मीन मिल जाएगी पूरे मैदान का एक साथ विकास हो सकेगा। एक बार आगाज़ हो जाए तो फिर अंजाम दूर नहीं रहता।

***

7: खाने की खुशबू...

शाम 4.30 बजे विद्यालय की छुट्‌टी की घँटी बजी। मोहन दौड़ते हुए घर पहुँचा। माँ घर के बाहर ही थी। पूछ लिया ''आज भागते हुए विद्यालय से क्यों आ रहे हो? रोज़ तो दोस्तों के साथ खेलते, मस्ती करते हुए धीरे-धीरे आते हो और आवाज़ें लगाने के बाद भी घर में नहीं आते हो।''

मोहन ने कहा, ''जल्दी से कुछ खाने को दो, बहुत भूख लगी है।''

माँ सोचने लगी रोज़ तो कहने पर भी नहीं खाता, नखरे करता है पर आज इसने आते ही खाने के लिए कैसे कहा? पूछ लिया ''आज दोपहर को विद्यालय में मध्याह्न भोजन नहीं खाया क्या?''

''मुझे नहीं खाना विद्यालय में मध्याह्न भोजन'' मोहन तो जैसे गुस्से में था।

माँ ने कहा, ''क्यों, क्या बात हुई? रोज़ तो ऐसी बात नहीं करता था।

मोहन ने बताया, ''रोज़ तो दोस्तों के साथ फिर भी खा लेता था। यद्यपि विद्यालय में मध्याह्न भोजन करने का मन नहीं करता था। न तो वहाँ साफ सफाई होती है, बर्तन भी गंदे रहते हैं, सब्जी दाल में कोई स्वाद नहीं होता और रोज़-रोज़ एक ही तरह की दाल-रोटी खाना पड़ती है। आज तो हद हो गई! सारी रोटियाँ जली हुईं थीं, बू मार रहीं थीं और दाल में भी कंकर-पत्थर थे। मैंने तो खाना खाया ही नहीं। कुछ और दोस्तों ने भी नहीं खाया, हम लोगों ने तय कर लिया है कि कल से विद्यालय में मध्याह्न भोजन खाएँगे ही नहीं।''

यह कहानी है गाँव सूरजपुरा की जो धौलपुर जिले एवं ब्लॉक की ग्राम पंचायत पुरानी छावनी का गाँव है। यह गाँव जिला मुख्यालय से 8 कि.मी. एवं पंचायत मुख्यालय से 3 कि.मी. की दूरी पर है। 80 परिवारों के गाँव सूरजपुरा में जाटव व कुशवाहा जातियों का बाहुल्य है।

कुछ अन्य जातियाँ भी हैं। कृषि एवं पत्थर के काम की मज़दूरी से जीवन-यापन होता है।

मोहन और उसके दोस्तों द्वारा मध्याह्न भोजन नहीं करने की बात सब बच्चों, महिलाओं एवं लोगों तक पहुँची। बाल मंच की बैठक में मोहन ने यह बात कही थी। बाल मंच ने निर्णय लिया कि यह व्यवस्था सुधरनी चाहिए, वे इस पर बाल अधिकार मंच में बात करेंगे।

बात को बाल अधिकार मंच में ले जाया गया। मंच की बैठक में बच्चों को सुना गया। बच्चों ने बताया कि विद्यालय में मध्याह्न भोजन की व्यवस्था ठीक नहीं है। कई बार खाने में कंकर-पत्थर, कीड़े-मकोड़े तक आ जाते हैं, खाद्य-सामग्री को साफ नहीं किया जाता है और बर्तन साफ नहीं होते। अध्यापक जी से कहने पर भी कोई सुधार नहीं हुआ बल्कि खाना बनाने वाली एवं अध्यापक जी डाँट कर भगा देते हैं। खाने में बदलाव भी नहीं करते, रोज़-रोज़ एक जैसा ही जला-भुना हुआ खाना देते हैं।

बाल अधिकार मंच ने इस बात पर गहनता से विचार किया और 4 सदस्यों मुन्नी देवी, प्रेमसिंह, वोटन सिंह और उत्तम को यह ज़िम्मेदारी दी कि वे विद्यालय जाकर इस सम्बंध में प्रधानाध्यापक जी से बात करें।

दूसरे दिन विद्यालय समय में चारों सदस्यों ने प्रधानाध्यापकजी से बात की। प्रधानाध्यापकजी ने मध्याह्न भोजन में अनियमितताओं संबंधी आरोपों को गलत बताया। तब बच्चों को बुलवाया गया और बात की गई। बच्चों ने स्थिति को विस्तार से बताया, गंदे बर्तन भी दिखाए, जली रोटियाँ भी दिखाईं। मानने के सिवाय प्रधानाध्यापक जी के पास कोई चारा नहीं था। ''आगे से ऐसा नहीं होगा'' उनकी इस स्वीकारोक्ति के बाद चारों सदस्यों ने मंच स्तर

पर अपनी बात बताई। उन्होंने कहा कि मंच स्वयं मध्याह्न भोजन की व्यवस्था से वाकिफ है। वे जानते हैं कि भोजन का मीनू होना चाहिए, दैनिक रूप से भोजन में बदलाव होना चाहिए, सप्ताह में एक दिन फल वितरित होने चाहिए, आदि।

बाल अधिकार मंच के सदस्य ही मुख्यतयाः शाला विकास एवं प्रबंधन समिति के सदस्य हैं। अगली बैठ्क में तय किया कि गाँव के विद्यालय में मध्याह्न भोजन की व्यवस्था सुचारू रूप से चले इसके लिए मंच के चार सदस्य विद्यालय में बनने वाले भोजन पर निगरानी रखेंगे। वे देखेंगे किः

1. भोजन पौष्टिक, सही पका हुआ है या नहीं
2. भोजन मीनू के अनुसार प्रतिदिन बन रहा है या नहीं ।
3. साफ–सफाई हर प्रकार से है या नहीं चाहे वह रसोई की जगह हो या खाद्य–सामग्री हो या फिर बर्तन हो।

यह भी तय किया गया किः

1. अगर विद्यालय को इस व्यवस्था में कोई समस्या आती है तो बाल अधिकार मंच उसमें विद्यालय की मदद करेगा।
2. चारों सदस्य बारी बारी से इस पर निगरानी रखेंगे।

आज सूरजपुरा में मध्याह्न भोजन की व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है और बच्चों को पौष्टिक भोजन मिल रहा है। लोगों की नियमित देखरेख की वजह से विद्यालय प्रशासन पर लगातार दबाव बना जिसकी वजह से मध्याह्न भोजन की व्यवस्था सुधर गई है। साफ–सफाई रहने लगी और भोजन की गुणवत्ता में भी सुधार आया। भोजन बच्चों द्वारा तय किए गए मीनू के अनुसार गर्म रूप में मिलने लगा। शुद्ध और स्वादिष्ट भोजन से न केवल बच्चों का समुचित पोषण हो रहा है बल्कि इसकी खुशबू और प्रशंसा नियमित नहीं आने वाले बच्चों को भी स्कूल की तरफ खींच रही है। वे भी अब नियमित स्कूल आने लगे हैं।

***

8: स्कूल ड्रेस...

यह कहानी है ग्राम मुण्डपुरा, ग्राम पंचायत चिलाचौंद की जो जिला धौलपुर के ब्लाक बाड़ी स्थित है। चिलाचौंद बाड़ी – सरमथुरा मुख्य सड़क पर धौलपुर से 45 कि.मी. तथा बाड़ी से 15 कि.मी. की दूरी पर स्थित है।

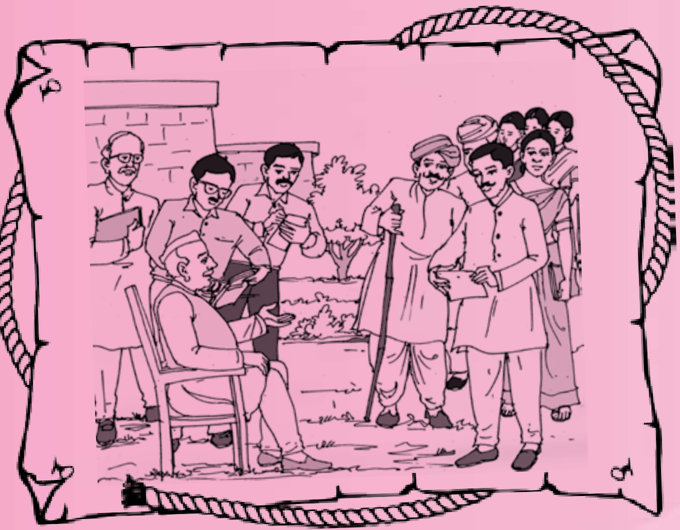

मुण्डपुरा निवासी रामदेई बाल अधिकार मंच की सक्रिय सदस्य है। वह चिलाचौंद में चल रहे मनरेगा (महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना) के तहत मज़दूरी कर रही है। उसका बच्चा स्थानीय विद्यालय की चौथी कक्षा में पढ़ता है। बच्चे का नाम सीताराम है। सीताराम बाल मंच का सदस्य भी है।

सीताराम की विद्यालय की ड्रेस एक साल पहले बनवाई थी जो अब फट रही है। वह चाहता है कि अब उसके लिए नई ड्रेस बने। आज जब वह विद्यालय में दोपहर की छुट्टी मे हैंडपम्प पर पानी पी रहा था तो कमीज़ की सिलाई ज़्यादा उधड़ गई, सब बच्चे देखकर उसका मज़ाक उड़ाने लगे। वे पूछने लगे कि ड्रेस कैसे फटी? सीताराम को यह बहुत बुरा लगा। माँ से इस बारे में दो बार कह चुका था। आज विद्यालय की छुट्टी होने पर जब घर पहुँचा तो काफी नाराज़ था। आते ही जोर से थैले को पटका और कमीज़ खोलकर माँ की ओर डाल दिया, बोला, ''कल से विद्यालय नहीं जाऊँगा।''

माँ ने आश्वासन दिया और कहा, ''मजदूरी मिलते ही तेरे लिए नई ड्रेस सिलवा दूँगी।'' उन्होंने सीताराम को यह भी बताया की पिछले तीन-चार माह से भुगतान नहीं मिला था। माँ ने यह भी कहा कि भुगतान केवल उसी का रुका हुआ नहीं था बल्कि गाँव व पंचायत के सभी मज़दूरों को ही भुगतान नहीं मिला था। कारण भी पता नहीं है।

दूसरे दिन सब बच्चों में बात फैल गई। सब के घर पर, जो परिवार मनरेगा में काम कर रहे थे, यह समाचार था। बाल मंच की बैठक कर बाल अधिकार मंच में प्रस्ताव देना तय हुआ।

बाल अधिकार मंच की बैठक में बात रखी गई। मंच (बाल अधिकार मंच) के लोगों को इस बात का पता भी था, बताया, ''हम हमारे स्तर पर प्रयास कर रहे है। सभी लोग भुगतान न मिलने से परेशान है, आज मैट को बुलाया है पर वह आया नहीं है।''

मैट गाँव का था। सीताराम व उसका एक साथी दोनों जाकर मैट को बुला लाए। मैट ने स्थिति बताई, ''हम पंचायत के सारे मैट परेशान हैं, किसी का भुगतान नहीं आया।'' मंच ने सुझाव दिया, ''आप सारे मैट मिलकर कल उच्चाधिकारियों से सम्पर्क करें तथा स्थिति से अवगत करवाएँ।''

सभी मैटों ने जिला स्तरीय कार्यालय जाकर लिखित में समस्या-समाधान हेतु पत्र दिया। आश्वासन लेकर वापस आये और अपने-अपने गाँवों में इसकी जानकारी दी। सबने तीन चार दिन इंतज़ार भी किया पर कोई परिणाम सामने नहीं आया। इस दौरान पंचायत चिलाचौंद के सारे गाँव (चिलाचौंद, रीछरी, रनपुरा, हल्ले का पुरा, चौधरीपुरा तथा मुण्डपुरा) में यह बात फैल गई। सब परेशान थे इसलिए सभी गाँवों के बाल-अधिकार मंच के लोग आपस में मिले और इस समस्या पर विचार किया। तय किया कि अगर चार दिन में भुगतान नहीं आया तो सभी गाँवों के लोग पंचायत मुख्यालय पर धरना देंगे। इस बात को सरपंच, ग्राम पंचायत चिलाचौंद को भी बताई। सरपंच ने इस बात को नरेगा ब्लाक मुख्यालय को भी बताया।

भुगतान नहीं आया था, निश्चित दिन पर सभी गाँवों के लोग पंचायत मुख्यालय पहुँचे और कार्यालय के बाहर जम कर बैठ गये। पंचायत सचिव ने इसकी सूचना मुख्यालय को दी। शाम चार बजे बैठक की। सरपंच, सचिव और सारे लोग मौजूद थे। तय किया गया कि सब गाँववाले अगले दिन प्रातः 9:00 बजे वापस इसी जगह आकर धरना देंगे। पंचायत सचिव विकास अधिकारी एवं सम्बंधित इंजीनियर को ग्राम पंचायत चिलाचौंद बुलाएँ। सचिव ने उच्चाधिकारियों को सूचना दी जो उसका दायित्व था।

दूसरे दिन प्रातः 10:00 बजे से पहले सभी गाँवों के लोग वापस पंचायत मुख्यालय पहुँचे। सभी को इंतज़ार था उच्चाधिकारियों के चिलाचौंद पहुँचने का। इसी दौरान सभी इस बात की चर्चा भी कर रहे थे कि अगर उस दिन भी उनकी समस्या के ऊपर कार्यवाही नहीं हुई तो उनका आगे का कदम क्या होगा? सुझाव आया कि दस लोगों को चुनकर बाड़ी (ब्लाक मुख्यालय) भेजा जाए। उसके बाद भी अगर समाधान नहीं होता है तो सभी मिलकर धौलपुर जाऐंगे।

दोपहर 3:00 बजे बाड़ी मुख्यालय से चिलाचौंद पंचायत की सभी मस्टर रोल जिनका भुगतान नहीं हुआ था, उनका भुगतान लेकर व्यक्ति पंचायत मुख्यालय पर आ पहुँचा। भुगतान हुआ। वैसे तो योजना के अंतर्गत विलंब से भुगतान होने की स्थिति में अतिरिक्त भुगतान का प्रावधान है पर इसका पालन नहीं होता। लोगों को उनकी मजदूरी की मूल राशि मिल गई बिना भ्रष्टाचार को भोग लगाए यही उनके लिए किसी उपलब्धि से कम नहीं था। लोगों ने इसे स्वीकार किया और अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए इसका उपयोग किया।

रामदेई ने भी बनिये का बकाया भुगतान किया, आगे के उपयोग के लिए राशन व अन्य सामान खरीदा और सीताराम को दिया हुआ अपना आश्वासन भी पूरा किया। सीताराम को अब नई स्कूल ड्रेस मिल गई थी। वह दोगुने उत्साह से विद्यालय जा रहा था।

***

9: पिएगें नहीं... पढ़ाएगें...

बाल मंच की बैठक हो रही थी। पिछली बैठक की समीक्षा की जा रही थी जिसमें तय किया गया था कि अगली बैठक तक हम सब यह पता करेंगे कि गाँव में कौन–कौन–से बच्चे विद्यालय में पढ़ने नहीं जा रहे हैं। राजेश और दिनेश ने बताया कि तीन बच्चे (1 लड़की व 2 लड़के) विद्यालय नहीं जा रहे हैं। तय किया कि उन बच्चों से सम्पर्क करेंगे, कारण जानेंगे तथा अगली बैठक में तीनों बच्चों को लाएँगे और उनसे बात करेंगे।

अगली बैठ में तीनों बच्चे प्रियंका, गोपेश तथा कृष्ण कुमार मौजूद थे। पूछा गया कि वे विद्यालय पढ़ने क्यों नहीं जाते तो गोपेश ने बताया, ''मैं तो पढ़ना चाहता हूँ, मेरी माँ भी पढ़ाना चाहती है मगर पापा नहीं भेजते।'' आगे बताया, ''मेरे पापा लगभग रोज़ ही शराब पीकर आते हैं, मम्मी से झगड़ा करते हैं, पिटाई भी करते हैं। कभी खाने की थाली को फेंक देते हैं और माँ को गालियाँ देने लग जाते हैं। अगर मैं बीच में बोल गया तो वे मुझे भी पीटते हैं, गाली भी बकते हैं। मम्मी घर की ज़रूरत लिए पैसे माँगती है तो मना कर देते हैं। कहते हैं कि कहाँ से लाऊँ, पैसे क्या पेड़ पर लगते हैं। एक दिन माँ बता रही थी कि पापा जुआ–सट्टा भी खेलते हैं। यह बात उन्हें किसी ने बताई थी। हम सब परेशान ही रहते हैं। जब उनका घर आने का समय होता है तो डर लगने लगता है। गाँव में भी सब हमको टोकते हैं, तुम्हारे पापा वहाँ पड़े हैं, गालियाँ बक रहे हैं, आदि। आने–जाने वाले भी उनकी ओर देखकर चुपचाप निकल जाते हैं। कोई शांतिपूर्वक घर जाने के लिए कहता है तो उसी से झगड़ पड़ते हैं। कुछ लोग उनको देखकर चिढ़ाते हैं। कुछ मजे भी लेते हैं।''

''परसों रात को हम सो नहीं पाए।'' गोपेश की व्यथा अभी खत्म नहीं हुई थी। वह बोलता रहा, ''वे बकते रहे, उल्टियाँ कर दी, हम भी सारी रात सो नहीं पाए। सुबह उठकर जब माँ सफाई करने लगी तो पूरा घर बदबू मार रहा था। मुझे लगा कि मुझे भी उल्टी हो जाएगी। माँ क्या करती, मुँह पर कपड़ा बाँधकर सफाई की। उनको बिस्तर से निकाला। बड़ी मुश्किल से मैंने पानी का लोटा थमाया। मैं डर रहा था पर कोई बखेड़ा नहीं किया, शायद नशा

उतर गया था। माँ ने चाय के लिए कहा तो मना कर दिया। बिस्तर पर बैठे–बैठे बीड़ी पीते रहे और खाँसते रहे। हमको बुरा लग रहा था लेकिन हमारी भी आदत हो गई है। माँ ने जैसे–तैसे समझा–बुझा कर चाय पिलाई।''

प्रियंका और कृष्ण कुमार की भी लगभग यही कहानी थी। तीनों ही बच्चों की आँखों में आँसू भर गए। वे भी अपने पिताओं की शराब–जुए की आदतों से त्रस्त थे। सभी बच्चों ने उनको ढाढ़स बधाया, तसल्ली दी। बच्चों ने तय किया कि इस बात को वे बड़ों तक पहुँचाएँगे और तीनों को साथ पढ़ने के लिए विद्यालय लेकर जाएँगे। बैठक में बच्चों ने एक सामूहिक बालगीत भी गाया। गोपेश, प्रियंका और कृष्ण कुमार भी गीत में साथ जुड़ गए। उन्हें लगने लगा कि उनके दोस्त इस समस्या में उनकी मदद करेंगे। बैठक समाप्त हुई।

यह कहानी है गाँव सूरजपुरा की जो ग्राम पंचायत छावनी तहसील/जिला – धौलपुर के अंतर्गत आता हैं। यह जिला मुख्यालय से मात्र 8 कि.मी. दूर पक्की सड़क पर स्थित है। गाँव की ज़रूरत के संसाधन, यथा सड़क, बिजली, पानी, उच्च प्राथमिक विद्यालय गाँव में हैं। छोटी–मोटी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक दो दुकानें भी हैं। गाँव में जाटव एवं कुशवाहा जाति का बाहुल्य है। एक–दो परिवार दूसरी जातियों के भी हैं। लोगों का व्यवसाय कृषि एवं पत्थर के खनन से जुड़ी मज़दूरी है।

बच्चों ने इस बात को बाल अधिकार मंच में पहुँचाया और समाधान हेतु भी कहा। बच्चे चाह रहे थे कि बाल अधिकार मंच जो भी उचित समझे वह करे पर गोपेश, प्रियंका और कृष्ण कुमार पढ़ने जाने चाहिए। सदस्यों ने बच्चों को आश्वासन दिया, ''आने वाली बैठक, जो दो दिन बाद होने वाली है, उसमें आप लोग आएँ तथा उन तीनों बच्चों को भी साथ लाएँ। उनके पिताओं को भी हम बुलाएँगे तथा उनसे बात करेंगे।''

गाँव में बात फैल गई। निश्चित दिन बैठक हुई। बाल मंच के सदस्य बच्चे तीनों बच्चों को लेकर बैठक में पहुँचे। बैठक शुरू हुई। तीनों और अन्य बच्चों को सुना गया। संबंधित पिताओं को पहले ही बैठक में आने के लिए बोल दिया था पर वे आए नहीं थे, अतः, दो लोग जाकर उनको बुलाकर लाए।

तीनों बच्चों के पिता शांतिपूर्वक बैठ गए। ऐसा लग रहा था कि वे अपनी गलती का एहसास कर चुके हैं क्योंकि पिछले तीन दिन से जो बच्चों ने माहौल बनाया था उसकी वजह से उनको लग रहा था कि जो बातें केवल घर तक ही सीमित थीं वे अब बाहर उजागर हो चुकीं हैं। साथ ही बैठक में गाँव के बच्चों के अलावा उनके स्वयं के तीनों बच्चे भी मौजूद थे और उनके सामने ही सारी बातों पर चर्चा होनी थी।

सरनाम सिंह ने बात शुरू की, ''आप तीनों यहाँ मौजूद हैं जिनके बच्चे विद्यालय नहीं जाते। हम चाहते हैं कि आप इन बच्चों को पढ़ने दें। आपकी आदतों–हरकतों से इन बच्चों का भविष्य दाँव पर है जो हमारे लिए शर्म की बात है क्योंकि हम इन बच्चों के अभिभावक हैं।

अगर आप इस ज़िम्मेदारी को नहीं सम्भाल सकते तो हमें बताएँ, पूरे गाँव के बच्चे पढ़ रहे हैं, इन तीन बच्चों की ज़िम्मेदारी भी हम लेते हैं।''

तीनों को लगा कि उन्हें सीधे तौर पर तो नहीं कहा जा रहा है लेकिन निश्चित रूप से अभिप्राय उन्हीं की गलतियों, कमियों व आदतों से है जो समुदाय एवं बच्चों के हित में नहीं हैं। दूसरे लोगों ने भी कुछ बातें की जिससे तीनों शर्मिंदा हुए और उन्हें समझ में आ गया कि उनकी गलत आदतों की वजह से बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ हो रहा है।

''आखिर इनको क्या कहना है ये स्वयं बताएँ'' मनोहर लाल ने पूछा।

तीनों ने अपने बच्चों को विद्यालय भेजने की हाँ के साथ ही अपनी तमाम बुरी आदतों को छोड़ने की कसम खाई। उनकी कसम को मज़बूत करने के उद्देश्य से समझदार लोगों ने सवाल किया, ''इस बात की क्या गारंटी है कि आप जो कह रहे हो उस पर खरे उतरोगे?'' रामकिशन जो गोपेश के पिता थे उन्होंने कहा, ''हम जो कह रहे है उसको लिखकर हम तीनों के हस्ताक्षर करवा लें। अगर दोबारा हम किसी तरह की गलती करें तो आप लोग जो भी निर्णय लेंगे वह हमें मंज़ूर होगा। हमें भी आप आज से आपका तथा इस मंच का हिस्सा मानें।''

सामुदायिक दबाव ने अपना काम कर दिखाया। तीनों बच्चों का विद्यालय में नामांकन हो गया है और वे खुशी–खुशी विद्यालय जा रहे हैं। परिवारों से भी तीनों पिताओं के बारे में कोई वादा खिलाफी की खबर नहीं आयी है। महिलाओं व बच्चों के खिलाफ हिंसा पर अंकुश लगा है। परिवार में पैसे की बचत व बेहतर उपयोग शुरू हो पाया है। सबको राहत है। समुदाय के लोग भी नज़र रखे हुए हैं। उन्होंने शराब पर अंकुश लगाने के लिए व्यवस्था बनाने पर चर्चा शुरू कर दी हैं। गाँव का माहौल अब काफी सकारात्मक लगने लगा है।

***

10: 'ब' से बकरी... 'प' से पढ़ाई...

रविवार का दिन था। रेखा अपनी माँ के साथ किसी काम से खेत पर जाकर वापस लौट रही थी। चलते-चलते रेखा को महेश दिख गया। महेश बकरी चरा रहा था। रेखा महेश से बात करने लगी। महेश पिछले चार-पाँच महीने से विद्यालय पढ़ने नहीं आ रहा था। रेखा ने उससे पूछ लिया, ''महेश, पढ़ाई क्यों छोड़ रखी है?''

महेश ने बताया, ''मुझे बकरी चरानी पड़ती है इसलिये विद्यालय नहीं आता। घर में बकरी चराने वाला कोई नहीं है और घर में दूध के लिए मात्र बकरी ही है जिससे परिवार की चाय वगैरह का काम चलता है।''

महेश से बात करने की वजह से रेखा की माँ थोड़ी-सी आगे निकल गई थी। माँ ने पीछे मुड़कर देखा कि रेखा अभी भी महेश से बातें कर रही थी। उन्होंने ने आवाज़ दी तो रेखा भी महेश से बात करना बंद कर माँ की तरफ चल दी।

रेखा चलते-चलते मन-ही-मन सोचने लगी, ''विद्यालय में तथा बाल मंच में तो यही बातें तय की थीं कि गाँव का कोई भी लड़का या लड़की बिना पढ़े नहीं रहेगा और सभी बच्चों का नाम विद्यालय में लिखवाया जाएगा। इसके लिए बच्चों से विद्यालय नहीं जाने वाले बच्चों के बारे में पूछा भी गया था। सबने ऐसे बच्चों की एक सूची भी बनाई थी और उस सूची को बड़ों की बैठक में भी रखा था। उसके बाद सब बच्चों के नाम विद्यालय में लिखवा दिये गए थे। सब खुश थे कि गाँव का एक भी बच्चा या बच्ची ऐसा नहीं है जो विद्यालय जाने के योग्य हो पर विद्यालय नहीं जा रहा और पढ़ाई ना कर रहा हो। लेकिन महेश तो बकरी चरा रहा है। मैंने जब पूछा तो उसने पूरी बात भी नहीं बताई कि वह बकरी क्यों चरा रहा है। घर में दूध की ज़रूरत होती है तो बकरी या गाय की ज़रूरत होती और उनको चराने की ज़रूरत भी होती है। लेकिन इन सबके लिये पढ़ाई बन्द करना तो ठीक नहीं है।''

इसी उधेड़–बुन में रेखा घर पहुँच गई थी। उसने अपने आप से यह तय किया ‘‘कल सोमवार को बाल मंच की बैठक है। मैं इस बात को बाल मंच की बैठक में रखूँगी। हम महेश की पढ़ाई न छूटे इसके लिए व्यवस्था करेंगे।’’

रेखा और महेश गाँव उमरारा का पुरा, ग्राम पंचायत करीमपुर, तहसील/जिला धौलपुर के रहने वाले हैं। उमरारा का पुरा जिला मुख्यालय से 16 कि.मी. की दूरी पर पक्की सड़क पर है, इस गाँव में प्राथमिक विद्यालय है। 70 परिवारों के गाँव में कुशवाहा एवं जाटव समुदाय के लोगों का बाहुल्य है। नाम मात्र की खेती के अलावा लोगों के जीवन यापन का मुख्य साधन पत्थर की खान में मज़दूरी है।

आज सोमवार है यानि बाल मंच की बैठक का दिन। रेखा उत्साहित है बाल मंच की बैठक में जाने के लिए। आज उसके पास एक मुद्दा है जिस पर वह बात करेगी। बाल मंच की बैठक में उसने यह बात रखी कि महेश पिछले चार–पाँच माह से विद्यालय में पढ़ना छोड़कर बकरी चरा रहा है। उसने बताया ‘‘मैं कल महेश से मिली थी, उसने कहा कि घर में बकरी चराने वाला कोई नहीं है, इसलिए विद्यालय न जाकर बकरी चराता हूँ।’’ रेखा ने यह भी बताया कि शायद वह सही बात नहीं बता रहा है, उसके माता–पिता से बात करनी चाहिए।

रेखा, रेवती शरण, मीना, शंकर का नाम महेश के माता–पिता से बात करने के लिए तथा महेश को विद्यालय से वापस जोड़ने के लिए तय किया गया। चारों बाल मंच सदस्य महेश के घर पहुँचे। माता–पिता घर पर ही थे, बात की, पता चला कि वे तो महेश को पढ़ाना चाहते हैं लेकिन यह रोज़ ही विद्यालय जाने में आना–कानी करता है। इसलिए उन्होंने भी कह दिया कि पढ़ना नहीं है तो बकरी चराओ।

चारों बच्चों ने अपनी समझ से गाँव में चल रही व्यवस्थाओं के बारे में बताया। महेश के माता–पिता भी जानते थे। अतः आश्वासन दिया कि वे भी महेश को विद्यालय में भेजेंगे। उन्हें स्वयं महेश से बात करने को कहा।

शाम को माँ–बाप ने महेश को बच्चों के आने की बात बताई तथा उसे विद्यालय जाना है यह भी कहा। रेखा और अन्य तीनों बाल मंच सदस्य भी तब महेश से मिले। उन्होंने उसको पढ़ाई के महत्व को समझाते हुए कहा कि पढ़ाई से समझ बढ़ती है और जीवन में दोबारा इस तरह पढ़ने का मौका नहीं मिलता। बकरियाँ तो कभी भी चराई जा सकतीं हैं और कोई भी चरा सकता है पर उसकी पढ़ाई कोई और नहीं कर सकता।

बच्चे अगले दिन विद्यालय समय से पूर्व तैयार होकर महेश के घर पर थे। बकरी को महेश की माँ अपने साथ खेत पर ले गई थी। चारों बच्चों के साथ महेश भी विद्यालय पहुँचा। सब खुश थे।

महेश अब ज़्यादा मन लगाकर पढ़ने लगा है। बकरियों की बजाय दोस्तों के बीच उसे ज़्यादा मजा आने लगा है। वह बाल मंच का सदस्य भी बन गया है। ऐसे में उसकी बाल अधिकारों और शिक्षा के महत्व पर समझ और बढ़ी है। माँ–बाप को तो बच्चे का जीवन सुधरते देख खुश होना ही था।

रेखा भी खुश हुई अपनी उपलब्धि पर। एक दिन जब पर्यावरण की किताब में उसने चरती हुई बकरी की तस्वीर देखी तो राजेश को छेड़ते हुए बोली, ‘‘बता बकरी बड़ी या किताब?’’ राजेश को जवाब पता था। वह सिर्फ हंस दिया।

***

11: लालाराम जी मुस्कुराए...

आज बाल मंच की बैठक थी। सोमवार का दिन भी था। राजेश जो आठवीं कक्षा का छात्र था उसने कल रविवार को किसी किताब में बच्चों के संतुलित आहार के बारे में पढ़ा था। बच्चों को दिए जाने वाले आहार में फल खाने का ज़िक्र था और उसके महत्व के बारे में पढ़ा था। राजेश कल से ही इस बारे में निरंतर सोच रहा था कि हमारे गाँव में तो फल भी नहीं होते। घर में भी कभी कभार ही फल देखने को मिलते हैं। आज बैठक में संस्था से बहिन जी बैठक में भाग लेने आई थी। सभी बाते हो रहीं थीं, राजेश ने सोचा अच्छा मौका है, बहिन जी से पूछ लेना चाहिए, सभी के सामने बात भी हो जायेगी। मौका देखकर राजेश ने अपनी बात कहने की इजाज़त माँगी। इजाज़त मिलने के बाद राजेश ने आज के अध्यक्ष

(शांता कुमारी), बहिन जी एवं सभी सदस्य बच्चों को सम्बोधित कर अपनी बात पर बोलना शुरू किया ''हमने हमारी बैठक में कई बार पोषण के अधिकार के ऊपर चर्चा की है जिसमें संतुलित आहार में फलों का होना ज़रूरी बताया गया है। यह बात मैंने कल एक किताब में भी पढ़ा है। लेकिन हमें तो केवल तीज–त्यौहार पर या कभी शहर जाने का मौका मिलता है तभी एक या दो फल खाने को मिलते हैं। फिर इसकी पूर्ति कैसे होती होगी ?''

सीधा इशारा संस्था से आई बहिन जी की ओर था। बहिन जी ने समझाया, ''हमें यह कोशिश करनी चाहिए कि सप्ताह में कम–से–कम एक दिन तो फल खाने को मिलें। ज़रूरी नहीं कि शहर से फल मँगा कर ही खाएँ। पास–पड़ौस में या जंगल में भी अगर कोई फल मिलते हैं तो खाने चाहिएँ।''

बहिन जी ने विद्यालय में मिलने वाले मध्याह्न भोजन का भी जिक्र किया और मीनू पर चर्चा कर बताया कि विद्यालय में भी एक दिन मध्याह्न भोजन में फल खाने को दिये जाते हैं।

बाल मंच के सदस्य बच्चे आश्चर्यचकित थे। सब एक दूसरे की ओर देख रहे थे आखिर राजेश ने कहा, ''बहिन जी, हमें तो विद्यालय में कभी भी फल खाने को नहीं मिलते।'' बहिन जी ने सभी बच्चों को सम्बोधित कर जवाब दिया, ''इसके लिए आपको विद्यालय, विद्यालय प्रबंधन समिति तथा बाल अधिकार मंच में बात करनी चाहिए।''

यह बाल मंच की बैठक थी ग्राम रजई का पुरा की। रजई का पुरा जिला एवं तहसील धौलपुर की विश्नोदा ग्राम पंचायत का गाँव है। जिला मुख्यालय धौलपुर से 12 कि.मी. व ग्राम पंचायत मुख्यालय से लगभग 3 कि.मी. की दूरी पर है। गाँव में 45 परिवार हैं जो सभी जाटव समुदाय के हैं, गाँव में खेती के अलावा लोगों की आय का मुख्य साधन खनन मज़दूरी है।

बाल अधिकार मंच तक यह बात पहुँचाने की ज़िम्मेदारी राजेश व शांता कुमारी ने ली। बात बाल अधिकार मंच तक पहुँची और लालाराम जी ने विद्यालय प्रबंधन समिति तथा प्रधानाचार्य

से बात कर मध्याह्न भोजन में फलों को शामिल करवाने की ज़िम्मेदारी ली।

लालाराम जी एवं रामचरण जी के साथ शिवचरण जी भी विद्यालय पहुँचे। मध्याह्न भोजन व्यवस्था तथा फलों के लिए प्रधानाध्यापक जी से बातचीत कर व्यवस्था की जानकारी ली। अभी तक मध्याह्न भोजन में मीनू में फल शामिल नहीं थे। विद्यालय का अध्यापक वर्ग भी इस बात से वाकिफ था कि मीनू में फल शामिल होने चाहिए लेकिन अभी तक इसकी व्यवस्था नहीं हो पाई है। सभी ने बाल अधिकार मंच से आए सदस्यों के साथ सहमति जताई तथा आगे से सप्ताह में एक बार फल देने का वादा किया। लालाराम जी ने सातों दिन दिए जाने वाले मीनू की सूची लेकर अपनी जेब में रख ली।

लालाराम जी एवं शिवचरण जी लगातार इस व्यवस्था पर नज़र रखे हुए थे। केवल फल ही नहीं, मध्याह्न भोजन, पढ़ाई-लिखाई, विद्यालय समय तथा अन्य गतिविधियों पर भी पूरा ध्यान लगा रहे थे। बीच-बीच में बच्चों से जानकारी भी लेते रहते थे।

आज फल वितरण का दिन था। लालाराम जी घर से निकले यह देखने के लिए आज बच्चों को फल मिले हैं कि नहीं? विद्यालय के बाहर रखे कचरा दान में केलों के छिलकों का ढेर देखकर उन्हें समझते देर न लगी। वे सीधे अपने अन्य काम के लिए निकल गए।

छुट्टी होने पर राजेश और बाल मंच के अन्य सदस्य लालाराम जी के पास पहुँचे और बड़े हर्ष के सथ उन्हें बताया, ''काका, आपकी बात का असर हो गया है। आज स्कूल में भोजन के साथ केले भी बँटे थे। भोजन भी पहले से बढ़िया बना था।''

बच्चों की खुशी देख लालाराम जी मुस्कुरा दिए। वे मानो कह रहे थे, ''आगे-आगे देखना होता है क्या!''

***

12: आगे आएं... लाभ उठाएं...

आज रामनरेश की माँ रामरति परेशान है। रामरति के दो बच्चे हैं – रामनरेश और पूनम। रामनरेश की उम्र 10 वर्ष है, वह चौथी कक्षा में पढ़ता है। पूनम की उम्र 7 वर्ष है और वह दूसरी कक्षा में पढ़ती है। दोनों भाई-बहिन पढ़ने में होशियार हैं। दोनों बच्चों की कुछ ज़रूरत थी। उन्होंने माँ से कहा तो माँ ने टाल दिया था, ''बाद में लाएँगे।''

यद्यपि रामरति ने अभी तो बात टाल दी थी, बच्चे भी मान गये थे। लेकिन वह मन-ही-मन दुःखी थी कि कब तक वह बात को टालेगी, ''टालूँगी तो क्या बच्चों की पढ़ाई-लिखाई ठीक से हो पाएगी।''

रामरति विधवा है, पति राकेश की मृत्यु खान में मज़दूरी करते-करते सांस की बीमारी से जवानी में ही हो गई थी। हाथ में पैसे नहीं हैं, विधवा पेंशन तो मंज़ूर हो गई लेकिन पैसे नहीं मिले। पैसे आ भी जाएँ तो भी रामरति के सामने घर की दूसरी आवश्यकताएँ हैं जो टाली नहीं जा सकती। बच्चों की ज़रूरत कैसे पूरी होगी यह सोचकर वह परेशान थी।

रामरति ग्राम निसोरे का पुरा की रहने वाली है। निसोरे का पुरा तहसील/जिला धौलपुर की पचगाँव ग्राम पंचायत का गाँव है। यह जिला मुख्यालय से 10 कि.मी. की दूरी एवं पंचायत मुख्यालय से 2 कि.मी. की दूरी पर है। निसोरे का पुरा में कुल 117 परिवार हैं जो सभी कुशवाहा समुदाय के हैं। खेती के अलावा मुख्य व्यवसाय खनन मज़दूरी या अन्य मज़दूरी है।

रामरति ने यह परेशानी अपनी पड़ौसन नौरती को बताई। रामरति एवं नौरती दोनों ही बाल अधिकार मंच की सदस्य हैं। नौरती गत वर्ष एक कार्यशाला में धौलपुर गई थी। वहाँ उसे पालनहार योजना के बारे में बताया गया था। उसने रामरति को इसके बारे में बताया और पूरी जानकारी के लिए बाल अधिकार मंच की बैठक में आने के लिए कहा क्योंकि कुछ और

सदस्य जो भी उस कार्यशाला में गए थे वहाँ उपलब्ध होंगे।

अगले दिन की बैठक शुरू हुई। संस्था से बहिन जी भी मौजूद थीं। रामरति और नौरती भी बैठक में पहुँची। इधर–उधर की चर्चाओं के साथ नौरती ने रामरति की समस्या के समाधान के लिए प्रस्ताव रखा। सब सहमत थे। जो सदस्य कार्यशाला से लौटे थे उन्होंने बताया कि पालनहार योजना ऐसे बच्चों को मदद करती है जिनके पिता की मृत्यु हो गई है या उन्हें किसी वजह से आजीवन कारावास की सज़ा हो गई हो। इस योजना के तहत 2000 रु. प्रतिवर्ष बच्चों के कपड़े, जूते तथा अन्य ज़रूरतों के लिये तथा 675 रु. प्रतिमाह उनकी पढ़ाई–लिखाई के लिए सरकार द्वारा दिए जाते हैं। इसके लिये ग्राम पंचायत से निराश्रित प्रमाण–पत्र बनवाकर प्रार्थना–प्रपत्र के साथ विभाग में जमा कराना होता है।

तय हुआ कि बाल अधिकार मंच के दो सदस्य रामरति के साथ अगली पंचायत बैठक में जाएँगे और उसके बच्चों का निराश्रित प्रमाण–पत्र बनवाएँगे।

पंचायत बैठक में दोनों सदस्य तथा रामरति पहुँचे और पूरी स्थिति का वर्णन करते हुये प्रमाण–पत्र हेतु आवेदन किया। दोनों सदस्यों ने साक्ष्य देकर प्रमाण–पत्र जारी करने का आग्रह किया।

प्रमाण–पत्र शीघ्र ही मिल गया। अब पालनहार योजना के तहत आवेदन किया। एक–दो बार बताए अनुसार अनुगमन भी किया। आखिरकार दोनों बच्चे इस योजना में चयनित हो गए और उन्हें हर माह 675 रु. की मदद राशि मिलने लगी। 2000 रु. भी मिले। घर की स्थिति सुधरने लगी।

सब खुश हैं। बच्चों की परवरिश एवं पढ़ाई लिखाई सतत रूप से चल रही है। बच्चों की ज़रूरतों को अब टालना नहीं पड़ता है। आखिर जब सरकार हो 'पालनहार' और समुदाय 'मददगार' तो क्यों न हो बेड़ा पार?

***

13: भटके को राह...

धर्मवीर रविवार के दिन नहाने गया। छुट्टी का दिन होने से आज हैंडपम्प के बजाय पहाड़ी की ओर खान के पुराने गड्ढे पर जाकर नहाने की सोचा। साफ पानी था। पत्थर निकालने के बाद बड़े गड्ढों में बरसाती पानी भर जाता है और ऐसे गड्ढे तालाब या छोटी तलैया का रूप ले लेते हैं। छुट्टी का दिन था, आराम से नहाया, कपड़ों को पास ही झाड़ियों पर सूखने के लिए डाल दिया।

थोड़ी दूर पर कुछ लोग (बड़े व बच्चे) पत्थर निकाल रहे थे। धर्मवीर भी उधर ही चला गया और बातें करने लगा। बच्चों ने बताया कि वे यहाँ गिट्टी तोड़ते हैं जिसके उन्हें पैसे मिलते हैं। धर्मवीर बातें करता रहा और वहीं पर रखी हुई छोटी हथौड़ी से वह भी गिट्टी तोड़ने लगा। काफी देर गिट्टी तोड़ी। पहले से तोड़ रहे बच्चों से उसकी तोड़ी गिट्टी का ढेर ज़्यादा था। बच्चों ने कहा, ''तुमने तो हमसे भी ज़्यादा गिट्टी तोड़ी है। हम तो 6-7 दिन में एक ट्रॉली गिट्टी तोड़ते हैं पर तू तो एक ट्रोली 3-4 दिन में ही तोड़ सकता है।''

धर्मवीर के बात समझ में आ गई। आज तो छुट्टी थी इसलिए वह गिट्टी तोड़ता रहा। शाम को लौटते वक्त गिट्टी तुड़वाने वाले व्यक्ति ने उसे दस रूपये पकड़ा दिए। धर्मवीर घर आ गया। दस रूपये उसने खर्च कर दिये थे। एक-एक पेन्सिल रबर लिया, एक-दो रूपये की कोई चाकलेट ली और सुपारी का एक गुटखा भी खरीद लिया। यह उसे अच्छा लगा क्योंकि ऐसे खर्च करने के लिए उसे कभी भी घर से पैसे नहीं मिलते थे।

सोमवार को धर्मवीर विद्यालय तो गया लेकिन उसका मन पढ़ाई में कम लग रहा था। बार-बार ध्यान गिट्टी तोड़ने पर जाता था। अगले दिनों में वह किसी भी बहाने से विद्यालय से पार होकर सीधा गिट्टी तोड़ने पहुँच जाता। शाम को जो भी पैसे मिलते, उनसे अपने खाने-पीने, पहनने, मनोरंजन आदि के शौक पूरे करता। उसे मज़ा आ रहा था। पर एक तरफ विद्यालय की पढ़ाई छूट रही थी तो दूसरी तरफ गुटखा आदि खाने का शौक भी लग

गया था। किसी ने ध्यान नहीं दिया। ऐसा चलता रहा।

धर्मवीर ग्राम रजई का पुरा, ग्राम पंचायत विश्नोदा, जिला धौलपुर का रहने वाला है। उम्र लगभग 11-12 साल है। रजई का पुरा 45 परिवारों की बस्ती है। सभी परिवार जाटव समुदाय के हैं। आबादी लगभग 350 लोग है। जिला मुख्यालय से दूरी 12 कि.मी. है। लोगों का व्यवसाय पत्थर की खनन मज़दूरी है। खेती बहुत कम होती है।

बाल मंच की बैठक थी। विद्यालय में अनियमित रहने वाले बच्चों पर चर्चा चल रही थी। अन्य बच्चों के साथ धर्मवीर की लम्बे समय से अनियमितता की बात सामने आई। तय हुआ कि ऐसे अनियमित रहने वाले बच्चों से व उनके माता-पिता से सम्पर्क करेंगे तथा अगली बैठक में उन बच्चों को बुलाकर लाएँगे, उनसे बात करेंगे और उन्हें नियमित विद्यालय लाएँगे।

अगली बैठक में धर्मवीर भी उपस्थित था। बातें हुईं। धर्मवीर ने अपनी बात बताई, ''पढ़ना तो मुझे अच्छा नहीं लगता है क्योंकि घर वाले ज़रूरत होने पर पैसे नहीं देते हैं। एक दिन नहाने गया तो मुझे गिट्टी तोड़ने का काम जम गया। अब पैसों की ज़रूरत होती है तो गिट्टी तोड़ने चला जाता हूँ। पढ़ाई की ज़रूरत के बाद बचे पैसे से गुटखा खाने लग गया।''

बच्चे जानते थे कि धर्मवीर जो कर रहा है वह बाल-श्रम है और यह गैर-कानूनी है। इसके बारे में वे अपने मंच में समय-समय पर चर्चा करते रहे हैं। संस्था से आने वाले भैया ने भी बाल अधिकार पर चर्चाओं के दौरान इसके दुष्परिणाम बताए थे। इसलिए उन्होंने धर्मवीर को समझाया कि गिट्टी तोड़ने के दौरान उड़ने वाला चूरा सांस की बीमारियाँ पैदा करता है और आदमी जल्दी मर भी जाता है। ऐसे में बच्चों के लिए तो यह और भी खतरनाक हो सकता है। आँखों में भी नुकसान पहुँच सकता है। चोट लगने की संभावना होती है सो अलग। ठेकेदार कभी मदद नहीं करता। वह तो बच्चों को लगाता ही इसलिए है क्योंकि उन्हें काम की अपेक्षा पैसा कम देना पड़ता है और बच्चे उससे कुछ बोल भी नहीं सकते।

साथियों की बात धर्मवीर के गले उतरने लगी थी। उसे इसके बाद बताए स्कूल छोड़ने और

गुट्खा खाने के दुष्परिणाम भी समझ आ गए। वह समझ गया कि वह एक बहुत बड़ी भूल कर रहा था। उसने तय किया कि वह अब ऐसा नहीं करेगा। साथी बच्चों ने भी आश्वासन दिया कि वे ज़रूरत के समय उसके माँ–बाप से पैसा दिलाने में सहायता करेंगे।

धर्मवीर अब लगातार विद्यालय जा रहा है। 7वीं कक्षा का विद्यार्थी है। बाल मंच की गतिविधियों में भी सक्रियता से भाग ले रहा है। और अपने जैसे दूसरे भटकों को भी राह दिखा रहा है।

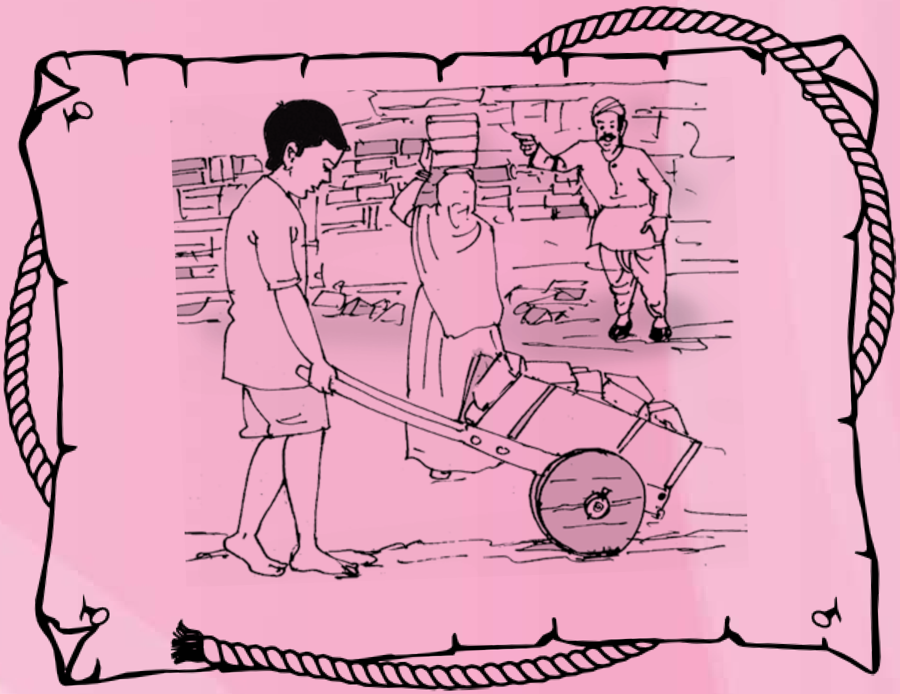

***

14: समधी जी मान गए...

विनेश के घर में आज रोज़ाना से थोड़ी ज़्यादा चहल–पहल थी। विनेश की माँ मधु देवी चावल साफ कर रहीं थीं। एक चूल्हे पर दाल चढ़ी थी तथा दूसरे चूल्हे पर चावल के लिए पानी रखा था। विनेश के पिता माँगीलाल घर के बाहर खाट पर दरी बिछा कर बैठे थे। विनेश जैसे ही स्कूल से आई, माँ ने बताया कि कपड़े बदलकर घर के दूसरे कपड़े (ओढ़नी, लहंगा, साड़ी) पहन ले। विनेश ने माँ से पूछा, ''आज यह तैयारी किसलिए हो रही है?''

माँ ने बताया, ''आज तेरे ससुराल से लोग आ रहे हैं तेरे गौने का दिन तय करने के लिए।''

विनेश को अटपटा–सा लगा यद्यपि वह जानती थी कि उसकी शादी बचपन में ही कर दी थी। वह तब 14 साल की ही थी और 8वीं कक्षा में पढ़ रही थी। बाल मंच की बैठकों तथा अन्य कार्यक्रमों के माध्यम से वह जान गई थी कि 18 वर्ष से कम उम्र में शादी करना गलत है। लेकिन उसकी शादी तो उस समय कर दी गई थी जब वह ससुराल या शादी के बारे में समझती भी नहीं थी। धीरे–धीरे बड़ी होने पर यह सब बातें उसे पता चलीं थीं।

मांगीलाल एवं मधुदेवी ग्राम सूरजपुरा, ग्राम पंचायत बसई सामंता, जिला धौलपुर के रहने वाले हैं। 80 परिवारों का गाँव सूरजपुरा धौलपुर से 8 कि.मी. दूर तथा पंचायत मुख्यालय से 3 कि.मी. दूर है। गाँव में जाटव व कुशवाहा समुदाय का बाहुल्य है पत्थर की मज़दूरी तथा न्यूनाधिक खेती ही इस गाँव की आय का साधन है। आज विनेश 10वीं कक्षा में पढ़ रही है।

बाल विवाह करना किसी भी कारण से सही नहीं है लेकिन बाल विवाह होते थे और हो रहे हैं। बाल विवाह के साथ एक रिवाज़ गौने का रहा है जिसमें बच्ची बचपन में शादी हाने पर वयस्क होने के बाद गौना रस्म होने पर ही ससुराल जाती है। लेकिन विनेश तो अभी वयस्क भी नहीं है। वह पढ़ रही है। पढ़ना उसे अच्छा लगता है। वह आगे पढ़ना चाहती है।

विनेश के सामने समस्या थी वह क्या करे? माँ से कहा, ''अभी आ रही हूँ।''

विनेश अपने साथ पढ़ने वाली लड़कियों एवं बाल मंच के सदस्यों के पास पहुँची। मौजूद बाल मंच सदस्यों ने इकठ्ठा होकर इस पर बात की। विनेश से उसके विचार पूछे तो विनेश ने मना कर दिया। कहा, ''मैं अभी पढ़ना चाहती हूँ। अगर यह गौना हो गया तो मुझे ससुराल जाना पड़ेगा और मेरी पढ़ाई छूट जाएगी।''

तय किया गया कि वे बाल अधिकार मंच के लोगों को यह बात बताएँ। सभी बच्चे गाँव

में निकले तथा बाल अधिकार मंच के जो भी सदस्य मिले उनको समस्या बताई। बाल अधिकार मंच के लोग तो पहले ही तय कर चुके थे कि गाँव में बाल विवाह नहीं होगा। क्योंकि विनेश अभी वयस्क नहीं है इसलिए यह गौना भी बाल विवाह ही है। उन्होंने आश्वासन दिया कि वे सब मिलकर माँगीलाल से बात करेंगे कि वह अभी इस गौने को विनेश के वयस्क होने तक न करे। अगर ज़रूरत पड़ती है तो वे विनेश के ससुराल वालों से भी बात कर लेंगे जो गौना तय करने आ रहे हैं।

बाल अधिकार मंच के सात सदस्य तथा बाल मंच के बच्चे विनेश के साथ मांगीलाल के घर पर आए। मेहमान अभी नहीं आए थे। आपस में बातचीत की। बच्चों ने भी कहा कि विनेश पढ़ना चाहती है और वे भी चाहते है कि विनेश उनके साथ पढ़े।

विनेश की माँ को झटका लगा। उसने कहा, ''हम मेहमानों को क्या जवाब देंगे? विनेश को हम पराई कर चुके हैं तो हम ससुराल वालों को विनेश को ले जाने से कैसे मना कर सकते हैं?''

बाल अधिकार मंच की दो महिला सदस्य भी मौजूद थीं। उन्होंने भी मधु देवी को समझाया कि वे विनेश को ससुराल नहीं जाने या ससुराल वाले विनेश को न ले जाएँ इसके लिए नहीं कह रहे। वे कह रहे हैं कि विनेश ससुराल जाएगी लेकिन कम-से-कम 18 साल की होने के बाद।

सबने आपस में बात की, मांगीलाल एवं मधुदेवी को भी सहमत कर लिया, लेकिन उन्हें एक ही डर था कि मेहमानों ने इस बात को नहीं माना तो या नाराज़ हुए तो क्या होगा? सभी ने तसल्ली दी, ''चिंता आपकी अकेले की नहीं है। हम सब साथ हैं। मेहमान आएँ और बातें करें उस समय हमें बुला लेना।''

मेहमान भी पहुँच गए विनेश घर में जाकर डरी-सहमी-सी माँ के पास बैठी थी। दूसरे लोगों को भी खबर कर दी थी, अतः वे भी आ गए। कौन-सा दिन तय करें इस पर बात शुरू

हुई। प्रेमसिंह ने बात सँभाली तथा आए हुए मेहमानों से निवेदन किया, ‘‘विनेश अभी पढ़ रही है और पढ़ने में होशियार भी बहुत है तथा उसकी उम्र भी अभी ससुराल जाने के लायक नहीं है। विनेश के वयस्क होने तक अगर गौना रोक दें तो यह हमारे व आपके साथ–साथ विनेश के भी हित में है।’’

दूसरे लोगों ने भी उदाहरण दिए, गाँव द्वारा बाल विवाह के संबंध में किए गए सामूहिक निर्णय के बारे में भी बताया और मौजूदा समय की ज़रूरत पर भी बोले। सबने समझाया, ‘‘लड़के–लड़की की शादी या गौना वयस्क होने से पूर्व करना कानूनन अपराध है। अगर हम ही अपनी बच्चे–बच्चियों की ज़िंदगी दाँव पर लगाएँगे तो कौन हमारी मदद करेगा?’’ बच्चों ने भी हँसते हुए कह दिया, ‘‘समधी जी, मान जाओ, विनेश को पढ़ने दो।’’

मांगीलाल अकेले बात करते तो मेहमान जाने क्या निर्णय लेते, लेकिन पूरे गाँव व बच्चों की बात सुनकर आखिर उन्होंने भी सहमति दे दी क्योंकि वे भी उसी क्षेत्र के थे जहाँ बच्चों के हित एवं भविष्य की बात हो रही थी। भोजन के बाद मेहमान विदा हो गए थे।

माँ–बाप तो चुप थे लेकिन विनेश खुशी से फूली नहीं समा रही थी, तुरन्त बच्चों के बीच आ गई थी। सब खुश थे कि समधी जी मान गये और विनेश का गौना टल गया। उसकी पढ़ाई अब जारी रह सकेगी।

विनेश और बाल मंच के सदस्यों के लिए यह स्वर्णिम उपलब्धि थी क्योंकि ग्रामीण परिवेश में बाल विवाह या गौना टालना आसान नहीं होता चाहे ऊपरी दावे कितने भी किए जाएँ। बाल अधिकार मंच सदस्य तो अपनी उद्देश्य प्राप्ति में सफलता के लिए प्रसन्न हैं ही, समुदाय के अन्य लोगों को भी समझ में आया कि बाल मंच और बाल अधिकार मंच सामाजिक ताने–बाने को बिखेर नहीं रहे अपितु उसे अधिक सुदृढ़ एवं विवेकपूर्ण बनाने के लिए कार्य कर रहे हैं। जो प्रतिष्ठा इस मंच की इस तरह प्राप्त हुई वह इसके उस मुहिम को सफल बनाने में मदद करेगी जिसके लिए उसका गठन किया गया है।

***

15: लेके हाथों में हाथ...

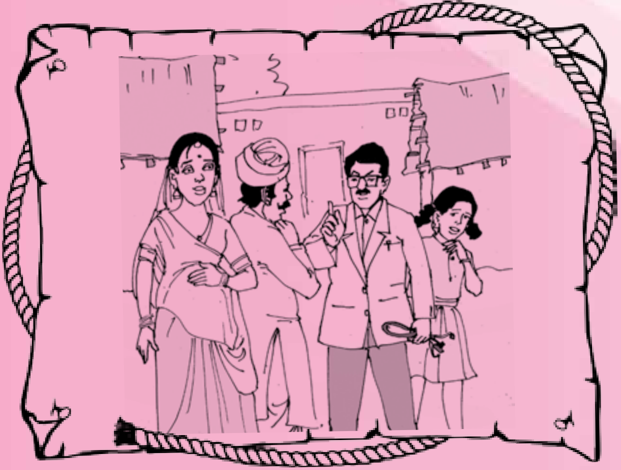

गाँव में पल्स पोलियो अभियान के पोस्टर चिपकाए जा रहे थे। दीवारों पर इसी अभियान के नारे भी लिखे जा रहे थे। बच्चे भी यह सब कौतूहल से देख रहे थे। चिकित्सा विभाग की तरफ से ए.एन.एम. बहिन जी भी साथ थीं। बच्चे केवल उन्हीं से परिचित थे। बच्चों ने जब ए.एन.एम. बहिन जी से पूछा तो उन्होंने बताया, ''रविवार को पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी। यह दवा 5 साल तक के बच्चों को पिलाई जाती है। आप लोगों से निवदेन है कि आप इस कार्यक्रम में मदद करें ताकि गाँव का कोई भी इस उम्र का बच्चा-बच्ची पोलियो की खुराक पीने से न छूटे।'' बच्चों ने उत्साह से हाँ की। यही बात बच्चों को विद्यालय में अध्यापक जी ने भी बताई थी।

यह हुआ ग्राम रूपसपुर, ग्राम पंचायत पचगाँव, जिला धौलपुर में जो जिला मुख्यालय से लगभग 10-12 कि.मी. तथा पंचायत मुख्यालय से 3 कि.मी. दूर स्थित है। परिवार 81 के लगभग हैं तथा जनसंख्या 524 है। कुशवाहा समुदाय का बाहुल्य है। केवल दो परिवार अन्य जातियों के है। कृषि, खनन की मज़दूरी ही जीवन यापन का साधन है।

बच्चों ने बाल मंच की बैठक में चर्चा की तथा हर बच्चे ने स्वयं के परिवार एवं पड़ौस के परिवार की ज़िम्मेदारी ली। बच्चे पोलियो की खुराक के महत्व को जानते थे। उनको बताया गया था कि अगर बच्चों को पोलियो की खुराक नहीं मिलती है तो वे विकलांग हो सकते हैं। तय किया कि विकलांगता से बचाने के लिए हर बच्चे को पोलियो की खुराक पिलानी है।

आज बैठक में सतीश एवं धर्मेंद्र भी मौजूद थे जो स्वयं पोलियो की वजह से शारीरिक रूप से विकलांग थे। उन्होंने भी पोलियो की दवा का महत्व समझाने में मदद की। इसके लिए उन्होंने स्वयं द्वारा झेली जा रही तकलीफों का भी ज़िक्र किया। बच्चों को लगा कि इनके लिए और इनके जैसे गाँव के अन्य विकलांग बच्चों के लिए भी कुछ–न–कुछ किया जाना चाहिए। तय किया कि जिस दिन पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी उसी दिन इस बात की चर्चा करेंगे।

इस बीच बच्चे सचेत थे। संस्था से भी कुछ लोग गाँव में आये थे उनसे भी बच्चों ने इस बारे में कहा। उन्होंने बताया कि पहले से जो विकलांग हैं उनके इलाज के प्रयास किये जा सकते हैं तथा उनको सरकारी मदद भी मिल सकती है। उन्होंने यह भी बताया कि जल्दी ही पंचायत में सरकार की ओर से 'प्रशासन गाँव के संग' शिविर लगने वाला है जिसमें गाँव की समस्याओं तथा सरकारी कामों का निपटारा गाँव में ही किया जाएगा। इसमें पीने का पानी, अलग–अलग तरह की सरकारी पेंशनें (विधवा पेंशन, विकलांगता पेंशन) भी मंज़ूर की जाएगीं। शिविर में गाँव के लोगों को जाना चाहिए और गाँव की समस्याओं एवं कामों के बारे में कार्यवाही करनी चाहिए।

बच्चों को तो जैसे सूत्र मिल गया। शाम को यद्यपि बाल अधिकार मंच की बैठक का दिन नहीं था लेकिन बच्चों ने सबसे मिलकर बैठक बुलाई क्योंकि शिविर आयोजन होने में केवल दो ही दिन शेष थे। बच्चे चाह रहे थे कि गाँव में चारों विकलांग बच्चों – सतीश पुत्र श्री केदार सिंह, सुमन पुत्री श्री सरनाम सिंह, धर्मेंद्र पुत्र श्री बाबू सिंह तथा विनोद पुत्र श्री रामगोपाल – को सरकारी मदद मिले।

बच्चों ने पूरी बात बैठक में बताई। कुछ सदस्य इस बात को जानते भी थे कि उनकी पंचायत में शिविर लगने वाला है और गाँव वालों की समस्याओं का समाधान पंचायत मुख्यालय पर ही किया जाएगा। बच्चों ने बिना समय गँवाए आग्रह किया, ''हमारे गाँव में चार बच्चे पोलियो की वजह से विकलांग हैं उनको सरकारी मदद दिलाने की कार्यवाही इस शिविर में आप लोग करें।''

सब लोग सहमत थे बच्चों की मदद के लिए। विक्रम, कमला, केवल सिंह, शारदा तथा ज्ञानदेई ने ज़िम्मेदारी ली कि वे शिविर से पहले पंचायत में बात करेंगे तथा शिविर के दिन चारों बच्चों को लेकर शिविर जाएँगे। चारों लोग दूसरे दिन सरपंच से मिले और बात की। सरपंच ने आश्वासन दिया और शिविर के दिन बच्चों को लेकर आने के लिए कहा।

अगले दिन चारों बाल अधिकार मंच सदस्य चारों बच्चे और उनके पिता गाँव के अन्य लोगों के साथ शिविर स्थल पहुँचे। चूँकि गाँव के काफी लोग शिविर में अपनी-अपनी समस्याओं के समाधान के लिए जा रहे थे इसलिए एक साधन पहले ही कर लिया गया था। ऐसे में चारों बच्चों को भी आवागमन में ज़्यादा असुविधा नहीं हुई।

शिविर की कार्यवाही जैसे ही शुरू हुई बाल अधिकार मंच सदस्यों ने सरपंच और उच्चाधिकारियों से बच्चों की अवस्था देखते हुए उनकी समस्या का समाधान पहले करने का आग्रह किया जिसे मान लिया गया। चारों बच्चे अपने-अपने विकलांगता प्रमाण-पत्र साथ लाए थे। ऐसे में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अधिकारी ने जैसे ही पेंशन के आवेदन के साथ प्रमाण-पत्र माँगा, वे इन्हें तुरंत प्रस्तुत कर पाए। थोड़ी ही देर में उनकी पेंशन की स्वीकृति जारी हो गई।

शाम को जब सभी जन गाँव लौटे तो चारों बच्चों ने अपने अन्य साथियों की खुशखबरी सुनाई। सभी बहुत खुश हुए। बाल अधिकार मंच सदस्यों और अभिभावकों ने बाल मंच की विशेष रूप से तारीफ की। उन्होंने कहा कि बच्चों के समय पर चेतने की वजह से यह इतनी जल्दी हो पाया। वरना बहुत समय लगता।

बच्चों की छात्रवृत्ति अब शुरू हो गई है। वे और उनके अभिभावक इससे काफी राहत महसूस कर रहे हैं। अन्य सरकारी सुविधाओं के बारे में भी उनको अधिक जानकारी दी गई है ताकि वे आवश्यकता पड़ने पर उनका लाभ उठा सकें। सभी बहुत खुश हैं। हाथ में हाथ लेके चलने का सा आनन्द महसूस कर रहे हैं।

***

16: दीप जला, फैला उजियारा...

शीतल देई घर के बाहर बैठकर बर्तन माँज रही थी, उसी समय कमला विद्यालय से लौटी। वह अन्य बच्चों के साथ बात करती हुई आ रही थी। शीतल देई को देखकर रुक गई जबकि बाकी बच्चे चले गए। शीतल देई से वह काफी दिनों बाद मिली थी, शायद जब दोनों साथ-साथ पढ़ने जातीं थीं। अब शीतल देई पढ़ने नहीं जाती। दोनों बातें करने लगीं, कमला बोली, ''तू आज कल पढ़ने नहीं आ रही है, क्या बात है?''

''माँ ने रोक दिया, कहती है क्या करेगी पढ़कर?'' शीतल उदास होकर बोली।

''पर माँ ने क्यों रोक दिया?'' कमला ने पूछा।

शीतल ने बताया, ''माँ कहती है पाँच कक्षा तक पढ़ गई है। ज्यादा पढ़कर क्या करेगी? घर का काम काज करेगी तो आगे काम आएगा। तुझे कौन-सी नौकरी करनी है। घर पर रहेगी तो मुझे भी मदद मिल जाएगी। फिर गाँव के बाहर कैसे पढ़ने जाएगी?''

कमला ने कहा, ''पढ़ने वालों की क्या सबकी नौकरी लगती है? कल बाल मंच की बैठक में भी बात हुई थी बताया था कि प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य है। 8वीं कक्षा तक तो कोई फीस भी नहीं लगती और कम-से-कम आठवीं तक पढ़ाना तो हर परिवार की ज़िम्मेदारी है।''

''तेरी माँ कहाँ है?'' कमला ने पूछा।

''माँ तो किसी काम से करीमपुर गई है।''

''ठीक है अभी तो मैं चलती हूँ, कल तेरी माँ से भी बात करूँगी।''

कमला घर चली गई थी लेकिन बार-बार यही दिमाग में आ रहा था कि आखिर शीतल देई दूसरे गाँव में पढ़ने क्यों नहीं जा सकती। वह खुद भी तो जाती है।

दूसरे दिन कमला जब विद्यालय जा रही थी तो उसके साथ कमोद हो गया। दोनों आपस में बात करते जा रहे थे। कमला ने कमोद से शीतल देई की पूरी बात बताई। इस पर कमोद ने कहा, ''शीतल देई ही क्यों? परसों मुझे विजय मिला था। वह भी पाँचवी कक्षा के बाद पढ़ाई छोड़कर घर बैठा है। मैंने उससे बात की थी। बता रहा था कि पढ़ने का तो मन करता है, लेकिन क्या करूँ, घर वालों ने कहा, क्या करेगा पढ़कर? अभी से कुछ काम शुरू कर दे। पढ़कर भी पत्थर ही तो तोड़ेगा या मज़दूरी करेगा तो फिर समय खराब करने का क्या फायदा? कुछ दिन पिताजी के साथ काम भी किया लेकिन अब काम में भी मन नहीं लगता, दिन भर ऐसे ही निकाल देते हैं क्योंकि पिताजी भी मज़दूरी के लिए दूसरी जगह चले गए हैं, जहाँ से रोज़ घर नहीं आते।''

विद्यालय का दरवाज़ा आ गया था। घंटी बज रही थी। दोनों अपनी-अपनी कक्षा की कतार में खड़े होकर प्रार्थना गाने लगे।

ये दोनों बच्चे हैं ग्राम निनोखर के। निनोखर ग्राम पंचायत पचगाँव, जिला धौलपुर के अर्न्तगत आता है । जिला मुख्यालय से गाँव की दूरी 10 कि.मी. एवं पंचायत मुख्यालय से दूरी 3 कि.मी. है। गाँव में 77 परिवार हैं जो सभी कुशवाहा समुदाय के हैं। मुख्य व्यवसाय खेती, खनन मज़दूरी एवं अन्य मज़दूरी है।

ग्राम निनोखर में पिछली बाल मंच की बैठक में शिक्षा के अधिकार एवं नियमित विद्यालय छोड़ चुके बच्चों के वापस विद्यालय में नियमित जोड़ने पर चर्चा हुई थी। इसी आधार पर विद्यालय से वापस आते वक्त भी कमोद और कमला ने यही बात की कि शीतल देई और विजय को वापस विद्यालय से जोड़ना है। दोनों ने यह भी तय किया कि बाल मंच की अगली बैठक में दोनों को बुलाकर बात करेंगे। तब तक यह कोशिश करें कि दोनों के घर वालों से भी बात हो जाए। दोनों ने अपने आपसे ही यह ज़िम्मेदारी ले ली थी।

दोनों ने विजय एवं शीतल देई के परिवार वालों से बात की। कमोद एवं कमला को वही जवाब मिला जो विजय एवं शीतल देई ने कहा था। दोनों बच्चों ने अन्य बच्चे और बच्चियों

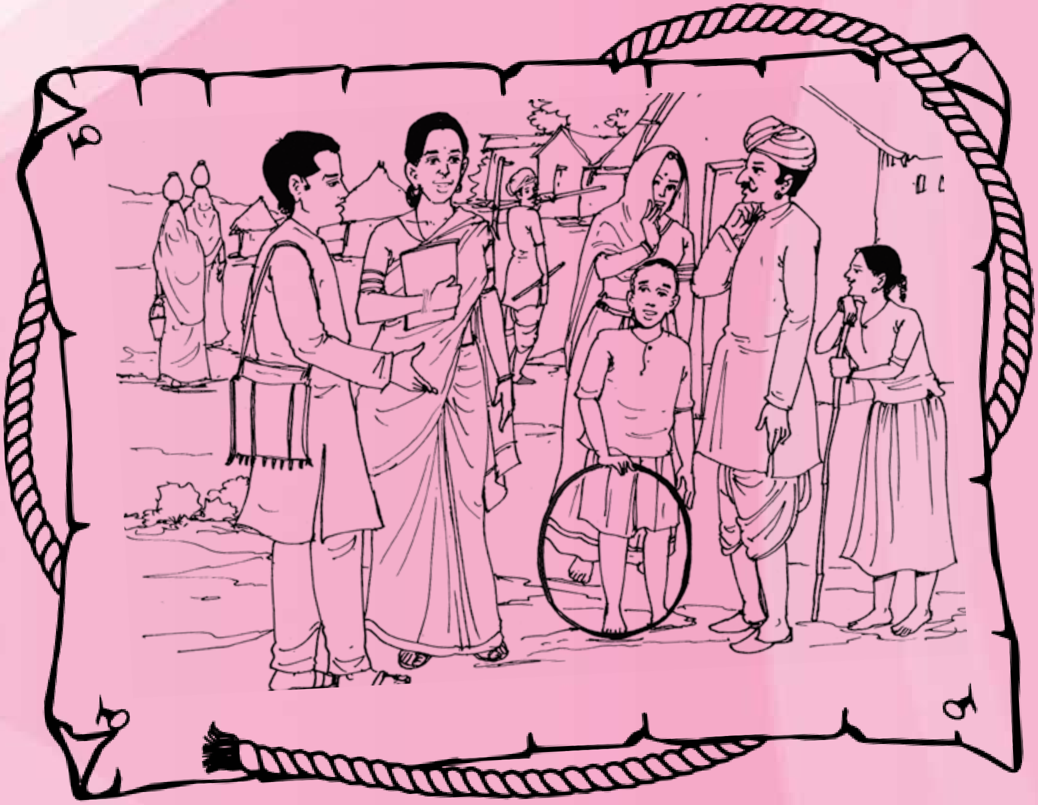

के बारे में बताया जो दूसरे गाँव में पढ़ने जाते हैं तथा स्वयं का भी उदाहरण दिया। उन्होंने समझाया कि पढ़ाई से नौकरी की संभावना निश्चित रूप से बढ़ती है पर इसका मकसद या फायदा केवल नौकरी ही नहीं होती। पढ़ाई से बच्चे की जीवन के प्रति समझ बनती है। वह स्वयं को और अपने वातावरण के बारे में जानने लगता/लगती है। भविष्य में पारिवारिक ज़िम्मेदारीयाँ किस तरह संभलती है इसकी समझ बनती है और क्षमता भी।

यह भी कहा कि पढ़ाई हर बच्चे का अधिकार है। 18 साल से कम उम्र में पढ़ाई छुड़ाकर घरेलू या बाहरी काम में लगाना गैर–कानूनी है। इसी प्रकार कम उम्र में बच्चों की शादी कर देना भी गैर–कानूनी है। इन दोनों स्थितियों में सज़ा हो सकती है चाहे मजबूर करने वाले बच्चे के माता–पिता ही क्यों ने हों।

विजय के माता–पिता जानते थे कि कमला और कामोद जो कह रहे हैं वह सही है और ये अपनी बात मनवाकर ही मानेंगे। ऐसे में ज़्यादा विरोध करना ठीक नहीं। वे मान गए। शीतल देई के माता–पिता लेकिन सहमत होते नहीं दिखे। बच्चे माँ–बाप को सज़ा दिलना तो चाहते ही नहीं। ऐसे में उन्होंने अंतिम बात यही कही कि यदि वे अब भी नहीं मानेंगे तो बाल अधिकार मंच सदस्यों से शिकायत की जाएगी। फिर वे ही उन्हें समझाएँगे। शीतल देई के माँ–बाप को लगा कि बच्चों को तो जैसे–तैसे बहला भी लेंगे तो भी बड़ों का सामना करना मुश्किल होगा। भलाई इसी में है कि बात मान ली जाए।

बच्चे अपनी सफलता पर खुश हुए। उसी दिन बाल मंच की बैठक भी थी। कमोद एवं कमला के साथ शीतल देई व विजय भी बाल मंच की बैठक में शामिल हुए। वे भी बहुत खुश थे। उन्होंने बताया कि वे तो वापस स्कूल जाने की उम्मीद छोड़ चुके थे पर कमला और कामोद के प्रयासों से यह संभव हो सका। कमला ने ऐसे में बाल मंच के उद्देश्य को दोहराते हुए कहा, ''हम इकट्ठा ही इसलिए होते हैं ताकि एक–दूसरे की मदद कर सकें।''

अभी शीतल देई कक्षा 6 व विजय सिंह कक्षा 7 में पचगाँव में नियमित पढ़ रहे हैं। बाल मंच के प्रयास एवं दोनों बच्चों को वापस विद्यालय जाते देखकर शीतल देई की सहेली सीमा ने भी वापस विद्यालय में प्रवेश ले लिया है। किसी ने ठीक ही कहा है कि अंधेरे में आप जब एक दीपक जलाते हैं तो रोशनी तो औरों तक भी फैलती है।

***

17: कँचे...

चार बच्चे कँचे खेलने में मस्त थे। पास में ही कुछ बकरियाँ चर रहीं थीं। रामकेश की जेब कँचों से भरी थी, आज शायद उसने ज़्यादा कँचे जीते थे। वीरेन्द्र, दाताराम एवं मनोज के सारे कँचे खत्म हो चुके थे। अब खेलने के लिए कँचे केवल रामकेश के पास ही थे क्योंकि अब तक के खेल में रामकेश ही जीता था। दोबारा खेलने के लिए रामकेश ने 10-10 कँचे तीनों को उधार इस शर्त पर दिये कि अगले दिन तीनों 12-12 कँचे लौटाएँगे।

चारों वापस खेलने लगे। चारों खेल का आनन्द ले रहे थे, बीच-बीच में बातें भी कर रहे थे, ''अच्छा हुआ पढ़ाई छोड़ दी। रोज़ समय पर विद्यालय जाना, गृह-कार्य नहीं कर ले जाने पर मास्टर से पिटाई खाना, ज़रूरत पर भी घर वालों से पैसे नहीं मिलना, इन सबसे पिंड छूटा। यहीं मज़ा आ रहा है, बकरियाँ चराना, मस्त रहना।''

यही दिनचर्या थी इन चारों की जो ग्राम खजूर का पुरा के रहने वाले थे। खजूर का पुरा ग्राम पंचायत कोलुआ जिला धौलपुर का गाँव है। जिला मुख्यालय से 20 कि.मी. की दूरी पर बसा हुआ है यह गाँव जहाँ 15 कि.मी. तक पक्की सड़क है। इसपर यातायात के साधन उपलब्ध हैं पर पाँच कि.मी. पैदल ही जाना-आना होता है। कुशवाहा समुदाय के 32 परिवार हैं, जनसंख्या लगभग 275 है। सभी लोग खेती के साथ खनन मज़दूरी करते हैं। कुछ परिवार मधुमक्खी भी पालते हैं। गाँव में प्राथमिक विद्यालय है।

आज रविवार है। कल शनिवार को बाल मंच की बैठक थी जिसमें शिक्षा के अधिकार पर चर्चा हुई थी। 6 से 14 साल के बच्चों के लिए अनिवार्य निःशुल्क आरम्भिक शिक्षा तथा कक्षा 6 से 8 में पढ़ने वाले लड़के-लड़कियों के लिये छात्रवृत्ति इत्यादि मिलने का प्रावधान है। मंच ने तय किया कि उन्हें यह पता लगाना है कि खजूरपुरा में कौन-कौन से लड़के व लड़कियों ने अपनी पढ़ाई छोड़ रखी है। बैठक में शामिल बच्चों में से किसी ने बताया कि रामकेश, वीरेन्द्र, दाताराम एवं मनोज आज कल विद्यालय नहीं आते। दूसरे ने कहा कि वे आजकल बकरियाँ

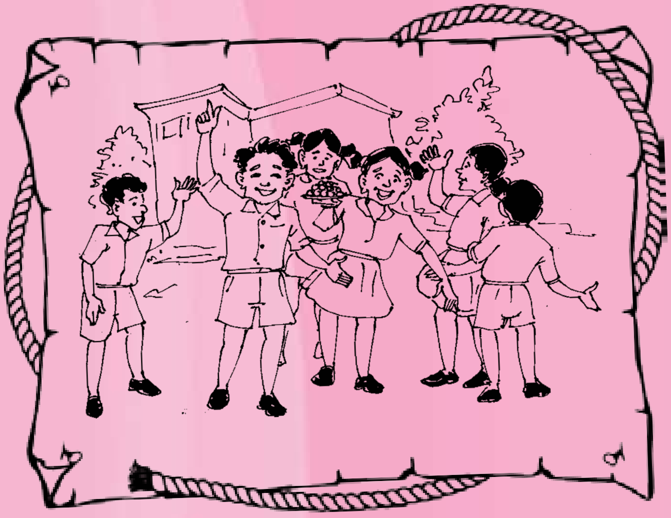

चराते हैं। बैठक में आए 23 बच्चों में से 5 बच्चों ने यह ज़िम्मेदारी ली कि अगले दिन रविवार को वे चारों के घर जाकर पता लगाएँगे कि उन्होंने विद्यालय आना क्यों बन्द कर दिया तथा पढ़ाई क्यों छोड़ दी है? यह भी तय हुआ कि इसके बाद सब दोपहर में 2–3 घंटे के लिए गाँव के बाहर घूमने व खेलने चलेंगे। पाँचों बच्चे भी उन बच्चों के परिवारों से सम्पर्क कर खेल में शामिल होंगे।

निर्धारित समय पर सब बच्चे गाँव के बाहर नीम के पेड़ के नीचे खड़े होकर उन पाँचों साथियों का इंतज़ार कर रहे थे जो विद्यालय छोड़ चुके बच्चों के परिवारों से बात करने गए थे। ज़्यादा समय इंतज़ार नहीं करना पड़ा वे भी आ गए। सभी ने मिलकर खेलने का मन बनाया। आज सब का क्रिकेट खेलने का कार्यक्रम था। खेल शुरू करने से पहले चारों के परिवारों से मिलकर आए बच्चों ने अपनी बात कही। पता लगा कि परिवार वालों ने बच्चों को नहीं रोक रखा है। उन्होंने कहा, ‘‘वे तो पढ़ने के लिए कहते हैं लेकिन बच्चे स्वयं जाते ही नहीं हैं। कहते हैं स्कूल में पढ़ाई अच्छे से नहीं होती और उन्हें कुछ समझ नहीं आता। वे चारों बकरियाँ चराने जाते हैं।’’ ऐसे में तय किया गया कि खेलने के बाद वापस चलते समय उन चारों से भी मिला जाएगा और बात की जाएगी।

क्रिकेट शुरू हो चुका था, कुछ बच्चे जो खेल नहीं रहे थे बाहर खड़े होकर खेल का आनन्द ले रहे थे। उन्हें पास में कुछ बकरियाँ चरते नज़र आई, ‘‘अरे! ये तो उन्हीं की ही बकरियाँ

लग रही हैं, वे भी कहीं आस-पास ही होंगे।'' बच्चे बकरियों की ओर दौड़कर गये तो देखा कि दूसरी तरफ चारों कँचे खेल रहे थे। बच्चों की आवाज़ सुनकर खेलना बन्द कर उनकी तरफ आ गए। नज़दीक आकर देखा तो वे ही नहीं गाँव के लगभग सारे बच्चे ही खेल रहे थे। सब मिलकर क्रिकेट की तरफ भाग गए। दाताराम चारों की बकरियों को उधर ही मोड़ लाया। सब क्रिकेट का आनन्द ले रहे थे, छक्के-चौके उड़ रहे थे, रन बन रहे थे, कैच लपके जा रहे थे, रन आउट हो रहे थे, खूब आनन्द लिया।

आखिर क्रिकेट बन्द हुआ। सब सुस्ताने लगे, चारों बच्चे भी उन्हीं में शामिल थे। चारों को देखकर बच्चे बोल उठे, ''तुम लोग नहीं मिलते तो हम सब तुम्हारे ही घर आने वाले थे। अच्छा हुआ तुम लोग यहीं मिल गए। तुम लोग विद्यालय क्यों नहीं आ रहे हो?''

बच्चों ने घर वालों का बहाना बनाया, लेकिन पाँचों बच्चों ने उनकी पोल खोल दी। चारों शर्मिंदा थे। दूसरी भी खूब बातें हुई, बाल मंच की गतिविधियों की, इत्यादि। सबने एक ही बात कही, ''कल से चारों हमारे साथ विद्यालय चलेंगे, समय पर तैयार हो जाना, नहीं तो सब सुबह फिर तुम लोगों के घर आएँगे और सबको बता देंगे कि समस्या स्कूल की नहीं कँचे खेलने की आदत की है।''

चारों को अब तक बात समझ आ गई थी। बात केवल माँ-बाप से कहे झूठ के पकड़े जाने की नहीं थी बल्कि स्वयं के विकास की थी। अगले दिन चारों तैयार होकर स्कूल पहुँच गए। छुट्टी होने तक उन्होंने देखा कि वे अब चार नहीं चालीस दोस्त थे और छुट्टी होने के बाद तो और भी ज़्यादा।

उनके माँ-बाप को समझ नहीं आया कि यह जादू हुआ कैसे हालांकि वे इतना ज़रूर समझ गए थे कि यह बाल मंच की कारगुज़ारी है। इसलिए वे इनके शुक्रगुज़ार थे और चाहते थे कि उनके बच्चे भी इन्हीं की संगत में रहें। बाल मंच से तो फिर उनको जुड़ना ही था।

***

18: जहाँ चाह वहाँ राह...

सीमा, सुल्फी, पूजा और कल्पना चारों सहेलियाँ हैं। चारों की उम्र 12 से 14 वर्ष के बीच है। चारों 5वीं उत्तीर्ण हैं। चारों ही घर पर ही रह रहीं हैं। इनके साथ पढ़ने वाले सब लड़के अगली कक्षा में प्रवेश कर लगातार उच्च प्राथमिक विद्यालय, जो गाँव से दूर है, वहाँ पढ़ने जाते हैं। चारों लड़कियाँ रोज़ ही अपने साथ पढ़ने वाले साथियों को विद्यालय जाते देखकर दुःखी हो जातीं हैं। वे सोचती हैं, ''काश! हम भी आगे पढ़ने जाते।''

चारों लड़कियाँ कक्षा में होशियार रहीं हैं। यद्यपि वे अब पढ़ नहीं रही हैं, बाल मंच की गतिविधियों व बैठकों में बढ़-चढ़ कर हिस्सा ले रहीं हैं। लेकिन जहाँ पढ़ने-लिखने और आगे बढ़ने की बात आती है तो चारों दुःखी हो जातीं हैं।

आखिर एक दिन बाल मंच की बैठक में उन्होंने अपनी तकलीफ खुलकर कही, ''हम आगे पढ़ना चाहतीं हैं लेकिन हमारे माता-पिता हमें नहीं पढ़ाते।''

''क्यों? क्या कहते हैं तुम्हारे माता-पिता?'' साथी बच्चों ने पूछा।

''उनका बोलना है कि पाँचवी तक पढ़ लिया है, बहुत है। आगे पढ़कर क्या करोगी? पढ़-लिखकर नौकरी तो करनी नहीं हैं, करना तो घर का काम ही है। अब तुम्हारी उम्र लड़कों के साथ खेलने-कूदने की नहीं रही। थोड़ा घर-गृहस्थी का काम भी सीखो। आखिर दूसरे घर जाना है। अब तुम बड़ी हो गई हो, अकेले कहाँ बाहर भेजें? गाँव में तो पाँचवी के आगे का विद्यालय भी नहीं है।'' चारों ने लगभग यही कहा।

यह घटना है ग्राम फौंदे का पुरा, ग्राम पंचायत विश्नोदा व तहसील/जिला धौलपुर की। फौंदे का पुरा जाटव समुदाय का गाँव है। 40 परिवारों वाले गाँव की कुल आबादी 400 है। जिला मुख्यालय से फौंदे का पुरा 15 कि.मी. तथा पंचायत मुख्यालय से 2 कि.मी. दूर है। सभी का व्यवसाय खेती व पत्थर खनन मज़दूरी है।

कल्पना ने बताया, ''मैंने पिताजी से हिम्मत करके बात की थी तो उन्होंने कहा कि, अपनी माँ से बात कर लो। उसी समय माँ भी हमारे पास आ गई। पिताजी ने ही कहा कि कल्पना आगे पढ़ना चाहती है पर माँ ने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं पढ़ाना। इतनी बड़ी लड़की दूर गाँव दूसरे लड़कों के साथ पढ़ने जाएगी, कल को कुछ हो गया तो वे क्या करेंगे? वे तो कहीं के नहीं रहेंगे।''

चारों की बात सुनकर बाल मंच में सन्नाटा-सा छा गया। आखिर किशोर बोला, ''हम चार-पाँच लड़के जब यहाँ से दूसरे गाँव में पढ़ने जा सकते हैं तो ये हमारे साथ क्यों नहीं जा सकतीं? जब यहाँ साथ पढ़े है तो वहाँ भी साथ पढ़ सकते हैं। दूसरे गाँव में हममें ऐसा क्या फर्क आ जाएगा?''

सब लोग इस बात से सहमत थे। तय किया कि एक बार चारों के परिवार वालों से बात की जाए। जब यह बात हो रही थी तो संस्था से श्रीकान्त भाई बाल मंच की बैठक में पहुँचे। क्योंकि चर्चा चारों लड़कियों को आगे पढ़ाने में आ रही बाधा की हो रही थी इसलिए श्रीकान्त भाई भी उसमें शामिल हो गए। श्रीकान्त भाई को बच्चों ने पूरी बात बताई तथा कहा, ''आप ही राय दें कि इस समस्या का क्या समाधान हो सकता है?''

श्रीकान्त भाई ने कहा, ''पहले तो यह हो सकता है कि हम इनके परिवार वालों से बात करें और चारों को आपके साथ आगे पढ़ने भेजने के लिए तैयार करें। दूसरा यह भी हो सकता है कि अगर उनको ऐसा लगता है कि लड़कों के साथ दूसरी जगह नहीं पढ़ाना तो फिर नज़दीक में जो कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय है, उसमें उनको दाखिला दिला दो। वहाँ केवल लड़कियाँ ही पढ़तीं हैं और सब लड़कियाँ वहीं विद्यालय के छात्रावास में रहतीं हैं। पढ़ाई एवं रहने का खर्चा विद्यालय यानि सरकार ही उठाती है।''

साथियों को यह सुझाव पसंद आया और लगा कि उन्हें चारों के परिवार से बात करनी चाहिए। दो लोग तुरन्त उनके पिताजी को बुलाने दौड़ पड़े। केवल सीमा के पिताजी (रामगोपाल जी) मिले। उनसे सारी बात हुई। शिक्षा के अधिकार पर भी बात हुई।

रामगोपाल जी की भी वे ही मान्यताएँ थी जो चारों लड़कियाँ बता चुकीं थीं। लम्बी चर्चा के बाद रामगोपाल जी इस बात से सहमत हुए कि वे एक बार कस्तूरबा गाँधी विद्यालय को देखेंगे। श्रीकान्त जी एवं रामगोपाल जी ने कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय जाना तय किया।

जब निर्धारित दिन जाने लगे तो सीमा को भी साथ ले लिया ताकि वह भी देख ले और उसकी राय भी मिल सके। तीनों विद्यालय की संचालिका से मिले। श्रीकान्तजी ने उनसे सीमा और रामगोपालजी को विद्यालय की शिक्षण, रिहायश, सुरक्षा, आदि व्यवस्थाओं के बारे में बताने और दिखाने का आग्रह किया। इसे उन्होंने सहर्ष स्वीकार कर लिया।

रामगोपाल जी कस्तूरबा गाँधी विद्यालय से आश्वस्त होकर लौटे एवं सीमा को वहाँ दाखिला दिला दिया। सीमा ने पिताजी से कहा कि उसकी सहेलियों को दाखिला दिलाने की बात भी करें, वे चारों साथ रहकर पढ़ना चाहतीं हैं।

रामगोपाल जी ने परबाती, लखन सिंह एवं भगवानदास से बात की। उनके कहने पर वे तीनों भी राज़ी हो गए तथा बच्चियों के दाखिले की ज़िम्मेदारी भी रामगोपाल जी को दे दी।

चारों बच्चियों का दाखिला कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय में करा दिया गया। इनको स्कूल जाते देख आस-पास के चार गाँवों की 13 और बच्चियों ने भी इसी विद्यालय में प्रवेश ले लिया है। सभी खुश हैं क्योंकि उनकी पढ़ाई जारी हो पाई है। अभिभावक भी अपनी बच्चियों का भविष्य बनता देख संतुष्ट हैं। नियमित रूप से उनसे मिलते रहते हैं। बच्चियाँ भी छुट्टियाँ होने पर घर पर आकर सबसे मिलती हैं और सबको वहाँ के किस्से सुनातीं हैं। सही कहा है किसी ने कि जहाँ चाह.. वहाँ राह..

***

19: हमको मन की शक्ति देना...

मनोज, उम्र लगभग 15 वर्ष, रेडीमेड नई ड्रेस, काली पेन्ट, पीली शर्ट गले में लाल रूमाल, काला धूप का चश्मा, सरमथुरा से जुगाड़ में बैठकर करौली मार्ग पर अपने गाँव कोनेसा के स्टैण्ड पर उतरा। मनोज आज कोयम्बटूर से आया था।

गाँव में घुसने से पहले ही उसके दो-तीन दोस्त मिल गये जिनके साथ वह कोयम्बटूर जाने से पहले पढ़ता था। आपस में मिलकर खुश हुए। गाँव के बाहर पेड़ की छाया में बैठ गए। बातें करने लगे। मनोज के हाल-चाल के साथ कुछ और दोस्तों के बारे में भी बातें हो रहीं थीं जो मनोज के साथ कोयम्बटूर गए थे। कोयम्बटूर शहर के बारे में भी बातें हो रहीं थीं। बच्चे अपने दोस्तों एवं बड़े शहर के बारे में उत्सुकता से जानकारी ले रहे थे।

बातें करते-करते मनोज ने अपनी जेब से एक तम्बाकू का गुट्खा निकाला। फाड़कर हाथ पर निकालकर अपने दोस्तों की ओर बढ़ाया। दोस्तों ने मना कर दिया, ''हम तम्बाकू गुट्खा नहीं खाते।'' पूरा गुट्खा मनोज ने अकेले खाया। पर यह क्या! थोड़ी ही देर में मनोज ने एक सिगरेट भी निकाल कर सुलगा ली और दोस्तों की ओर कर दी। दोस्तों ने इस बार भी मना कर दिया।

ये बच्चे हैं ग्राम कोनेसा के। कोनेसा ग्राम पंचायत भड़ासिल तथा तहसील/जिला धौलपुर का गाँव है जो सरमथुरा से 6 कि.मी. दूर सरमथुरा-करौली मार्ग पर बसा है। गाँव जाटव व मीणा समुदाय बाहुल्य है। राजपूत एवं ब्राहमण भी हैं। 70 परिवारों के गाँव में खेती नाम मात्र की है। लोगों का व्यवसाय खनन मज़दूरी या बाहर शहरों में पलायन कर संगमरमर घिसने या अन्य मज़दूरी करने का काम है।

बच्चे मनोज से बहुत दिनों बाद मिले थे। गहरे दोस्त थे, इसलिए गुट्खा सिगरेट पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। दूसरी बातें जानने में ही रुचि लेते रहे। मनोज भी कोयम्बटूर, काम,

उधर के रहन–सहन आदि के बारे में बताता रहा। ''शाम को वापस मिलेंगे।'' बोलकर मनोज अपने घर की ओर चल दिया।

मनोज से इस तरह की मुलाकात बच्चों के लिए एक झटका थी। वह बड़ों की तरह बातें करने लगा था। पर ज़्यादा झटका इस बात का लगा कि वह गुटखा–सिगरेट लेने लगा था। मनोज जब गया था तो गुटखा या सिगरेट कुछ भी हाथ में नहीं लेता था।

मनोज ही नहीं कोनेसा गाँव के 25–26 बच्चे, जो लगभग 13–15 वर्ष की उम्र के हैं, वे अपने परिवार के किसी सदस्य या रिश्तेदार के साथ अन्य बड़े शहरों में पलायन कर जाते है और पत्थर के काम की मज़दूरी विशेषकर संगमरमर की कटाई व घिसाई का काम करते हैं। ये बच्चे यद्यपि पैसा तो कमाते हैं लेकिन उससे ज़्यादा पढ़ने की उम्र में पैसा हाथ में होने के कारण और परिवार से दूर होने के कारण गलत आदतों के शिकार भी हो जाते हैं। मनोज भी उन्हीं में से एक है। परिवार की आर्थिक तंगी और अभाव इन बच्चों के माता–पिता को विवश करते हैं कि बच्चा पढ़ने की बजाय श्रम करें और परिवार की आर्थिक स्थिति बेहतर करने में मदद करे। मनोज काम से लौटा उसके एक–दो साथी पहले ही आ चुके थे और एक–दो बाद में आने वाले थे।

मनोज कोयम्बटूर जाने से पहले बाल मंच का सदस्य था। आज भी बाल मंच की बैठक थी जिसमें मनोज भी था। आज का चर्चा का विषय था बाल सुरक्षा। दलवीर, जो संस्था से बैठक में आए थे, उन्होंने बच्चों को सुरक्षा के अधिकार की याद दिलाई। बच्चों ने कहा, ''हमारे गाँव में बाल सुरक्षा का सबसे बड़ा मुद्दा बाल–श्रम है। सबसे ज़्यादा बच्चे बाल–श्रम से जुड़े हैं जिससे उनकी पढ़ाई छूट रही है और स्वास्थ्य पर भी गलत असर पड़ रहा है। वे बीड़ी–सिगरेट, तम्बाकू–गुटखा जैसी गलत आदतों के शिकार भी हो रहे हैं। पत्थर के काम में उड़ने वाली धूल भी बच्चों के स्वास्थ्य पर एवं भावी जीवन पर खराब असर डाल रहे हैं।'' और भी बच्चों ने अपने विचार रखे एवं बच्चों के शोषण की स्थिति पर खेद भी प्रकट किया। साथ ही इस विषय पर कार्य करने हेतु साथियों को आगे आने का आह्वान भी किया।

इन सब बातों ने मनोज को काफी प्रभावित किया। उसके अन्दर जैसे सोया हुआ हनुमान जाग गया। मनोज ने खड़े होकर बोलना शुरू किया, ''मैं रास्ता भटक गया था। यद्यपि मुझ पर घरवालों द्वारा काम करने का दबाव नहीं था फिर भी मैं दोस्तों के साथ चला गया था। अब मैं वापस काम पर नहीं जाऊँगा। अपनी पढ़ाई वापस शुरू करूँगा तथा दूसरे दोस्तों एवं उनके परिवार वालों से मिलकर उनको वापस पढ़ाई से जोड़ने का प्रयास करूँगा।'' यह कहते हुए उसने जेब से गुटखा और सिगरेट निकालकर फेंक दिए।

सभी बच्चों ने मनोज की बात पर तालियाँ बजाई। स्वागत किया। साथ ही यह आश्वासन भी दिया कि वे भी उसके साथ हैं, मिलकर प्रयास करेंगे।

मनोज ने गुटखा खाना छोड़ दिया और अपने काम में जुट गया। अपने जैसे गाँव के अन्य साथियों को काम छुड़वाकर पढ़ाई से जोड़ने के काम में। मंच के सभी बच्चे उसका सहयोग कर रहे थे। परिणामस्वरूप चालू सत्र में 7 बच्चों को बाल–श्रम से मुक्त कराया गया, 2 बच्चों को 8वीं की प्राईवेट परीक्षा के लिए तैयार किया गया तथा स्वयं सहित पाँच बच्चों का विद्यालय में पुनः नामांकन कराया। मनोज की मुहिम अभी जारी है और कोनेसा की बच्चे प्रणबद्ध हैं कि सारे बच्चों को बाल–श्रम से मुक्त करवाकर शिक्षा से जोड़ेंगे।

इस मुहिम ने बच्चों पर ही नहीं बड़ों पर भी बड़ा प्रभाव डाला है। वे भी इस मुहिम में पूरा साथ दे रहे हैं। वे अब बच्चों को मज़दूरी के लिए भेजने की बजाय स्कूल भेजने लगे हैं। उनकी और बड़ों की भी गुटखा–बीड़ी की आदतों पर नज़र रखे हुए हैं। बाल अधिकार मंच ने यह तय कर लिया कि कोई भी व्यक्ति बच्चों से गुटखा–बीड़ी आदि नहीं मँगवाएगा और उनके सामने नहीं खाएगा/पिएगा ताकि बच्चों को इनकी आदत न पड़े। आखिर यह बदलाव क्यों न हो? मन की ताकत से सब संभव है...

***

20: वापसी...

पंकज एवं उसके दोस्तों ने अगले सप्ताह नज़दीकी कस्बे में लगने वाले मेले में जाने की योजना बनाई थी। पंकज ने सोचा ''मेरे पास नए कपड़े नहीं हैं। अगर मेले में जाता हूँ तो नए कपड़े तो होने ही चाहिए। साथ ही कुछ पैसे भी चाहिए, तभी तो मेले में जाने का मज़ा है वरना क्या फायदा?''

इसी उधेड़–बुन में वह विद्यालय से घर लौटा। आते ही सारी बात माँ को बता दी और अपनी माँगें उनके सामने रख दीं। पंकज का परिवार अभाव ग्रस्त है। दिन में माँ भी शायद घर की इस परिस्थिति से जूझ रही थी और अन्दर ही अन्दर परेशान थी। पंकज की माँगों ने

तो माँ के उबाल को बाहर ला दिया और उन्होंने घर की परिस्थितियों से अनभिज्ञ पंकज के सामने सारी बातें खोल कर रख दीं, ''तुझे मेले में जाने के लिए नए कपड़ों की सूझ रही है, यहाँ तो घर का खर्चा मुश्किल से चल रहा है। मेरे से नहीं उठाए जाते ये तेरे रोज़ के खर्चे। नहीं पढ़ना तो मत पढ़ कोई काम कर ले, मज़दूरी पर जा।''

पंकज उदास होकर घर से बाहर आ गया। उदास था। मन–ही–मन वह पता नहीं किस तरह के विचार बनाये जा रहा था। जो पंकज पढ़ाई में इतना होशियार था, खूब मन लगाकर पढ़ाई करता था वह आज विद्यालय की ओर न जाकर खादान की ओर चल दिया और एक ट्रैक्टर पर काम करना शुरू कर दिया।

1–2 दिन तो दोस्तों ने भी कोई ध्यान नहीं दिया लेकिन जब पूरे सप्ताह ही वह विद्यालय नहीं आया तब इस बात को बाल मंच की बैठक में रखा गया। किसी ने बताया कि पंकज खादान में ट्रैक्टर पर मज़दूरी कर रहा है।

दो लोग पंकज को बुला लाए क्योंकि पंकज से ही बात करेंगे यह तय हुआ था। पंकज ने पूरी बात सबको बताई। सब परेशान थे, किसी को अच्छा नहीं लगा। तय किया कि वे पंकज के परिवार से बात करेंगे।

पंकज की पढ़ाई–लिखाई व बाल अधिकारों के बारे में चर्चा की लेकिन परिस्थिति पर कोई फर्क नहीं पड़ा। पंकज लगातार मज़दूरी पर जाता रहा। फर्क सिर्फ इतना पड़ा कि वह मंच की गतिविधियों से लगातार जुड़ा रहा।

इसी समय बाल मंच को उड़ीसा में होने वाले एक बाल श्रमिक सम्मेलन का निमंत्रण मिला। जब इसमें भाग लेने वालों का नाम तय हुआ तो पंकज का नाम भी उसमें शामिल था।

पंकज एवं अन्य बच्चों के लिए यह एक अनोखा अवसर था। सम्मेलन 5 दिन का था जहाँ हज़ारों बच्चे देश के अलग–अलग प्रदेशों से आए थे। अलग–अलग प्रदेशों से आए उस जैसे बच्चों से मिलना, उनके अनुभव सुनना तथा स्वयं के अनुभव सुनाना अच्छा लग रहा था।

सब बच्चे कहीं–न–कहीं, किसी–न–किसी प्रकार से बाल–श्रम से जुड़े थे और अपने हक की लड़ाई लड़ने की बात कह रहे थे। सरकार ऐसे बच्चों के लिए आवश्यक नीति बनाने की बात कर रही थी ताकि बच्चों को बाल–श्रम से मुक्ति मिले और भविष्य में बच्चों को बाल–श्रम न करना पड़े।

सभी के साथ पंकज भी गाँव लौटा। एक नई ताज़गी के साथ। अपने मंच के साथ अपना अनुभव बाँटा। वह उड़ीसा से जैसे तय करके आया था कि वह भी मज़दूरी नहीं करेगा और गाँव में अपनी उम्र के बच्चे, जो मज़दूरी पर जाते हैं, उनको भी समझा कर बाल मज़दूरी से रोकेगा।

घर आकर अपने माता–पिता से बात की। गुस्से में लिए (विद्यालय छोड़ने के) निर्णय का उसे पछतावा था। तय किया कि कैसी भी परिस्थितियाँ हों वह पढ़ेगा।

अगले ही दिन उसने विद्यालय में प्रवेश लेकर वापस अपनी पढ़ाई शुरू कर दी और साथ ही अपने गाँव के दूसरे बच्चों को जो बाल मज़दूरी से जुड़े हैं उन्हें भी समझा कर, बाल मंच एवं बाल अधिकार मंच के सदस्यों की मदद से शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने हेतु प्रयास करने लगा।

पंकज ग्राम – रीछरी, ग्राम पंचायत – चिलाचौंद, पंचायत समिति – बाड़ी, जिला – धौलपुर का रहने वाला है। रीछरी, बाड़ी–सरमथुरा रोड़ पर बाड़ी से करीब 16 कि.मी. व जिला मुख्यालय से लगभग 46 कि.मी. दूर है। गाँव में राजपूत, कुशवाहा व ब्राह्मण समुदाय के 54 परिवार हैं, खेती के अलावा सभी का मुख्य आय का साधन खनन मज़दूरी है। विकट परिस्थितियों एवं आर्थिक तंगी की वजह से बच्चों का खान में काम करना यहाँ आम दृश्य है पर बाल मंच और बाल अधिकार मंच के निरंतर प्रयास और पंकज के राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेने से हुआ उत्साहवर्द्धन इस दृश्य को बदलने में विशेष भूमिका निभा रहा है।

***

21: ग्राम कोष...

बरसात के दिन थे, पिछले तीन दिन से रुक-रुक कर बारिश हो रही थी। इस बार बरसात अच्छी हुई थी। आस-पास के नदी-नालों में पानी भर गया था। वे लगातार बह रहे थे। ऐसे में गाँव से सड़क तक पहुँचना मुश्किल भरा काम हो गया था। जगह-जगह काली मिट्टी, फिसलन, गढ्ढे आदि हो गए थे। किसी साधन को ले जाने की तो सोच ही नहीं सकते। पैदल चलने में ही पैर फिसलते थे सम्भल कर चलना पड़ता था। रास्ते में दो नाले ऐसे भी थे जिनके पार जाना काफी मुश्किल काम था।

ऐसी ही स्थिति में होरेराम व फगुनीराम किसी काम से पंचायत समिति मुख्यालय बाड़ी जाने के लिए गाँव से रवाना हुए। दोनों के हाथ में एक-एक लकड़ी थी जिनके सहारे गढ्ढे-पानी की थाह लेते हुए एवं फिसलन पर लकड़ी जमा कर चल रहे थे। आखिर आखिरी नाले के किनारे पहुँचे। बहाव थोड़ा तेज था। नाले के पेंदे की जमीन भी नजर नहीं आ रही थी। सूखे के दिनों के अन्दाज़े से पानी में उतर गए। पार करने में मुश्किल आई। दो-एक जगह तो पानी में गिरते-गिरते बचे। नाला पार कर सांस ली। आधे से ज़्यादा कपड़े गीले हो गये थे। बाहर निकल कर एक पत्थर की चट्टान पर खड़े होकर गीले कपड़ों को निचोड़ा। दोनों ने बीड़ियाँ सुलगा ली और बातें करने लगे, ''क्या ज़िंदगी है। ठीक से चल भी नहीं सकते, कैसी जगह भगवान ने जन्म दिया है।''

किस्सा है ग्राम रनपुरा, ग्राम पंचायत चिलाचौंद, पंचायत समिति बाड़ी व जिला धौलपुर का। गाँव धौलपुर से 43 कि.मी. व बाड़ी से 13 कि.मी. दूर बाड़ी-सरमथुरा रोड़ पर चिलाचौंद से 3 कि.मी. उत्तर में बसा है। 101 परिवारों के गाँव रनपुरा में ठाकुर, ब्राह्मण, जाटव, गौड़ ब्राह्मण तथा बनिया समुदाय के लोग रहते है। थोड़े बहुत कृषि एवं पशुपालन व्यवसाय के साथ मुख्य व्यवसाय मज़दूरी है।

होरेराम ने कहा, ''पिछले दिनों से गाँव में मीटिंगें तो खूब हो रही हैं, बड़ी-बड़ी बातें होतीं

हैं, बच्चों को खूब पढ़ाओ–लिखाओ, उन्हें अच्छी शिक्षा दिलाओ, खिलाओ–पिलाओ, भेद मत करो, उनसे कोई ऐसा काम भी मत कराओ जिससे उनकी ज़िन्दगी खतरे में पड़ जाए, टीकाकरण कराओ, बीमार होने पर तुरन्त अस्पताल लेकर जाओ, घर पर समय ज़ाया मत करो, अस्पताल में बच्चे का जन्म हो।''

फगुनीराम ने टोका, ''इसमें बुराई क्या है? ये सब तो गाँव व बच्चों के भले की ही बातें हैं।''

होरीराम ने हँसकर कहा, ''गाँव में आने–जाने का रास्ता तो ठीक से है नहीं, बच्चों का विकास और गाँव के विकास की बात करने चले हैं। नए–नए नेता बन रहे हैं कुछ नहीं हो सकता।

बस स्टैण्ड पर बाड़ी जाने का साधन आ चुका था। साधन में बैठकर बाड़ी पहुँचे। रास्ते में गाँव व बाड़ी के रास्ते की तुलना कर रहे थे। बाड़ी पहुँच कर भी बाड़ी और गाँव की तुलना हो रही थी। अपना काम कर, जैसे गए थे वैसे ही पानी–कीचड़ गढ्ढों को पार कर घर पहुँचे।

दूसरे दिन दो लड़के एक कागज़ लेकर गाँव में घूम रहे थे। होरेराम व फगुनीराम के पास भी पहुँचे। गाँव की आम बैठक होने की सूचना थी जिसमें गाँव की समस्याओं के समाधान एवं आगे के विकास की योजना बनाने के लिए चर्चा होनी थी।

दोनों बैठक में पहुँचे। बैठक शुरू हुई। रामचरण जी ने बात शुरू की, ''हमारे गाँव की क्या स्थिति है यह सब जानते हैं। स्कूल, सड़क, हैडपम्प, बिजली, पानी, इलाज, की सुविधाओं इत्यादि सब में हमारा गाँव बहुत पीछे है। हमें इन हालातों में बदलाव लाना है ताकि हम नहीं तो कम–से–कम हमारे बच्चों का भविष्य तो ठीक बन सके। सब राय दें।''

महिलाओं एवं बच्चों से भी राय जानी गई। सभी ने अपने–अपने विचार रखे। कैसे हो, कैसे करें पर मौन की स्थिति बन गई। फगुनीराम ने मौन को तोड़ा, ''हमें पंचायत एवं सरकार

में लिखकर देना चाहिए, बात करनी चाहिए, इसके लिए पीछे पड़ना पड़ेगा, दौड़–भाग करनी पड़ेगी। केवल बातों से ही और भाषण देने से ही कुछ नहीं होगा।''

भाग–दौड़ कौन करे? खर्च कौन करे? इस पर बात अटक गई। रामदीन एवं शशिलता ने अपनी बात रखी, दो तीन जनों को भाग–दौड़ की ज़िम्मेदारी दे दो और खर्च के लिए चंदा कर लो। दोनों की बात में दम था। बात व्यावहारिक थी। सुरेन्द्र ने भी इसमें अपना सुझाव दिया, ''खर्च के लिए चंदा इकट्ठा करना ही सही तरीका है लेकिन एक दिन का काम नहीं है, रोज़–रोज़ चंदा माँगना देना मुश्किल होगा, हमें इस समस्या का स्थायी व सही हल निकालना होगा।''

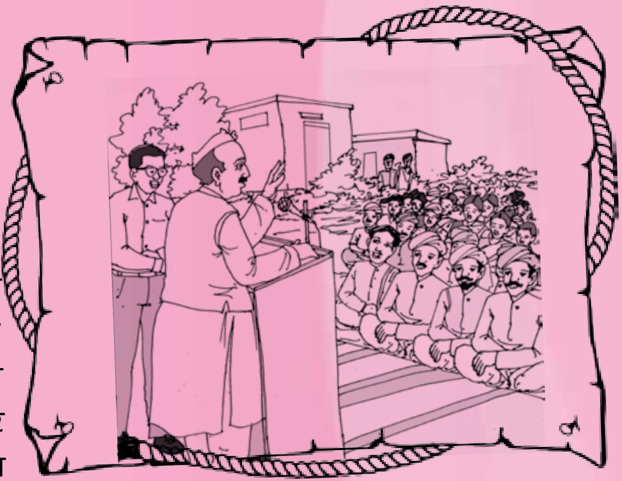

अंगूरी व विमलेश आपस में बात कर रहीं थीं। विश्राम ने टोका और कहा कि आपस में बात करने के बजाय अगर कोई सुझाव है तो सबसे कहें। अंगूरी ने कहा, ''क्यों न हम हर परिवार से हर माह एक निश्चित राशि प्राप्त करें और एक छोटी कमेटी को यह ज़िम्मेदारी दें जो इसका हिसाब रखे? ज़रूरत पड़ने पर तुरन्त खर्च करें। सभी परिवार ज़िम्मेदारी के साथ तय तारीख को बिना माँगे तय राशि जमा करा दें। इसके लिए ज़रूरी नियम भी बना लें।''

बात सबको जंची। सबसे पूछा गया, सब सहमत थे। तुरन्त कमेटी का गठन किया गया। उनको नियम बनाने के लिए व व्यवस्था बनाने के लिए बोला गया। तय किया गया कि दो दिन बाद फिर से पूरे गाँव की बैठक होगी जिसमें इस व्यवस्था पर अन्तिम निर्णय किया जाएगा।

वापस दो दिन बाद ग्राम बैठक का आयोजन हुआ, मसौदा सामने रखा गया :

1. प्रत्येक परिवार प्रतिमाह 20/–रू. इस कोष में जमा कराएगा।
2. इसका नाम ग्रामकोष होगा।
3. प्रत्येक माह बैठक में हिसाब प्रस्तुत किया जाएगा।
4. बच्चों की ज़रूरत के लिए परिवार को उधार भी इस कोष से ही दिया जायेगा, जो न्यूनतम ब्याज के साथ वापस कोष में जमा कराएँगे।
5. गाँव व बच्चों के काम के लिए ही इस कोष का उपयोग होगा।

ग्राम कोष बना, व्यवस्था सुचारू चली और कई काम हुए। नरेगा के तहत गाँव से मुख्य सड़क तक ग्रेवल सड़क और गाँव के रास्ते गलियों में खरंजा बना, गाँव का प्राथमिक विद्यालय उच्च प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नत हुआ, बच्चों के लिए खेल का सामान आया, विद्यालय में विभिन्न समारोह हुए जिनसे उसकी व्यवस्था एवं पढ़ाई की गुणवत्ता सुधारने में मदद मिली एवं अन्य छोटी–छोटी समस्याओं के समाधान आसानी से होने लगे है। महिला स्वरोजगार के लिए भी सोचा जा रहा है।

इन कार्यों को देखकर लगता है कि रनपुरा के लोगों ने अपने विकास की राह ढूँढ ली है और वे उस पर चल निकले हैं। गाँव की बैठक नियमित रूप से हो रही है जिसमें सभी वर्गों के अधिकांश लोग उपस्थित होते हैं। बैठक में आगे के विकास संबंधी निर्णय महिलाओं सहित सभी की बराबर भागीदारी होती हैं। कोष में जमा और खर्च का हिसाब बराबर प्रस्तुत किया जाता है। आवश्यकता पड़ने पर आकस्मिक बैठक व अतिरिक्त राशि संकलित करने का निर्णय भी किया गया है। बाल मंच के सदस्य भी इन बैठकों में समय–समय पर शामिल होते हैं ताकि संबंधित मुद्दों पर बच्चों का नज़रिया और उनके सामने पेश आ रही समस्याओं का समाधान हो सके। अब नहीं लगता कि कोई भी समस्या गाँव के विकास को रोक पाएगी। होरेराम भी अब संतुष्ट है।

***

22: जब जागो तभी सवेरा...

उच्च प्राथमिक विद्यालयों की कक्षा 8 का परिणाम अभी आया नहीं था। आने वाला था। ज्यों–ज्यों परिणाम निकलने का समय नज़दीक आता गया, त्यों–त्यों बच्चों एवं अभिभावकों की उत्सुकता बढ़ती गई। क्या होगा, सफलता या असफलता, इसके मिश्रित भाव सबके चेहरे पर झलक रहे थे।

आखिर परिणाम आया। पर यह क्या! कक्षा 8 के बच्चों में चार बच्चे सप्लीमेंट्री और तीन बच्चे अनुत्तीर्ण घोषित किए गए और जो उत्तीर्ण हुए उन बच्चों की श्रेणी भी कोई उत्साहवर्द्धक नहीं थी। गाँव में बच्चे एवं अभिभावक सब आश्चर्यचकित थे। सबकी ज़ुबान पर एक ही बात थी, ‘‘इतने सारे बच्चे एक ही कक्षा में सप्लीमेंट्री व अनुत्तीर्ण कैसे हो सकते हैं? कहीं कुछ–न–कुछ गड़बड़ तो जरूर है।’’

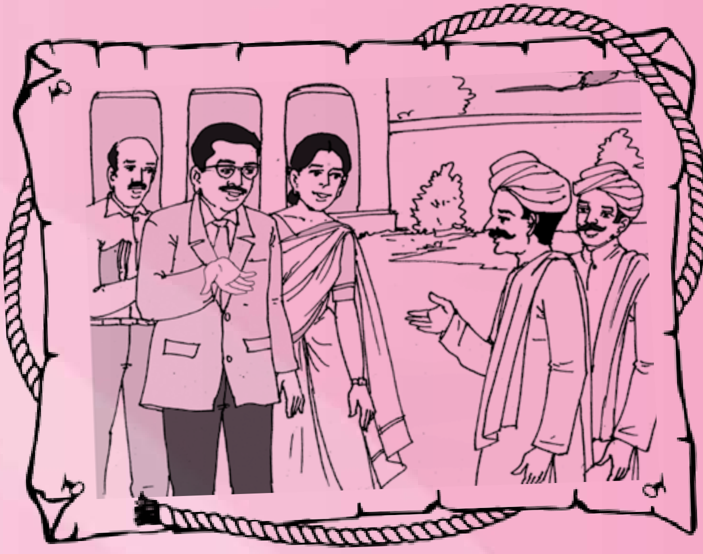

रमेश और दिनेश दोनों बातें कर रहे थे कि इतने में ही गोपाल भी आ गया। रमेश तृतीय व दिनेश सप्लीमेंट्री आया था और गोपाल अनुत्तीर्ण हुआ था। रमेश कह रहा था, ‘‘समझ में नहीं आ रहा दिनेश यह क्या हो गया?’’

दिनेश ने कहा, ‘‘यही तो होना था। तू ही बता कि कभी विद्यालय समय पर खुला है क्या? विद्यालय खुल भी गया तो क्या गुरूजी समय पर आए हैं? आते तब

भी कई बार हमने देखा कि हम सब तो कक्षा में बैठे रहते लेकिन सभी गुरूजी बाहर बैठकर गपशप करते रहते। विज्ञान वाले गुरूजी को तो मोबाइल पर गाने सुनने से समय ही नहीं मिलता था। जब देखो तब ही उनके कान में मोबाइल की डोरी लगी रहती थी।''

''गोपाल, तू ही बता इस तरह के परिणाम के लिए कौन ज़िम्मेदार है – विद्यालय के अध्यापक, हम या हमारे माँ–बाप?'' दिनेश ने पूछा।

''किसे ज़िम्मेदार बताएँ?'' रमेश ने कहा, ''और कैसे? गुरूजी पढ़ाएँगे तभी तो पढ़ेंगे, गृह–कार्य देंगे तब ही तो करेंगे, कोर्स तो गुरूजी ही पूरा करवाते, हम क्या करते इसके लिए?''

गोपाल ने कहा, ''भैया हमारी यही कमी रही कि जब गुरूजी पढ़ा नहीं रहे थे, गाने सुन रहे थे तब हमने किसी से कोई चर्चा नहीं की और न ही किसी को बताया जबकि बाल मंच में इस बात पर कितनी बार चर्चा हुई है कि बच्चों को उनके प्रति होने वाली अच्छी व बुरी बात को अध्यापकों एवं अपने से बड़ों को अवश्य बताना चाहिए। लेकिन हम यहाँ चूके, हमने किसी को नहीं बताया। बाल–अधिकार मंच में भी कई बार हमसे पूछा गया कि कोई समस्या हो तो बताओ। हमने कभी भी इस बात का ज़िक्र नहीं किया।''

पूरे गाँव और बच्चों में यही चर्चा थी। बड़ों को भी पता चल गया कि इस वर्ष विद्यालय में क्या गड़बड़ हुई है। वे भी महसूस कर रहे थे कि वे भी विद्यालय के प्रति गम्भीर नहीं हुए जबकि उन्हें पता था कि अध्यापकों का व्यवहार बच्चों के प्रति ठीक नहीं है। पढ़ाई के बजाय उनकी सोच बच्चों से गपशप व अन्य कामों में समय काटने में ज़्यादा रही है।

शाम को बाल अधिकार मंच के लोग इकट्ठे हुए। बच्चे भी आ गए थे। यही सब चर्चा इकट्ठे होकर भी की। गुमानसिंह बोला, ''भैया, एक–दो बार मैं विद्यालय की तरफ गया था। मैंने देखा भी और अध्यापकों से बात भी की। मुझे लगा कि उनका व्यवहार ठीक नहीं है। उन्हें लग रहा था कि हम कौन होते हैं उनसे कुछ पूछने वाले।''

जुलाई का महीना था। विद्यालय खुल चुके थे लेकिन उच्च प्राथमिक विद्यालय धन्नू का पुरा, पंचायत समिति बाड़ी तथा जिला धौलपुर, की व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं आया था। लोगों ने बात की ताकि इस सत्र में तो बच्चों की पढ़ाई सुचारू रूप से हो, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ।

फिर बाल अधिकार मंच के लोगों ने ब्लॉक आरंभिक शिक्षा अधिकारी साहब से मुलाकात कर उनको विद्यालय की अव्यवस्थाओं से अवगत कराया। तुरन्त व्यवस्था सुधारने का आश्वासन मिला। 9 अगस्त 2010 को अधिकारी महोदय गाँव आए। लोग तो इंतज़ार में बैठे ही थे, तुरन्त इकट्ठा हो गए। विद्यालय में बड़ी–सी बैठक हो गई। पूरी बातें विद्यालय स्टॉफ के सामने ही लोगों ने बताई। अधिकारी महोदय ने विद्यालय स्टॉफ को बच्चों की शिक्षा के साथ खिलवाड़ न करने की हिदायत दी।

शिकायतों के मद्देनज़र ब्लॉक आरंभिक शिक्षा अधिकारी ने कुछ अध्यापकों का विद्यालय से स्थानांतरण कर दिया। उनकी जगह नए शिक्षक स्कूल में लगाए गए। नए शिक्षक तो बेहतर थे ही, शेष शिक्षकों ने भी अगली स्थानांतरण की बारी स्वयं की समझकर बेहतर रूप से पढ़ाना शुरू कर दिया। अब विद्यालय बराबर खुल रहा है और सभी शिक्षक समय पर आते हैं और पूरा समय रुककर ही जाते हैं।

बाल अधिकार मंच सदस्य भी उनपर बराबर नज़र रखे हुए हैं। नियमित रूप से कोई–न–कोई सदस्य विद्यालय जाकर पढ़ाई की जाँच करता है। अब शिक्षक उन्हें रोकते नहीं है बल्कि सहयोग करते हैं। बच्चों को भी पढ़ाई की गुणवत्ता में सुधार लग रहा है। सबकी नज़र परिणामों पर है। पूरा गाँव बच्चों सहित विद्यालय की व्यवस्थाओं तथा पढ़ाई के स्तर के प्रति चौकस है।

***

23: आधा ज्ञान – पूरा नुकसान...

आज संस्था साथी के साथ एक प्राथमिक चिकित्सा के जानकार साथी भी गाँव में पहुँचे। लोगों से मिले। परिचय हुआ। कुछ बच्चे और बड़े लोग दोनों को देखकर इकट्ठा हो गए। कोई भी आयोजित कार्यक्रम नहीं था।

कमला (काल्पनिक नाम) भी देख रही थी। उसे पता चला कि कोई डाक्टर भी संस्थावालों के साथ आए हैं तो वह भी घर से निकल कर आ गई। संस्था साथी ने नमस्ते कह कर पूछा, ''कैसी हो कमलाजी ?''

''ठीक हूँ। लेकिन मेरी यह कलाई सूज रही है, बहुत दर्द हो रहा है''

''क्या हुआ ?''

''परसों नर्स बहनजी आई थीं, उसने टीका लगाया था।''

साथी समझ गए कि कमला गर्भवती है। ''दिखाओ तो।'' चिकित्सा के जानकार साथी ने कहा।

कमला ने अपनी कलाई दिखाई। सूजन थी, सूजन के साथ टीके की जगह गाँठ भी थी।

''टीका कैसे लगाया था ?''

''कलाई से बिना ब्लाउज़ हटाए लगाया था।''

''सुई नई थी या उबली हुई थी ?''

''नहीं, सुई तो उबली हुई भी नहीं थी और नई भी नहीं थी। उसी सुई से उसने एक ओर जनी को यह टीका लगाया था।''

इतने में एक ओर माँ अपने छोटे बच्चे को लेकर आ गई। बच्चे के कूल्हे में भी गाँठ थी तथा दर्द था, बच्चा लगातार रो रहा था, हाथ भी नहीं लगाने दे रहा था।

साथियों को बात समझ में आ गई कि टीकाकरण हो तो रहा है लेकिन गलत तरीके से। जो टीका बीमारियों से बचाव एवं सुरक्षा के लिए लगाया जा रहा है वही टीका जिस ढंग से लगाया जा रहा है वह अपने आप में एक खतरा है। यह सीधा लोगों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ है।

यह सब हो रहा था गाँव टोडपुरा, पंचायत समिति बाड़ी, जिला धौलपुर में। टोडपुरा बाड़ी से 12 कि.मी. एवं धौलपुर से लगभग 42 कि.मी. बाड़ी–सरमथुरा रोड़ पर है। ठाकुर एवं जाटव बाहुल्य गाँव में लगभग 50–60 घरों की बस्ती है। खेती एवं खनन मज़दूरी लोगों का व्यवसाय है।

जो लोग इकट्‌ठा थे उनसे साथियों ने बात की। टीकारण की पूरी प्रक्रिया समझाई। आवश्यकता व महत्व तो समझाया ही साथ ही लगाने के तरीके पर भी बात की। उन्होंने चेताया, ‘‘प्रत्येक व्यक्ति या बच्चे को नई सूई से ही टीका लगवाएँ।’’ साथियों ने गलत तरीके से टीका लगने से होने वाले संक्रमण के खतरे से भी अवगत करवाया।

गुरूवार को नर्स के आने का दिन था। सब लोगों में रोष था। नर्स गाँव में आई। जिनके टीके लगे थे वे महिलाएँ एवं बच्चों के अभिभावक तो झगड़ा करने पर ही उतारू हो गए थे। लोग अपनी जगह सही थे, चाह रहे थे कि नर्स की शिकायत करें।

दो लोग चाह रहे थे कि नर्स के साथ शांतिपूर्वक बात की जाए। जो समस्या हो गई है उसका समाधान करें और आगे इस प्रकार की गलती ना हो इसके लिए प्रयास करें। इसका एक कारण यह भी था कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ था बल्कि पहले भी हो चुका था। लगाए गए टीके पककर ठीक हो गए थे। यह कोई प्रकृति प्रदत्त रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता का ही करिश्मा था कि किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ। इसलिए लोगों ने कार्यवाही

के बजाय पहले बात करना ही ठीक समझा।

बात की गई। नर्स ने गलती स्वीकार की और कहा कि अगर कोई इलाज का खर्चा होगा तो वह स्वयं उसे भुगतेगी। जिनके टीके लगाए थे, सबको सँभाला, कुछ गोलियाँ दी और अगले दिन दुबारा आकर सँभालने का आश्वासन दिया।

नर्स दूसरे दिन कुछ दवाईयाँ भी लाई थी। सबको राहत थी। दोबारा बात की कि आगे के लिए क्या करें? नर्स ने कहा, ''आगे भी किसी तरह की लापरवाही नहीं की जाएगी इस बात की मैं कसम लेती हूँ।''

किसी प्रकार का संशय न रहे इसलिए तय किया गया कि जिनके टीके पक गए हैं उन्हें स्वास्थ्य केन्द्र जाकर चिकित्सा अधिकारी को दिखाया जाए। नर्स ने स्वयं उन्हें ले जाकर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर डाक्टर को दिखाया। खतरे की कोई बात निकलकर नहीं आई इसलिए सबने राहत की सांस ली। लेकिन उनके समझ में भी आ गया कि अधूरी जानकारी घातक हो सकती है विशेष तौर पर तब जब यह जानकारी स्वास्थ्य से संबंधित हो। इसलिए उन्होंने तय किया कि वे उनसे जुड़े हर मुद्दे की ज़्यादा-से-ज़्यादा सही जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। चौकस और जानकार बनने में ही समझदारी है।

***

24: संगठन में शक्ति है...

रामविलास (कल्पित नाम) आज सुबह ज़रूरी काम से बाड़ी चला गया था। जल्दी जाना था इसलिए कुछ खाया नहीं था। बाड़ी में अपने में व्यस्त था। काम निपटा कर जल्दी घर पहुँचना चाहता था। भूख तो लगी थी लेकिन कुछ खाया नहीं। सोचा अभी जल्दी ही घर पहुँच रहे हैं, घर पहुँच कर खाना ही खाएँगे। तुरंत जीप में बैठ अपने गाँव के रास्ते से मुख्य सड़क पर उतरा और पैदल ही गाँव की ओर रवाना हुआ। 40 मिनट बाद रामविलास गाँव में था।

जब रामविलास घर पहुँचा तो देखा कि ताला लगा था। पत्नी और बच्चों में से कोई भी घर पर नहीं था। पड़ौस से पता किया लेकिन किसी ने पक्का नहीं बताया कि कहाँ गए हैं? शायद पानी लेने गए हों।

रामविलास का भूख से बुरा हाल था, सोच रहा था, बाड़ी में कुछ खा लेता तो अच्छा होता, घर आकर खाने के चक्कर में भूख के मारे चक्कर आ रहे हैं। पत्नी पर गुस्सा आ रहा था, पता नहीं कहाँ गई है? यह भी तय कर लिया कि आज तो डाँटना ही पड़ेगा। इधर-उधर चक्कर लगाता रहा।

काफी देर बाद दूर गाँव की पगडंडी पर पत्नी व बच्चे आते दिखे। दोनों के सिर पर पानी के बर्तन थे। पत्नी के सिर पर दो मटकियाँ व हाथ में बाल्टी तथा बच्ची के सिर पर छोटी मटकी थी। ज्यों-ज्यों दोनों माँ बेटी नज़दीक आती गई, रामविलास का गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ता गया। आते ही आखिर पत्नी को भूख के मारे लताड़ ही दिया, ‘‘मैं भूख से मर रहा हूँ और तू जाने कहाँ जाकर बैठ गई?’’

हँसी-मिश्रित गुस्सा पत्नी को भी आया। बोली, ‘‘सुबह खाकर जाने से किसने मना किया था? फिर क्या मैं आपके इंतज़ार में बैठी रहती कि आप बाड़ी के हैंडपम्प से पानी लाने वाले हैं। मुझे तो पानी लेने ड़ेढ़-दो कि.मी. जाना पड़ता है, यह आपको थोड़े ही पता है। कभी पानी लाना पड़े तो पता चले।’’

रामविलास का गुस्सा साँतवे आसमान से ज़मीन पर आ गया। गाँव में मात्र एक ही हैंडपम्प है और वह भी पिछ्ले दो माह से खराब पड़ा है।

यह हो रहा था ग्राम चौधरीपुरा, ग्राम पंचायत चिलाचौंद, पंचायत समिति बाड़ी तथा जिला धौलपुर में। चौधरीपुरा जिला मुख्यालय से 45 कि.मी. व पंचायत समिति मुख्यालय से 15 कि.मी. दूर बाड़ी–सरमथुरा रोड पर चिलाचौंद से 4 कि.मी. पैदल के रास्ते पर दक्षिण में है। 27 परिवारों का यह गाँव है जिसमें मीणा व जाटव समुदाय के लोग रहते हैं। इनकी आजीविका मुख्य रूप से खनन मज़दूरी है। थोड़ी–बहुत खेती भी होती है।

रामविलास शांत था। रोटी भी मिल गई थी। उसके समझ में आ रहा था कि पत्नी व बच्चों को कितनी परेशानी होती है? उन्हें ही क्यों, पूरे गाँव की ही समस्या है, पीने के पानी तक की व्यवस्था नहीं है। उसने तय किया कि शाम को गाँव के सब लोगों से बात करेगा।

छोटे–से गाँव में ज़्यादा समय नहीं लगा, सब लोग शाम को इकट्ठा थे। महिलाएँ भी आ गईं थीं। बैठक का सिलसिला कई दिनों से चला आ रहा है जिसमें बच्चों की पढ़ाई व उनके बेहतर जीवन तथा अधिकारों पर बातें होती है। यहाँ बाल अधिकार मंच बना है। आज तो केवल बच्चों की ही नहीं खुद के अधिकारों पर भी बात करनी थी।

दो माह से गाँव का हैंडपम्प ठीक नहीं है जिस पर न गाँव के लोग और ना ही सरकार ध्यान दे रही है। इसी पर चर्चा कर समाधान निकालना था। रामविलास ठीक-ठाक पढ़ा लिखा था। बताया, ''गाँववाले स्वयं भी ध्यान नहीं दे रहे हैं और हैंडपम्प का मिस्त्री भी नहीं आ रहा है।''

एक प्रार्थना-पत्र तैयार किया गया जिसमें हैंडपम्प सुधारने की माँग जलदाय विभाग के इंजीनियर के नाम थी। प्रतिलिपि तहसीलदार के नाम थी। सबने हस्ताक्षर किए। पाँच रूपये प्रति परिवार चंदा भी कर लिया था।

सुबह रामविलास गाँव से एक जने को साथ लेकर बाड़ी के लिए रवाना हुआ। आज खाना खाकर गए थे, पता नहीं कितना समय लगे हैंडपम्प ठीक होने की कार्यवाही में। बाड़ी पहुँच कर जलदाय विभाग गए। एक स्थानीय पत्रकार को भी प्रतिलिपि दी और साथ लिया। वहाँ से तहसीलदार कार्यालय गए। दोनों ही जगह हैंडपम्प ठीक होने का आश्वासन मिला। सोचा दो लोगों की बात तो पक्की हो चुकी है। आश्वस्त होकर गाँव लौट। गाँव वालों को बता दिया था कि पक्की कार्यवाही करके आए हैं। जल्दी ही समस्या का समाधान हो जाएगा।

दूसरे दिन बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं थी। लेकिन यह क्या! हैंडपम्प का सामान लेकर 10 बजे से पहले ही मिस्त्री चौधरीपुरा पहुँच गए। सबने मदद की। दो घंटे के बाद हैंडपम्प से पानी चालू हो गया। रामविलास ने घर पर चाय के लिए कहलवाया। पत्नी खुश थी, चाय बनाने में बिल्कुल देर नहीं की। सब खुश थे।

घर आने के बाद रामविलास ने पत्नी से कह ही दिया 'बाड़ी से हैंडपम्प आ गया है।' दोनों हँस पड़े। साथ खड़ी बेटी को भी बात समझ में आई तो वह भी उनके साथ हँसने लगी। आखिर वह भी तो पानी के चक्कर में परेशान होती थी।

***

25: यह हक है मेहरबानी नहीं...

विद्यालय में छुट्टी की घँटी बजी। सब बच्चे जल्दी-जल्दी बस्ता समेट कर घर की ओर रवाना हुए। रघु (कल्पित नाम) कभी किताबें बस्ते में रखता तो कभी पेट पकड़ता। सब बच्चों से पीछे रह गया था। कक्षा-कक्ष बन्द किए जा रहे थे। रघु के कक्षा-कक्ष को भी बन्द करने के लिए विद्यालय का आठवीं का छात्र रामवीर (कल्पित नाम) आया। उसने देखा कि रघु पेट पकड़ कर बैठा है। पूछा, ''क्या बात हुई?''

''पेट दर्द कर रहा है।''

रामवीर ने माट्साहब को जाकर बताया कि रघु का पेट दुःख रहा है।

''तरीके से खाते नहीं, दोपहर को फोकट के खाने को दबा कर खा गया होगा, पेट नहीं दुखेगा तो क्या होगा?'' माट्साहब ने रामवीर को डाँट दिया।

रामवीर ने सोचा, ''माट्साहब को तो कोई चिन्ता ही नहीं है। रघु के बारे में ही उलटा-सीधा बोल रहे हैं। मध्याह्न भोजन के लिए भी ऐसे बोल रहे हैं जैसे हम पर कोई अहसान कर रहे हों।''

वापस रघु के पास जाकर रामवीर ने जैसे-तैसे उसका बस्ता समेटा और दोनों कक्षा-कक्ष से बाहर आ गए। रामवीर ने कक्ष को बंद कर चाबी माट्साहब को दे दी और दोनों रघु के घर की ओर रवाना हो गए। रामवीर ने अपना और रघु का बस्ता तो पकड़ा ही उसके चलने में सहारा भी दिया। रघु को उसके घर छोड़कर फिर रामवीर अपने घर रवाना हुआ।

‘‘माट्साहब ऐसा क्यों बोले? क्या उनकी ज़िम्मेदारी नहीं है कि ऐसी स्थिति में स्वयं ध्यान दें और मदद करें। आज–कल यह पेट–दर्द आम तौर पर स्कूल में बच्चों को क्यों हो रहा है? कल भी दो–तीन लड़के–लड़कियों ने पेट में गड़बड़ की शिकायत होना बताया था।’’ यही सब सोचते–सोचते घर पहुँच गया। बस्ता और कपड़े बदलकर रामवीर बाहर आया तो रघु पानी की खाली बोतल लेकर जंगल से घर की ओर से आता हुआ दिखा। दोनों गाँव के हैंडपम्प पर मिल गए। रामवीर ने हैंडपम्प चलाया। रघु ने हाथ धोए, पानी पिया।

‘‘कैसे हो रघु?’’ रामवीर ने पूछा।

‘‘ठीक हूँ, लेकिन यह सब विद्यालय के खाने के बाद ही हुआ है। दो–तीन दिन पहले भी ऐसा ही हुआ था, लेकिन इतना तेज़ दर्द नहीं था, इसलिए किसी को बताया नहीं। कल राधा, शांता, चरण सिंह (कल्पित नाम) भी ऐसा ही बोल रहे थे। राधा को तो उल्टी भी हो रही थी। बोल रही थी कि विद्यालय में खाना खाने के बाद जी मिचलाने लगा और उल्टी हो गई। खाने में अजीब–सी बदबू आ रही थी।’’

रामवीर व रघु ने तय किया कि अगले दिन इस बारे में हैडमाट्साहब से बात करेंगे।

अगले दिन दोनों हैडमाटसाब के पास गए। बात बताई। हैडमाटसाहब ने भी उलटा दोनों बच्चों को ही डाँटा। कहा, ‘‘क्या कह रहे हो, क्या खाने में हम कुछ मिला देते हैं? खुद तो खाने–पीने का ध्यान नहीं रखते और दोष स्कूल को दे रहे हैं। जाओ! अपनी कक्षा में जाकर बैठो।’’

यह हुआ ग्राम जिन्दापुरा, ग्राम पंचायत आँगई, तहसील बाड़ी, जिला धौलपुर में। लगभग 500 की आबादी वाले गाँव में जाटव बाहुल्य है। राजपूत व प्रजापत परिवार भी है। सभी का रोज़गार मज़दूरी है। खेती व पशुपालन नाममात्र का होता है।

दोनों वापस लौटे। खाने की घँटी बजी। सब लड़के खाने को बैठे। रघु व रामवीर खाना खाने की बजाय रसोई की तरफ गए तो देखा कि बनी हुई रोटियाँ ऐसे ही छोटे से अखबार पर

कागज़ पर पड़ी हैं। आधी रोटियाँ जली व मिट्टी में पड़ी हैं। दाल का भगौना रसोई के बाहर खुला पड़ा था जबकि वहाँ धूल उड़ रही थी। रसोई के आसपास व रसोई में धुआँ भी खूब उड़ रहा था। दोनों ने आज विद्यालय का खाना नहीं खाया।

शाम को बाल मंच के दो-तीन और सदस्यों को साथ लिया और निकल पड़े बाल अधिकार मंच के सदस्यों से मिलने। सब को स्थिति बताई। जब विमलेश को बताया तो उसको समझ आया कि क्यों उसके बच्चों को भी एक दिन पहले पेट दर्द हो रहा था और उसे दवा देनी पड़ी थी। खामखां बेचारों को बाहर की चीज़ें चोरी-छुपे खाने के लिए डाँट दिया। उसने और उर्मिला ने तय कर बच्चों को बताया कि कल वे स्वयं विद्यालय जाकर स्थिति देखेंगी, उसके बाद शाम को बाल अधिकार मंच की बैठक में बात करेंगी।

दोनों विद्यालय गईं। सीधी रसोई की ओर चलीं गईं। दंग रह गईं खाना बनने की स्थिति को देख कर। बातें कर चलीं आईं। सोचा, देख तो लिया, बच्चे सही कह रहे थे, शाम को सबसे बात करके ही आगे का कदम उठाएँगे।

शाम को बैठक हुई। इन दो दिनों में यह बात हर घर में फैल गई थी। बच्चों को भी सुना। दूसरे लोग भी अपने बच्चों के बारे में ऐसा ही बोल रहे थे। किसी ने डाक्टर को दिखाया, किसी ने बच्चे को चूरण दिया, किसी ने अजवायन दी। बच्चों एवं महिलाओं की बात से यह पक्का हो गया था कि विद्यालय में बनने वाले मध्याह्न भोजन की व्यवस्था ठीक नहीं है। तय किया कि हरीओम, सीताराम, विमला व विमलेश तथा रामहेतु (कल्पित नाम) मिलकर अगले दिन विद्यालय में इसके लिए जाकर मिलेंगे तथा व्यवस्था सुचारू करने पर बात करेंगे।

दोपहर के समय सभी लोग विद्यालय पहुँचे। भोजन चल रहा था। स्थिति वही थी। रोटियाँ या तो कच्ची-जली हुई थीं या दाल अच्छी नहीं थी। विद्यालय स्टॉफ चकित था क्योंकि एक दिन पहले दो महिलाएँ रसोई देखकर गई थीं और आज काफी महिला-पुरुष उसी समय आए हैं। रामवीर व रघु भी खाना खाने के बजाय उनके साथ हैं। भोजनावकाश में विद्यालय के सभी शिक्षक एक जगह बैठ अपना भोजन अलग कर रहे थे। भोजन व्यवस्था पर किसी

का ध्यान नहीं था। सभी लोग शिक्षकों के पास गए, नमस्कार के बाद पास पड़ी बैंच पर बैठ गए। रघु व रामवीर खड़े थे। रामहेतु ने प्रधानाध्यापक जी को संबोधित कर पूरी बात बताई। भोजन मीनू पर भी बात चली लेकिन उसी दिन का खाना मीनू के अनुरूप नहीं था। बच्चों के उल्टी–दस्त की बात भी हुई।

अध्यापक अपनी लापरवाही को स्वीकार करने को तैयार नहीं थे लेकिन जब विमलेश ने अपनी आँखों–देखी कमियाँ गिनाईं तो उनके पास मानने के सिवाय कोई चारा नहीं था। विमलेश ने यह भी कहा कि मध्याह्न भोजन अध्यापकों की मेहरबानी नहीं बल्कि ज़िम्मेदारी है और बच्चों का अधिकार है।

''बच्चों का खाना गुणवत्तापूर्ण एवं मीनू के अनुसार हो, इसके लिए हम लोग क्या मदद कर सकते हैं, बताएँ। जो चल रहा है वह ठीक नहीं है, विभागीय समस्या है तो हमें बताएँ, हम विभाग से सम्पर्क कर सकते हैं।'' सीताराम का यह आग्रह भी था और चेतावनी भी।

प्रधानाध्यापक जी व अन्य शिक्षकों के पास व्यवस्था के सुधारने के अलावा कोई चारा नही था।

दूसरे दिन के खाने में सुधार हुआ, बच्चे भी सचेत थे, बाल अधिकार मंच सदस्यों में से कोई–न–कोई खाने के समय मौजूद रहने लगे। बड़े–बड़े अक्षरों में मीनू का कागज़ भी रसोई के बाहर लगा दिया था। पेट दर्द व उल्टी की शिकायत समाप्त हो गई थी।

शिक्षकों का व्यवहार भी संयत हो गया। उन्हें समझ में आ गया कि गुणवत्तापूर्ण मध्याह्न भोजन उनकी ज़िम्मेदारी है। मेहरबानी अगर है तो समुदाय और बच्चों की है जिनकी वजह से उन्हें इस ज़िम्मेदारी निभाने के अवसर के रूप में एक प्रतिष्ठापूर्ण रोज़गार प्राप्त हुआ है।

***

26: बदलाव का रंग...

गीता देवी और रामकुमारी को ज़रूरी काम से बरोली जाना हुआ। ये दोनों बरोली क्वार्टर गाँव की रहने वाली हैं। बरोली से बरोली क्वार्टर गाँव की दूरी ज़्यादा नहीं है। नैरो गेज की धौलपुर से सरमथुरा रेलवे लाईन के पास बसा है बरोली क्वार्टर। रेलवे के क्वार्टर की वजह से गाँव का नाम बरोली क्वार्टर पड़ा। बरेली क्वार्टर 27 परिवारों की बस्ती है, जहाँ सभी समुदाय के लोग हैं और खेती के साथ मुख्य व्यवसाय पत्थर खनन मज़दूरी है।

बरोली से जब अपना काम खत्म कर दोनों वापस गाँव लौटने लगीं तो बरेली के बाहर रास्ते पर एक बड़ा-सा भवन बनता दिखाई दिया। चारों ओर खाली जगह छोड़ने के बाद चारदीवारी भी बन रही थी। दोनों सोचने लगीं कि बरौली में इतना बड़ा घर कौन बनवा रहा है?

सामने से ही घास का गट्ठर सिर पर धरे, विमला आती दिखाई दी। विमला दोनों के जान-पहचान की थी। दोनों विमला से बाड़ी में बाल अधिकार मंच की प्रशिक्षण कार्यशाला में मिलीं थीं। विमला दोनों को देखकर रुकी और गट्ठर भी नीचे उतार दिया। आपस में राम-राम हुई। मिलकर खुश थीं, एक-दूसरे के हाल पूछने के बाद गीता ने विमला से पूछा, ''यह इतना बड़ा मकान किसका बन रहा है, काफी बड़ा है?''

विमला ने बताया, ''यह मकान नहीं, विद्यालय भवन बन रहा है।''

''कौन बनवा रहा है? हमारे यहाँ तो छोटी-सी पाठशाला है'' रामकुमारी बोली।

''भवन तो सरकार बनवा रही है लेकिन देखरेख हिसाब, किताब, शाला विकास एवं प्रबंधन समिति करती है। मैं भी उस समिति का हिस्सा हूँ। याद है, बाड़ी में प्रशिक्षण में इस समिति पर खूब चर्चा हुई थी। हमने आते ही गाँव में इस पर काम शुरू कर दिया और आज यह नतीजा सामने है। विद्यालय भवन भी बन रहा है, पढ़ाई भी अच्छी चल रही है, दूसरी व्यवस्थायें भी बन गई है जैसे खेल मैदान, खेल का सामान आदि। मध्याह्न भोजन

के लिए रसोई व बच्चे व बच्चियों के लिए अलग से शौचालय भी बन रहे हैं। विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे एवं बच्चियों तथा गाँव वाले सब खुश हैं। क्या आपके यहाँ यह समिति नहीं बनीं है?''

''हमें लगता है कि हम इस काम में पीछे रह गए, कल बाल अधिकार मंच की बैठक है, कल ही बात करेंगे'' रामकुमारी ने कहा।

गीतादेवी, रामकुमारी ने विमला से चलने की इजाज़त माँगी। विमला ने चाय पीने के लिए घर चलने को कहा लेकिन समय ज़्यादा होने की वजह से दोनों ने इजाज़त ली। गट्ठर को विमला के सिर पर रखवाया और दोनों गाँव के लिए रवाना हो गईं। पूरे रास्ते में बरेली में बन रहे विद्यालय भवन तथा वहाँ बनी विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति पर ही चर्चा करतीं रहीं। गाँव आ गया दोनों ने अपने-अपने घर की राह ली।

बाल अधिकार मंच की बैठक हुई। सभी लोग विद्यालय व्यवस्था पर चर्चा करने लगे। कोई बच्चों के मध्याह्न भोजन की चर्चा कर रहा था क्योंकि विद्यालय में बच्चों को भोजन समय पर नहीं मिलता था, कोई पढ़ाई की शिकायत कर रहा था, तो कोई विद्यालय भवन और उसकी बिगड़ी हालत की चर्चा करना चाह रहा था। गीता ने कहा, ''आप लोग जो भी कह रहे हैं वह सब ठीक है लेकिन विद्यालय की व्यवस्था सुधारने तथा व्यवस्था संचालन के लिए जितना विद्यालय स्टॉफ ज़िम्मेदार है, उतने ही हम लोग भी हैं। इस व्यवस्था के लिए विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति का प्रावधान है, यह बात हमने बाड़ी प्रशिक्षण से लौटकर बताई थी लेकिन अब तक भी हम विद्यालय जाकर इस बात पर चर्चा नहीं कर पाए हैं।''

बाकी लोग अभी भी पहल करने में सक्रियता नहीं दिखा रहे थे पर जब गीता ने बरोली स्कूल के बारे में अपनी आँखों देखी और विमला से हुई बातचीत के बारे में बताया तो उनकी आँखें मानो खुल गईं। गीता और रामकुमारी की तरह उन्हें भी शर्मिंदगी महसूस हुई और तय किया कि जो बीत गया सो बीत गया। अब वे और देर नहीं करेंगे। तुरन्त गीता, रामकुमारी तथा दो और सदस्यों, चन्दन सिंह एवं राजकुमार, का विद्यालय के प्रधानाध्यापक

जी से मिलकर शाला विकास प्रबंधन समिति पर बात करना तय हुआ।

चारों मिलकर विद्यालय पहुँचे। प्रधानाध्यापक जी भी इस बात पर पहले से ही सोच रहे थे क्योंकि उनके अनुसार प्रयास के बावज़ूद भी समिति नहीं बनी थी। जैसे ही चारों लोगों ने इस पर चर्चा की प्रधानाध्यापक जी ने कहा, ''मैं इसके लिए मिलना चाह रहा था। अच्छा हुआ आप लोग ही आ गए। आपके प्रस्ताव का स्वागत है। मैं तैयार हूँ। आप अगर कल ही गाँव की बैठक बुला लें तो समिति का गठन किया जाए। पहले ही बहुत देर हो गई है।''

सब तैयार थे। बच्चों के माध्यम से अगले दिन की अभिभावक बैठक की सूचना गाँव में करवा दी गई। साथ ही चारों ने मिलकर शाम को पूरे गाँव से सम्पर्क किया।

अगले दिन 11 बजे बैठक चालू हुई। लगभग हर परिवार से कोई–न–कोई सदस्य उपस्थित हुआ। वार्ड पंच व शिक्षक भी मौजूद थे। प्रधानाचार्य जी ने समिति की ज़रूरत, भूमिका और महत्व आदि के बारे में बताया। इसके बाद गीता और रामकुमारी ने भी विद्यालय प्रबंधन समिति की आवश्यकता पर अपनी बात कही। सबकी आम सहमति से विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन हुआ, सबने एक दूसरे को बधाइयाँ दीं। बच्चों को बतासे बाँट कर उनका मुँह मीठा करवाया गया। विद्यालय की भावी योजना पर काम शुरू करने का भी उसी समय निर्णय लिया गया और इसके लिए शिक्षा विभाग को भेजने हेतु विद्यालय विकास का प्रस्ताव तैयार करने के लिए समिति को दो सप्ताह का समय दिया गया।

दो सप्ताह बाद वापस अभिभावक बैठक हुई जिसमें समिति द्वारा पेश प्रस्ताव पर व्यापक विचार–विमर्श हुआ। चर्चा में स्वीकृत सुझावों को शामिल करते हुए प्रस्ताव को अंतिम रूप देकर ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी को देने हेतु प्रधानाध्यापक महोदय को सुपुर्द किया गया। उम्मीद है कि प्रस्ताव जल्द ही स्वीकृत हो जाएगा। अगले वित्तीय वर्ष में काम भी शुरू हो जाएगा।

बरोली क्वार्टर के लोगों के लिए यह पूरी प्रक्रिया सीख भरी थी। उन्हें नहीं पता था कि उनके

इस कदम से विद्यालय विकास में इस तरह तेज़ी आ जाएगी। बच्चे ख़ुश हैं ही। गीता और रामकुमारी भी उत्सुक हैं बरोली क्वार्टर के स्कूल को बरोली के स्कूल जैसा बनते देखने के लिए।

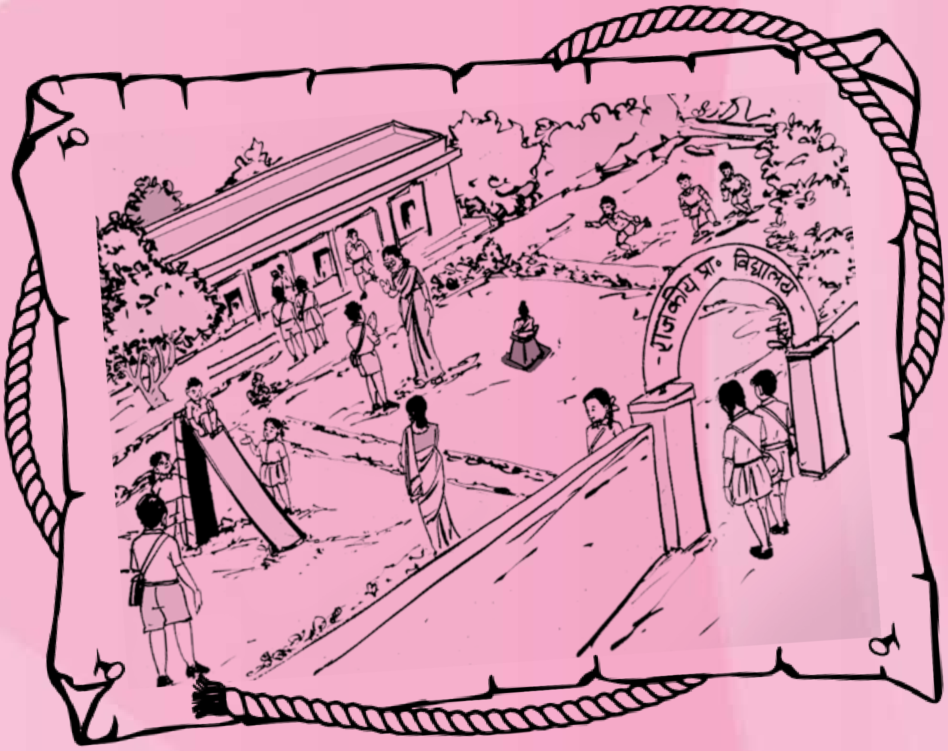

***

27: लड़की लड़का एक समान...

शाम के चार बजे थे। राधा एवं मुरारी बस से उतर कर अपने गाँव जा रहे थे। रास्ते में राजेश एवं कमला मिले जो खेत से गाँव लौट रहे थे। चारों साथ हो गए। मुरारी एवं राजेश आगे चल रहे थे। राधा एवं कमला पीछे साथ–साथ बातें करतीं चलीं। राजेश ने मुरारी से पूछा, ''आज दोनों पति–पत्नि कहाँ से आ रहे हैं?''

''धौलपुर से।'' मुरारी ने बताया, ''पत्नि की तबीयत खराब थी।''

कमला ने भी यह बात सुनी, तो राधा से पूछा, ''क्या हुआ राधा तुम्हें? तुमने मुझे तो कुछ नहीं बताया।''

राधा और कमला अब तक दूसरी बातें कर रही थी। जब तबीयत की बात आई तो कमला ने राधा से पूछा, तो राधा ने बताया, ''कुछ दिन चढ़ गए हैं, उसकी जाँच करवाने गए थे।''

''क्या बताया डाक्टर ने?''

''डाक्टर ने बताया कि कुछ दिनों बाद आएँ, इतनी जल्दी गर्भ में लड़के या लड़की का पता नहीं चल सकता।'' राधा ने बताया।

कमला यह बात सुनकर सन्न रह गई। गाँव आ चुका था। दोनों परिवारों ने अपनी–अपनी राह ली।

घर के काम के बाद व खाने के बाद राजेश एवं कमला बात करने बैठे। कमला ने पूछा, ''क्या बता रहा था मुरारी? ये लोग क्यों गए थे धौलपुर?''

''उसकी पत्नि की तबीयत खराब थी, डाक्टर को दिखाने गया था।'' राजेश ने सहज ही बता दिया।

कमला ने कहा, ''आपको पता है वास्तविकता क्या है?''

''वास्तविकता मतलब?'' राजेश चौंका।

कमला ने बताया, ''राधा को कोई तकलीफ नहीं थी। वह तो गर्भ की जाँच करवाने ले गया था कि गर्भ में लड़का है या लड़की। डाक्टर ने उसे बताया कुछ दिन बाद आना, अभी जल्दी है, लड़का या लड़की का पता नहीं चल सकता।''

दोनों बातें करते-करते गंभीर हो गए। कमला कहने लगी, ''यह तो पाप है। लड़की अगर गर्भ में है तो उसे गर्भ में ही समाप्त करा पाप कर रहे हैं।''

''पाप भी है और कानूनन अपराध भी।'' राजेश ने कहा।

''इस पाप से गाँव को बचाने की कोशिश करनी चाहिए। हम लोगों से इस बात पर चर्चा करेंगे।'' दोनों ने बीड़ा उठाया।

दूसरे दिन लिंग-जाँच एवं उसके प्रभाव इत्यादि चर्चा के विषय बन गए। कमला-राजेश ने कोई नाम उजागर नहीं किया था। अपरोक्ष रूप से बात हो रही थी। बाल अधिकार मंच की बैठक हुई। संस्था से भी दो लोग इस बैठक में आए थे। तय विषयों पर बात हो चुकी तो राजेश ने संस्था कार्यकर्त्ताओं से कन्या भ्रूण हत्या एवं लिंग-जाँच पर बात करने का आग्रह किया।

संस्था साथियों ने इस बात पर विस्तार से चर्चा की और देश एवं जिले में मौजूदा लिंगानुपात की चर्चा की। साथ ही घटते लिंगानुपात के कारण वर्तमान एवं भविष्य में आने वाली सामाजिक स्थितियों पर भी चर्चा की। भारतीय संस्कृति एवं शास्त्रों में वर्णित नारी के महत्व पर बात करते हुए नारी शक्ति, परिवार एवं समाज में उसके महत्व के बारे में बताया। भ्रूण जाँच बाल अधिकारों के भी खिलाफ है।

आखिर राजेश से ही इसपर बात करने को कहा क्योंकि उसी ने यह मुद्दा उठाया था। राजेश ने कहा, ''जो काम परिवार समाज व कानून के खिलाफ है उससे गाँव को बचाया जा सके तो इस पाप से बचें। अगली बैठक तक सब लोग इस पर विचार-विमर्श करेंगे तथा गाँव के सभी लोगों की राय जानी जाएगी विशेषकर महिलाओं की। सबकी राय के बाद अगली बैठक में दोबारा बात होगी।''

किस्सा है गाँव बत्तीपुरा का। बत्तीपुरा बाड़ी नगर पालिका के अंतर्गत आता है। 45 परिवारों के बत्तीपुरा में सभी लोग जाटव समुदाय के हैं। लोगों का मुख्य व्यवसाय पत्थर खनन मज़दूरी है। थोड़ी-बहुत खेती भी होती है।

बाल अधिकार मंच की बैठक शुरू हुई। आज सामान्य उपस्थिति के बजाय लगभग पूरा गाँव ही बैठक में आया था। एक ही विषय था गाँव को भ्रूण-हत्या एवं लिंग-जाँच से बचाना। सबने अपनी-अपनी राय प्रकट की। आखिर तय हुआ :-

1. लड़का और लड़की, दोनों में किसी प्रकार का भेद-भाव नहीं होना चाहिए।
2. बत्तीपुरा में कोई भी गर्भ में लिंग-जाँच नहीं करवाएगा।
3. जाँच उसी परिस्थिति में करवाई जाएगी जब गर्भवती माँ या गर्भ में पल रहे बच्चे की सुरक्षा के लिए आवश्यक हो तथा डाक्टर इसके लिए सलाह दे।
4. अगर कोई भी परिवार इस व्यवस्था के खिलाफ जाकर लिंग-जाँच करवाएगा तो उसे गाँव एवं समाज से बहिष्कृत कर दिया जाएगा।

हर परिवार के मुखिया ने इस व्यवस्था की सहमति में हस्ताक्षर किए तथा हर परिवार से एक शपथ-पत्र भी लिया जाना तय रहा। स्थानीय आँगनवाड़ी कार्यकर्त्ता, आशा सहयोगिनी गाँव में ही रहने वाली दाई, जन मंगल जोड़ा, वार्ड पंच एवं ग्राम स्वास्थ्य समिति के सदस्यों को इस बैठक में विशेष रूप से बुलाया गया था। उन्हें गर्भवती महिलाओं एवं नव विवाहित जोड़ों पर इस नज़रिए से विशेष ध्यान रखने के लिए भी कहा गया। इस हेतु कार्यकत्ताओं और

समुदाय सदस्यों, जिनमें कुछ महिलाएँ भी शामिल थी उनकी एक टीम बनाई गई जिसको नव–विवाहितों और गर्भवती महिलाओं का आवश्यक विवरण सहित सूची बनाने की हिदायत दी गई ताकि उनका ध्यान रखा जा सके।

यह सूची अब बन चुकी है और बाल अधिकार मंच के पास सुरक्षित है। समय–समय पर उसमें जानकारियाँ अद्यतन (अपडेट) की जा रहीं हैं। भ्रूण लिंग जाँच न केवल कानूनन अपराध है बल्कि एक नैतिक रूप से अमानवीय एवं अधार्मिक है इस बारे में भी जागरूकता चर्चाओं और अन्य माध्यमों से फैलाई जा रही है। किशोरी बालिकाओं को भी इस संबंध में जागरूक बनाया जा रहा है क्योंकि इसका मूल कारण समाज में व्याप्त लिंग भेद तथा महिलाओं व बच्चियों के खिलाफ हिंसा और दहेज जैसी कुप्रथाओं का प्रचलन है। कोशिश की जा रही है कि इन बुराईयों के खिलाफ भी सामाजिक व्यवस्था बन सके। उम्मीद है कि ये व्यवस्थाएँ शीघ्र ही बन जाएँगी। बत्तीपुरा अब लिंग–जाँच से मुक्त है।

***

28: शराब... कभी नहीं...

मुख्य सड़क से गाँव जाने वाली सड़क के लिए मिट्टी खोदी गई थी। उसी मिट्टी के गड्ढे सड़क के दोनों ओर बन गए थे। शाम का समय था। अंधेरा नहीं हुआ था। मोहन व रवि (काल्पनिक नाम) दोनों साइकिल से गाँव आ रहे थे। दोनों ने देखा कि एक गड्ढे के आसपास कुछ लोग व बच्चे खड़े हैं। दोनों ने साइकिल रोककर खड़ी कर दी और खड़े लोगों के पास गए। पता लगा कि इनके गाँव के ही दो लोग गड्ढे में पड़े हैं, पास ही शराब की बोतल व गिलास रखे हुए हैं। दोनों उठने की कोशिश कर रहे हैं, एक-दूसरे को बार-बार उठने के लिए कह भी रहे हैं लेकिन दोनों से उठा नहीं जा रहा। एक बीड़ी सुलगाने की कोशिश कर रहा है लेकिन बार-बार हाथ से बीड़ी गिर जाती है या माचिस की तीली। आसपास भी ऐसी ही माचिस की तीलियाँ और बीड़ियाँ बिखरीं पड़ीं हैं। एक दूसरे को गाली दे रहे थे। एक कह रहा था, ‘‘आज तूने मेरे सारे पैसे जीत लिए, तुझे तो कल देखूँगा।’’ दूसरा भी कुछ ऐसी ही हरकत कर रहा था और कह रहा था, ‘‘बेईमानी तूने की।’’

दोनों का माजरा देख कर समझ में आ गया कि दोनों ने आज कहीं-न-कहीं जुआ खेला है और सारा पैसा हार गए हैं और शराब भी पी रखी है।

मोहन एवं रवि ने उन दोनों को उठा कर गाँव चलने के लिए कहा लेकिन वे वैसे ही उठ पड़ रहे थे और चलने की स्थिति में नहीं थे। ऐसे में बच्चों ने सोचा कि गाँव में जाकर बताते हैं। दोनों ही अपनी साइकिल उठा कर चल दिए। आपस में बात करते जा रहे थे। मोहन, जो साईकिल चला रहा था, ने कहा, ‘‘अपने गाँव में इतने दिन से बाल मंच में हम शराब और जुएँ से होने वाले नुकसान की बात करते हैं। यह मुद्दा एक-दो बार बाल अधिकार मंच में भी आया था लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ।’’

दोनों ही माया और रघु (कल्पित नाम) के बारे में सोचने लगे क्योंकि शराब पीने वालों में एक माया के पापा थे तो दूसरे रघु के। दो दिन पहले ही माया ने बताया था कि उसके

पापा शराब पीकर आए थे और घर में धमाल किया। माँ के भी थप्पड़ मार दिया और उसे भी डाँटा। गालियाँ भी निकालीं। ऐसा ही रघु ने भी बताया था।

मोहन एवं रवि तरवा गाँव के रहने वाले हैं। तरवा रहरई ग्राम पंचायत का गाँव हैं। ब्लॉक बसेड़ी से एवं जिला मुख्यालय धौलपुर का यह गाँव 70 परिवारों की बस्ती है जिसमें जाटव एवं मीणा समुदाय के लोग रहते हैं। सभी की आय का मुख्य साधन खनन मज़दूरी है। गाँव तक पक्की सड़क है, प्राथमिक विद्यालय एवं आँगनवाड़ी केन्द्र भी है। पीने के पानी के लिए सार्वजनिक टँकी है जो बहुत पहले बनी हुई है। उसे अब पाइप लाईन से जोड़ा गया है। जुआ, सट्टा और शराब की आदतों से गाँव की महिलाएँ एवं बच्चे परेशान हैं।

मोहन एवं रवि गाँव पहुँचने से पहले गाँव के बाहर एक बार फिर रुके और बात करने लगे, ''यार रवि, इस समस्या का तो कुछ समाधान करना ही चाहिए, हम सब बच्चे परेशान हैं।''

रवि बोला, ''आज हम बड़ों से बात करते हैं। या तो वे सहयोग करें नहीं तो हम बच्चे ही कुछ–न–कुछ करें।''

''ठीक है पहले घर चलते हैं। खाना खाकर वापस मिलते हैं।''

दोनों खाना खाकर वापस मिले। रामवीर, कुन्दन, माया एवं रघु को भी बुला लिया। सब मिलकर बात कर रहे थे। कुन्दन ने कहा, ''मेरा एक दोस्त है जो पड़ौसी गाँव रहरई का रहने वाला है। उसने बताया कि उसके गाँव में शराब एवं जुआ–सट्टा का उत्पात था लेकिन गाँव ने मिलकर बन्द करवा दिया। अगर गाँव में कोई शराब पीता है या जुआ खेलता है तो उस पर जुर्माना करते हैं। अगर इस पर भी कोई नही मानता तो उसका जाति एवं गाँव से बहिष्कार जैसे दण्ड का भी नियम बनाया है।''

सब बच्चे मिलकर बड़ों से मिलने के लिए गाँव में निकले। पता चला कि सब लोग गाँव के चबूतरे पर बैठे हैं। उसी तरफ बच्चे भी चल दिए। सड़क किनारे गड्ढे में शराब पीकर

पड़े लोगों की खबर इनके पास थी और उसी पर चर्चा हो रही थी। कुन्दन ने रहरई वाली बात बताई।

बाल अधिकार मंच के दो सदस्यों ने भी रहरई के किस्से के बारे में बताया। निर्णय हुआ कि वे भी इसी तरह का कुछ करेंगे। दूसरे दिन गाँव की बैठक बुलाना तय हुआ। सब लोगों को खबर करने एवं बुलाने की ज़िम्मेदारी बच्चों ने ली। बच्चों ने सभी को ग्राम बैठक में विचारणीय विषय के बारे में भी बताया।

निश्चित समय पर सभी गाँव वाले इकट्ठा हो गए। इनमें महिलाएँ ज़्यादा थीं। विचार–विमर्श शुरू हुआ। सभी लोग इस बुराई से त्रस्त थे। मौका ढूँढ रहे थे कि कब गाँव इस बुराई से मुक्त हो। पूरा गाँव सहमत था कि गाँव स्तर पर शराबियों व जुआरियों पर कार्यवाही की जानी चाहिए। सभी रहरई का उदाहरण दे रहे थे। सबकी सहमति से निम्न कार्यवाहियाँ तय हुईं :–

- गाँव में अगर कोई शराब पीता है तो उस पर 1100 रु. जुर्माना गाँव करेगा।
- जुआ–सट्टा–ताश खेलने वाले को भी 1100 रु. जुर्माना देना होगा।
- बिना पैसे के भी ताश खेलने वालों पर भी यही नियम लागू होगा।
- जुर्माने का पैसा गाँव कोष में जमा होगा जो ग्राम विकास एवं बच्चों के विकास पर खर्च किया जाएगा।
- जो कोई चोरी–छिपे भी दोनों गतिविधियों (शराब व जुआ) में शामिल होगा, उसकी सूचना देने वाले को 100 रु. का इनाम दिया जाएगा।
- इस व्यवस्था की देखरेख 15 लोगों की समिति करेगी।

गाँव के दोनों ही समुदाय (जाटव–मीणा) इस पर सहमत हुए तथा इस प्रस्ताव पर प्रत्येक ने सहमति के हस्ताक्षर किए।

तरवा जुआ–सट्टा एवं शराब के खिलाफ कदम उठा चुका है। गाँव इन बुराईयों से मुक्त है और बाल मित्रवत गाँव बनने की तरफ अग्रसर है। जब समुदाय द्वारा तय दंडों की सूचना शराबियों व जुआरियों को लगी तो उन्होंने इन्हें छोड़ने में ही भलाई समझी। एक व्यक्ति ने जोश में आकर उल्लघंन किया मगर जब गाँववालों ने इसे रंगे हाथों पकड़ लिया और

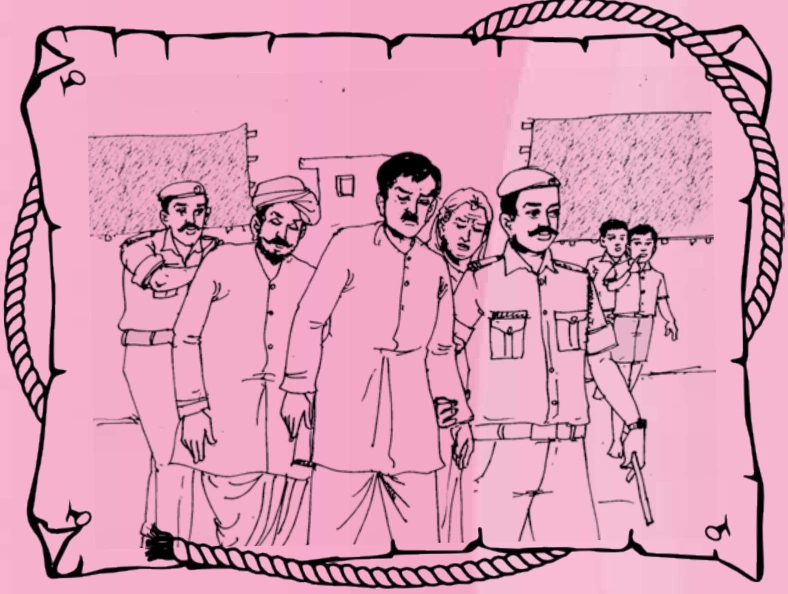

सबके सामने लाकर उसे दंड की बात बोली तो उसका जोश ठंडा हो गया। उसने माफी माँग ली। गाँववालों ने भी पहले केस में नर्म रूख अपनाया और उसे केवल चेतावनी देकर छोड़ दिया। मगर साथ ही आगे किसी को को माफ न करने का ऐलान भी कर दिया।

अब गाँव में किसी की हिम्मत नहीं होती कि इन नियमों का उल्लघंन करे। तरवा ऐसे में जुआ, सट्टा और शराब से मुक्त हो गया है। सब खुश हैं। महिलाएँ और बच्चे विशेष रूप से राहत महसूस कर रहे हैं क्योंकि इन सबकी वजह से उन्हें अत्यधिक प्रताड़ना का सामना करना पड़ता था। तरवा इस कदम के साथ बाल मित्र गाँव बनने की ओर अग्रसर हो गया है।

***

29: पास-फेल का खेल...

विद्यालय में परीक्षाएँ समाप्त हो चुकीं थीं। बच्चे खुश थे। उन्होंने राहत की सांस ली थी। पूरा दिन खेलकूद में बीतता लेकिन यह खेलकूद ज़्यादा दिन आनन्द नहीं दे सका। जैसे-जैसे परीक्षा परिणाम का दिन नज़दीक आता गया, बच्चों की धड़कने बढ़ने लगी। बच्चे खेलकूद में कम और ज़्यादा समय परीक्षा के परिणाम के कयासों पर लगाने लगे। हर बच्चा अपनी तरह से सोच रहा था और घनिष्ठ मित्र को अपनी सोच बता रहा था। कोई कह रहा था ''मेरे सारे पेपर अच्छे हुए हैं, थोड़ा-सा गणित में धोखा है।'' कोई कह रहा था ''मेरे पेपर तो ठीक ही हुए हैं लेकिन क्या होगा बोल नहीं सकते।''

उन्हीं बच्चों में 13 वर्षीय रवि भी एक था जिसने सातवीं की परीक्षा दी थी। संयोग से वह पास नहीं हुआ। गुम-सुम रहने लगा। खाने में भी आना-कानी करने लगा। माँ-पिताजी ने हिम्मत भी बँधाई थी, ''कोई बात नहीं, इस बार अच्छे अंको से उत्तीर्ण हो जाओगे।'' दोस्त भी उसको तरह-तरह से समझाते लेकिन रवि के मन में जाने क्या चल रहा था, न तो उसने किसी को बताया और न कोई समझ सका।

रवि ग्राम फोंदे का पुरा, ग्राम पंचायत विश्नोदा तथा तहसील/जिला धौलपुर का रहने वाला है। फोंदे का पुरा धौलपुर से 18 कि.मी. दूर है। 350 लोगों की आबादी के 40 परिवार सभी जाटव समुदाय के हैं। थोड़ी-बहुत खेती के अलावा सभी की आय का मुख्य व्यवसाय खनन मज़दूरी है।

विद्यालय खुलने के दिन रवि वहाँ नहीं गया। यद्यपि परीक्षा-परीणाम आने के बाद विद्यालय खुलने के बीच में गर्मियों की छुट्टियों में उसने खानों में जाकर गिट्टी तोड़ना शुरू कर दिया था लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। माँ-पिताजी ने भी सोचा, ''चलो कोई बात नहीं, इसका मन तो लगा रहेगा। थोड़े-बहुत पैसे भी उसके हाथ में आ जाएँगे। विद्यालय खुलेंगे तो गिट्टी तोड़ना बन्द कर पढ़ने चला जाएगा।'' लेकिन रवि विद्यालय जाने की जगह खान

पर ही गया और गिट्टी तोड़ने का काम चालू रखा।

शाम को जब खान से लौटा तो माँ–पिताजी ने समझाया लेकिन रवि विद्यालय जाने को तैयार नहीं था। वह लगातार खान में जाता रहा। दोस्तों ने दो–तीन दिन तो ध्यान नहीं दिया पर जब ज़्यादा दिन बीत गए तो विद्यालय में चर्चा हुई कि रवि विद्यालय क्यों नहीं आ रहा? एक दिन दोस्तों ने निर्णय लिया कि शाम को रवि के घर जाएँगे और उससे बात करेंगे।

विद्यालय से लौटकर दोस्त रवि के घर गए। रवि अभी तक नहीं आया था। माँ घर पर ही थी। बच्चों के पूछने पर उसने बताया, ''मैं और उसके पिताजी विद्यालय के लिए खुले है, तब से समझा रहे है लेकिन वह हमारी सुन नहीं रहा है, हम भी चाहते है कि वह पढ़े।''

बच्चे रवि के घर रुके रहे। रवि के पिताजी भी काम से घर लौटे उन्होंने भी यही बात बताई। जब रवि घर आया तो सारे दोस्तों को देखकर सकपका गया। सारे दोस्त रवि को घेरकर खड़े हो गए और पूछा कि आखिर वह विद्यालय क्यों नही आ रहा। बहुत पूछने पर उसने कहा, ''मेरी कक्षा के सारे दोस्त आगे चले गए हैं। मैं ही पीछे रह गया हूँ। यह मुझे अच्छा नहीं लगा। मुझे नए बच्चों के साथ बैठकर उसी कक्षा की पढ़ाई करने में शर्म आती है। मुझे डर लग रहा है कि बच्चे मेरा मज़ाक उड़ाएँगे। इससे तो अच्छा है कि मैं विद्यालय जाऊँ ही नहीं, काम ही करूँ।''

रवि की झिझक का कारण सबके सामने ही था। सबने कहा, ''कल बाल मंच की बैठक है, उसमें ज़रूर आना, झिझक के मारे रुक मत जाना।''

रवि बाल मंच का सदस्य है। सब बच्चे रवि के घर से बाहर निकले। दो बच्चों ने ज़िम्मेदारी ली कि वे रवि को बाल मंच की बैठक में ज़रूर लेकर आएँगे।

आज संस्था से बहिन जी जल्दी आ गईं थीं। विद्यालय में बहिन जी आईं तो विद्यालय के दोपहर की खेल घँटी में बच्चों ने रवि का किस्सा बताया और कहा कि वे उनकी मदद करें।

बाल मंच की बैठक शुरू हुई। जिन दो बच्चों को रवि को लाने की ज़िम्मेदारी दी थी वे थोड़ी-ही देर में रवि के साथ बैठक में आ पहुँचे। रवि जो हँसता हुआ बैठक में आता था। नमस्कार कर चुपचाप आकर बैठ गया। उसके चेहरे पर उदासी थी। रवि का विद्यालय नहीं जाना ही ताज़ा विषय था। चर्चा वहीं से शुरू हुई। रवि ने विद्यालय नहीं जाने के वही कारण बताए जो घर पर बताए थे। साथ ही उसने कहा, ''मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता, बच्चे मुझे

चिढ़ाएँगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। गुरुजी भी तो मुझे अच्छी निगाहों से नहीं देखेंगे।''

बहिन जी ने रवि को हिम्मत बँधाई। बच्चे चाह रहे थे कि रवि अगले सबके सामने ही विद्यालय जाने की हाँ करे। सबने कहा, ''जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। विद्यालय के लड़के-लड़कियाँ तुम्हारी मदद करेंगे।''

रवि अगले दिन से विद्यालय आने के लिए हाँ कर चुका था। इस बात को रजिस्टर में भी दर्ज किया और सब बच्चों ने हस्ताक्षर किए। रवि ने भी अपने हस्ताक्षर किए। बैठक समाप्त हुई।

रवि एवं उसके पड़ौसी दो बच्चे अपने घर चले गए बाकी बच्चे रुके हुए थे। रवि के जाने के बाद तय हुआ कि सब विद्यालय में बच्चों से तथा गुरुजी से इस बारे में बात करेंगे, ताकि रवि को बुरा नहीं लगे और उसको फेल होने की ग्लानि ना हो। कोशिश सफल हुई। रवि अब उच्च प्राथमिक विद्यालय मौरौली पुरा में कक्षा 7 में पढ़ रहा है। खुश है।

जब शिक्षा का अधिकार कानून लागू हुआ और आठवीं तक किसी भी बच्चे को फेल न करने की बात आई तो कई लोगों ने इसका प्रावधान अहितकारी बताया। रवि का किस्सा, जो इस कानून के लागू होने के पहले का है, आधुनिक शिक्षा प्रणाली में इस पास-फेल के खेल का बच्चे की मानसिकता पर प्रभाव दर्शाता है। यह बताता है कि मूल्यांकन की यह पद्धति बच्चे की शिक्षा को न केवल तनावपूर्ण बनाती है बल्कि उसे इससे विरक्त भी कर सकती है। शिक्षा का मूल उद्देश्य जीवन को सुखी बनाने का है। ऐसे में मूल्यांकन पद्धति के कारण ही बच्चे का शिक्षा से विरक्त होना और तनाव में रहने को कैसे उसके लिए लाभकारी माना जा सकता है? मूल्यांकन हो, नियमित हो मगर पद्धति यह न हो।

***

30: हृदय परिवर्तन...

मीना, रामकेश, गीता, किशन एवं राकेश पाँचों कक्षा तीन के विद्यार्थी हैं। कक्षा में कोई अध्यापक नहीं है। सब शैतानी कर रहे हैं। ऐसा खूब समय से हो रहा है। कक्षा में दिन में कभी–कभार ही कोई अध्यापक आकर पढ़ाते हैं।

पाँचों दोपहर की छुट्टी के बाद घर से साथ–साथ विद्यालय आ रहे थे। रामकेश ने कहा, ''चलो यार, सब यहीं बैठ जाते हैं, कक्षा में चलकर क्या करेंगे?''

पाँचों नीम की छाया में बैठकर बातें करने लगते हैं। किशन कह रहा था, ''कल शाम मुझे माया व रघु मिले थे। तुम्हें पता है न कि वे हमारी ही कक्षा में थे। अभी प्राईवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं। बता रहे थे कि वहाँ पर पढ़ाई अच्छी होती है।''

मीना बोली, ''उन्होंने अच्छा किया, हमें भी प्राईवेट स्कूल में पढ़ना चाहिए।''

पाँचों ने तय किया कि आज वे सब यह बात अपने–अपने माता–पिता को बताएँगे। ''क्या फायदा, यहाँ कोई पढ़ाई तो होती नहीं। चलो, आज तो चलो, देरी हो रही है, पढ़ाई तो होती नहीं और बिना वजह गुरूजी से मार खानी पड़ेगी।

पाँचों विद्यालय पहुँचकर कक्षा में बैठ गए। सबके साथ मिलकर शैतानी करने में लग गए। छुट्टी की घँटी बजी, घर चले गए। वहाँ पाँचों ने ही रास्ते में तय की बात घर पर बता दी थी।

सुबह रामकेश व मीना के पिताजी संयोगवश मिल गए। बच्चों ने जो कहा उस पर चर्चा हुई। मीना के पिताजी ने कहा, ''कल बाल अधिकार मंच की बैठक में इस विषय पर चर्चा हुई थी। 200 में से केवल 80 बच्चे ही विद्यालय में रह गए हैं। बाकी बच्चे निजी स्कूल में भर्ती हो गए हैं।''

“मुझे यह ज़िम्मेदारी दी है कि मैं विद्यालय में बात कर एक बैठक विद्यालय में आयोजित करूँ जिसमें समुदाय के लोग व अध्यापक सब मिलकर इस स्थिति पर चर्चा करें और विद्यालय व्यवस्थाओं को ठीक करने में सहयोग करें। आज बच्चों ने भी विद्यालय में बिगड़ती व्यवस्था की याद दिलाई और प्राइवेट स्कूल में पढ़ने को भी कह रहे हैं। मैं आज ही प्रध ानाध्यापक जी से बात करता हूँ।”

प्रधानाध्यापक जी से बात हुई। शायद प्रधानाध्यापक जी भी इस स्थिति से चिंतित थे और गाँववालों का सहयोग चाह रहे थे। तुरन्त हाँ कर दी और समय तय हो गया। विद्यालय के शिक्षक और समुदाय एक जगह थे। प्रधानाध्यापक जी गाँववालों की चिंता और रोष को भांप चुके थे अतः पहले लोगों को ध्यानपूर्वक सुना। लोगों की चिंता और रोष वाजिब था। क्योंकि बैठक अचानक नहीं हुई थी इसलिए प्रधानाध्यापकजी ने भी अपने साथियों से पहले ही चर्चा कर तय कर लिया था कि कुछ भी हो इस सत्र में उन्हें विद्यालय का वातावरण बाल–मित्रवत एवं संस्कार युक्त बनाना ही है। सबको मेहनत करनी होगी, नवाचार करने होंगे।

आखिर प्रधानाध्यापक जी ने एक–दूसरे पर दोषारोपण टालते हुए सीधा स्वीकार किया और समुदाय को आश्वस्त किया, “चालू सत्र में ही इस विद्यालय की स्थिति को हम लोग ठीक करेंगे। आप लोगों का भी पूर्ण सहयोग चाहिए। कोई भी अभिभावक अपने बच्चों को प्राइवेट विद्यालय में भेजने की ना सोचे।” समुदाय को भी यही चाहिए था। पूरा सहयोग देने का वादा कर बैठक समाप्त की।

नवाचार शुरू हो चुके थे। विद्यालय स्टॉफ ने पूरे सत्र की एक कार्ययोजना बनाई, जिसमें विद्यालय की साफ–सफाई, समय पर विद्यालय में उपस्थिति, बच्चों को संस्कारित करने के लिए प्राणायाम सार्थक सांस्कृतिक कार्यक्रम, बच्चों की ज़िम्मेदारी देना, व्यवस्थाओं में सहयोग लेना, पाठ्यक्रम को समझाने के लिए स्थानीय उपलब्ध संसाधनों से शिक्षण सामग्री तैयार करना, बच्चों को खेल–कूद सिखाना, प्रतियोगिताएँ रखना, प्रोत्साहित करने के लिए इनाम, इत्यादि शामिल थे। विद्यालय में शारीरिक दंड बंद हो गया। एक माह में ही विद्यालय का

वातावरण बदलता नज़र आने लगा यह समुदाय ने भी महसूस किया।

प्रधानाध्यापक जी छोटे-छोटे कार्यक्रम बच्चों के लिए आयोजित करने लगे। उनमें उच्चाधिकारियों को भी आमंत्रित करते। उनसे सुझाव लेते, बच्चों व शिक्षकों के साथ ही विद्यालय को प्रोत्साहित करते, बदलाव को भी दिखाते। सबने विद्यालय को प्रोत्साहित किया।

सत्र-पर्यंत किसी भी अभिभावक ने शिकायत नहीं की और परिणाम भी बेहतर रहा। नया सत्र शुरू हुआ। 200 की जगह जहाँ पिछले सत्र में 80 बच्चे रह गए थे वही नामांकन 215 हो गया। यह समुदाय, अध्यापक एवं उच्चाधिकारियों के लिए विशेष बात थी। आखिर समुदाय ने भी विद्यालय का आभार जताने के लिए 'शिक्षक-सम्मान समारोह' का आयोजन किया।

समुदाय का सम्मान पाकर विद्यालय परिवार अभिभूत था। प्रधानाध्यापक जी ने अपने सम्बोधन में समुदाय का आभार व्यक्त करते हुए कहा, ''ऐसा सहयोग और सम्मान उन्हें जीवन में पहली बार मिला है। नामांकन में अविश्वसनीय सुधार और लोगों का प्यार उन्हें और उनके शिक्षक साथियों को यही सीख दे रहा है कि विद्यालय में बाल-मित्र वातावरण उसे कहाँ-से-कहाँ पहुँचा सकता है। यही शिक्षण का सही तरीका है। अब मेरे हाथ से डंडा छूट गया है।''

कहानी है राजकीय प्राथमिक विद्यालय हुलासी का पुरा की। हुलासी का पुरा विकास खण्ड बाड़ी, जिला धौलपुर का गाँव है।

***

31: फाटक पुराण...

सर्दी का मौसम था। आज सर्दी ज़्यादा ही थी। हल्की हवा भी थी। कक्षाएँ धूप में बाहर खुले में ही चल रहीं थीं। खेल घँटी हुई। बच्चे अपने-अपने घरों की तरफ दौड़े। सबके बस्ते, दरी-पट्टियाँ आदि बाहर ही थे। माट्साहब भी कक्षाओं को छोड़कर अपने नित्य बैठने की जगह बैठकर चाय-पान कर रहे थे।

अचानक दो गायें कहीं से दौड़कर आईं और विद्यालय प्रांगण में घुस गईं। इधर-उधर घूम रहीं थीं। किसी का ध्यान नहीं गया। खेल-घँटी बँद होने पर बच्चे वापस विद्यालय पहुँचे तो देखा किसी की कापी के पन्ने बिखरे थे, किसी का बस्ता आधा रह गया था, किसी के बस्ते पर गोबर था, किसी की किताब एवं कापी को गाएँ खा गई थी। कुछ बच्चे रोने भी लगे। विद्यालय के द्वार पर फाटक नहीं है।

ऐसी स्थिति से रोज़ ही दो-चार होना पड़ता था राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय हल्ले का पुरा के बच्चों को। 90 परिवारों के गाँव हल्ले का पुरा ब्लाक बाड़ी, जिला धौलपुर का गाँव है। इस गाँव में मुख्यतः जाटव समुदाय रहता है, कुछ परिवार ब्राह्मणों के भी है। खनन मज़दूरी एवं कृषि ही इनका मुख्य व्यवसाय है।

आज ज़्यादा ही बच्चों के बस्तों को बिगाड़ दिया था गायों ने। सभी ने अपने-अपने घर जाकर शिकायत की थी फाटक की। आखिर यह नुकसान भी किसी तरह घर में ही हुआ था।

किशन लाल बाहर ही बैठे थे, जब उनके बेटे ने आकर यह बताया। थोड़ी देर बेटे से बात करते रहे। बेटे ने आज जो कुछ हुआ पूरा बताया। बेटा घर के अंदर चला गया। सामने से राधेलाल आता दिखाई दिया। आवाज़ देकर बुला लिया। किशल लाल, राधेलाल से कुछ कहते उससे पहले ही राधेलाल बोल पड़ा, ‘‘किशनलाल, यह रोज़ ही विद्यालय में कुछ-न-कुछ गड़बड़ होती रहती है और उसका कारण है विद्यालय के गेट पर फाटक का न होना। हमने

बाल अधिकार मंच की बैठक की थी। माट्साहब भी कुछ नहीं करते। हमें ही बात करनी चाहिए और इस फाटक का कुछ करना चाहिए वरना बच्चे रोज़ ही परेशान होते रहेंगे और नुकसान हमें उठाना पड़ेगा।''

''पिछली बैठक में विद्यालय स्टॉफ के साथ बैठक करना भी तय हुआ था। आपने ज़िम्मेदारी भी ली थी। क्या हुआ ?'' राधेलाल फिर बोले।

''मैं किसी काम में व्यस्त था। समय नहीं मिला। ऐसा करते हैं अपनी तरफ सबको सूचना दे दो कि कल विद्यालय में बैठक है। मेरी तरफ मैं बता आऊँगा'' किशनलाल ने कहा।

अपने बेटे को विद्यालय जाते समय किशनलाल ने बताया, ‘‘माट्साहब को आज की बैठक की सूचना दे देना। सभी गाँववाले आज विद्यालय आएँगे।

तय समय पर लोग विद्यालय पहुँचे। करीब हर समुदाय के परिवारों तथा महिलाओं का प्रतिनिधित्व था। आखिर किशनलाल ने, बच्चों ने जो हादसा बताया था, उसी से बात की। समस्या फाटक की थी। माट्साहब ने बताया, ‘‘हम भी इस बाबत चिंतित हैं। गत सत्र में जो बजट मिला था उसमें से 6000 रु. विद्यालय में हैं लेकिन फाटक एवं उसके साथ ज़रूरी सामान व काम के लिए लगभग 12000 रु. चाहिए।

विचार विमर्श हुआ। विद्यालय प्रांगण में सूखे शीशम को नीलाम करना तथा शेष राशि के लिए गाँव से चंदा करना तय हुआ। प्रक्रियानुसार पेड़ को नीलाम किया जो 6000 रु. में बिका। ग्राम बैठक कर चंदा भी किया। उसमें भी 6000 रु. एकत्रित हुए। किशन लाल एवं हैडमाट्साहब को फाटक बनवाकर लगाने की ज़िम्मेदारी दी।

दस दिन बाद फाटक बनकर आ गया था। निर्माण काम के लिए मिस्त्री आ गया था। पाँच लोग श्रमदान करने पहुँचे। बच्चों ने भी सहयोग किया। शाम को फाटक लग चुका था।

आज बच्चे एवं शिक्षक निश्चिंत एवं खुश थे। सामान भी सुरक्षित हो गया था और बच्चे भी। अब उनकी पढ़ाई में गाय-भैंस, कुत्ते-बिल्ली, आदि, से व्यवधान नहीं होता था। उनके काट खाने के डर और उसके इलाज के लिए इंजेक्शन के डर से भी उन्हें मुक्ति मिल गई थी। गाँववालों को भी विद्यालय में फाटक लगने पर संतोष था।

***

32: कोई मिल गया...

सरोज देवी एवं उसकी सहेली कांता की शादी एक ही वर्ष में हुई थी। दोनों की आपस में गहरी मित्रता थी। वे बचपन की मित्र भी थीं और दोनों की शादी एक ही पंचायत के दो अलग–अलग गाँवों में हुई थी। दोनों गाँव एक–दूसरे के पड़ौसी हैं।

एक दिन सरोज देवी का मन हुआ कि वह कांता से मिल कर आए। वह कांता के ससुराल गई पर सहेली वहाँ नहीं मिली। पता चला कि वह गाँव के विद्यालय में बच्चों के लिए दोपहर का खाना बना रही है। सरोज विद्यालय चली गई।

अपनी सहेली को आया देखकर कांता बहुत खुश हुई। आपस में बातें की।

''अभी थोड़ी ही देर में विद्यालय का भोजनावकाश होने वाला है। बच्चों के खाना खाने के बाद घर चलते हैं, वहीं बैठकर बातें करेंगे।''

विद्यालय में घँटी बज चुकी थी। बच्चे लाइन से खाना खाने बैठे। थोड़ी देर में खाना पूरा हो गया। कांता ने जल्दी–जल्दी आवश्यक बर्तन साफ किए और रसोई का ताला लगाकर घर आ गई। वह चाय बनाने लगी। दोनों एक दूसरे के सामने ही बैठीं थीं, बातें करने लगीं। सरोज ने पूछा, ''यह काम तुम कब से कर रही हो?''

''इसी महीने की एक तारीख से।'' कांता ने बताया।

''तेरे यहाँ भी तो विद्यालय में खाना बनता होगा'' उसी ने पूछा।

सरोज ने मना कर दिया, ''हमारे यहाँ तो विद्यालय में खाना नहीं बनता। मैं तो विद्यालय के पास ही रहती हूँ।''

''ऐसा नहीं हो सकता, दोपहर का भोजन तो बच्चों के लिए हर विद्यालय में बनता है, यह तो बच्चों का हक भी है, अगर नहीं बनता तो लोगों को विद्यालय में जाकर बताना चाहिए

और गाँव वालों से बात करनी चाहिए।''

दूसरी भी ढ़ेर सारी बातें की दोनों सहेलियों ने। सरोज ने वापस गाँव जाने के लिए कहा। समय भी हो रहा था। वह तो आज सरोज के पास खाली समय था जिसकी वजह से एक–दो घँटे लिए अपनी सहेली से बातें करने आ पाई थी।

सहेली ने सरोज को विदा किया। सरोज अपने गाँव के लिए चल दी। रास्ते भर वह यही सोचती रही कि उसके गाँव में विद्यालय में बच्चों के लिए खाना क्यों नहीं बनता? सरोज गाँव पहुँचने ही वाली थी कि गाँव की एक–दो महिलाएँ गाँव से बाहर मिल गई।

''कहाँ से आ रही हो सरोज?''

सरोज ने बात बताई तथा साथ ही खाने वाली बात भी बताई।

ये महिलाएँ तथा सरोज बाल अधिकार मंच की सदस्य थीं।

सरोज घर पहुँची। बच्चों से पूछा, ''तुम लोगों के विद्यालय में दोपहर का खाना क्यों नहीं बनता?''

''क्या पता? गुरूजी कह रहे थे कि गाँव में कोई भी खाना बनाने वाली नहीं मिली।''

दूसरे दिन बाल अधिकार मंच की बैठक थी। सरोज ने समस्या को मंच में रखा और यह भी कहा कि नुकसान गाँव के बच्चों का हो रहा है जबकि यह उनका हक है। उसने कहा, ''हमें खाना बनाने के लिए गाँव की ही किसी महिला को तैयार करना होगा।''

विचार शुरू हुआ और सर्वसम्मति से गरीब विधवा पूरनदेवी का नाम उभर कर आया। पूरन देवी से पूछा तो वह तैयार थी। तय रहा कि अगले दिन पाँच लोग विद्यालय में सम्पर्क करेंगे और केवल खाना बनाने वाली की वजह से ही भोजन नहीं बन रहा हो तो पूरन देवी की नियुक्ति करवा इस व्यवस्था को सतत एवं सुचारू करेंगे। अगर कोई दूसरा भी

कारण है तो उसके समाधान के लिए भी विद्यालय का सहयोग करेंगे। सबने माना, ''केवल विद्यालय या हम लोगों के ध्यान नहीं देने की वजह से बच्चों को उनके हक से वंचित नहीं कर सकते।''

पाँच लोग विद्यालय पहुँचे, प्रधानाध्यापक जी से चर्चा की। केवल विद्यालय में खाना बनाने वाली की ही समस्या थी। पूरन देवी का नाम लोगों ने बताया। प्रधानाध्यापक जी ने दो बच्चों को भेजकर पूरन देवी को बुला लिया। ज़्यादा चर्चा की आवश्यकता नहीं पड़ी क्योंकि पूरी चर्चा पहले ही बाल अधिकार मंच की बैठक में हो चुकी थी। केवल व्यवस्था की ज़िम्मेदारी, भुगतान व भोजन की गुणवत्ता के बारे में पूरन देवी को समझाकर अगले दिन से ही मध्याह्न भोजन बनाना तय हो गया। पूरन देवी ने रसोई की स्थिति देखी, साफ–सफाई की, बर्तन वगैरह देखे, उपलब्ध खाद्य–सामग्री देखी और जिन चीज़ों की कमी थी उनको मँगवाया।

अगले दिन विद्यालय की रसोई की चिमनी से धुआँ उठा। मसालों की महक कक्षा–कक्षों तक पहुँची। बच्चे घँटी बजने का इंतज़ार कर रहे थे। एक समस्या, जिसका समाधान लोगों के ही हाथों में था मगर लम्बे समय तक चलती रही और जिससे बच्चों को अपने अति महत्वपूर्ण अधिकार से वंचित रहना पड़ा क्योंकि विद्यालय प्रशासन बच्चों के प्रति जवाबदेह नहीं था और समुदाय में जागरूकता की कमी थी, का अन्ततोगत्वा समाधान मिल गया था। जानकारी, संवेदनशीलता और पूरन देवी के रूप में।

यह कहानी गाँव बरोली का क्वार्टर गाँव की है। बरोली ग्राम पंचायत का यह गाँव 25 परिवारों की बस्ती है। जिसमें मीणा व जाटव समुदाय हैं। सभी की आज़ीविका का मुख्य रूप पत्थर की खनन मज़दूरी है। गाँव ग्रमा पंचायत से मात्र 200 मीटर की दूरी पर है। धौलपुर–सरमथुरा नैरो गेज के रेलवे क्वार्टर होने से गाँव का नाम बरोली क्वार्टर पड़ा।

’’’

33: जलधारा...

शाम हो चली थी। अँधेरा होने लगा था। माँ ने मधु को आवाज़ दी। मधु बाहर बैठी विद्यालय से मिला गृह–कार्य कर रही थी। ''आती हूँ, थोड़ा–सा काम बाकी है, अभी अंधेरा हो जाएगा।''

मधु अपना काम खत्म कर माँ के पास आई। ''क्या है माँ?''

''बेटा, घर में पीने का पानी खत्म हो गया है, जा जल्दी से भर ला। अंधेरा हो रहा है।'' माँ ने कहा।

''पहले क्यों नहीं कहा? अकेली इतनी दूर से पानी कैसे लाऊँगी?'' मधु ने कहा

''अपनी किसी सहेली को ले जा और जल्दी से वापस आ जा, फिर ज़्यादा अंधेरा हो जाएगा।''

मधु ने पड़ौस में रहने वाली सहेली मीना को आवाज़ दी। मीना बाहर आई तो मधु पानी की खाली मटकी लेकर खड़ी थी। बोली, ''मीना साथ चल पानी भर कर लाना है अंधेरा हो रहा है।''

''ठीक है, माँ को बोल देती हूँ।'' कहकर मीना ने अंदर चली गई। जब माँ को बताया तो माँ ने कहा, ''जब जा ही रही है तो अपनी भी मटकी ले जा साथ–साथ भर लाना।''

दोनों किशोरियाँ पानी लेने चल दीं। गाँव के हैंडपम्प खराब थे। जहाँ से पानी लाना था वह गाँव से दूर था। दोनों जब हैंडपम्प पर पहुँची तो अँधेरा हो चुका था। मीना हैंडपम्प चला रही थी और मधु मटकी लगाए थी। मधु की मटकी भरने के बाद मीना की मटकी भर रही थी तभी मधु को दूर से दो लड़के आते दिखे। वे मस्ती कर रहे थे और भद्दी–भद्दी बातें भी कर रहे थे। दोनों लड़के अनजान दिखे। इससे पहले कि वे पास आते मधु व मीना

जल्दी–जल्दी मटकियाँ सिर पर रखकर गाँव की ओर तेजी से आने लगीं। जब तक वे गाँव के नज़दीक नहीं आ गई तब तक ना तो उन दोनों ने बात की और न ही किसी ओर ध्यान दिया। गाँव के नज़दीक पहुँचकर थोड़ी राहत की सांस ली। दोनों थोड़ा रुकी और पीछे मुड़कर देखा दोनों नहीं थे।

''आज कुछ हो जाता तो क्या करते? तुझे तो मैं लेकर आई थी।'' मधु ने कहा। गाँव में हैंडपम्प तो है लेकिन पानी नहीं है। जिनमें पानी हैं वो खराब हैं, किसी को चिंता नहीं है। पानी तो हमें ही लाना पड़ता है। हमारी माँयें तो दूसरा काम करतीं है। कोई भी हैंडपम्प सुधरवाने की बात नहीं करता।''

दोनों घर पहुँची। घबराई हुई थीं। दोनों ने अपनी–अपनी माँ को बताया। मीना की माँ मधु के घर आ गई। दोनों बच्चियों की बताई बात पर चर्चा कर रहीं थीं। दोनों को बुरा लग रहा था कि कुछ हो जाता तो। गाँव को भी कोस रहीं थीं, ''इस गाँव की भी अजीब हालत है, पीने के पानी के लिए भी मारा–मारा फिरना पड़ता है।''

दोनों बच्चियाँ भी वहाँ आ गईं। मधु व मीना की माँ बाल अधिकार मंच की सदस्य हैं। मीना तथा मधु बाल मंच की सदस्य हैं। सबने अपने–अपने मंच में बात रखने का निर्णय किया।

दिन में बाल मंच की बैठक में मीना व मधु ने यह समस्या रखी जहाँ सबने शाम को बाल अधिकार मंच की बैठक में शामिल होने का तय किया। बाल अधिकार मंच की बैठक में सारे बच्चों को देखकर लोगों ने कारण पूछा तो बच्चों ने सारी बात बताई। मधु व मीना की माँ ने भी इस समस्या के समाधान के लिए कहा। सबने गहराई से चर्चा की कि बच्चों की पढ़ाई, घर के काम के साथ छेड़–छाड़ की स्थितियाँ भी बन सकतीं हैं। इस समस्या से सारे ही प्रभावित हैं।

गाँव में पानी का एक निजी स्त्रोत है जो भी बिजली आने पर ही निर्भर है। साथ ही उस

व्यक्ति की मर्जी पर है। उस पर पूरे गाँव का निर्भर रहना ठीक नहीं है। पशुओं के पीने के पानी की समस्या तो और भी गंभीर है। तय किया कि अगले दिन प्रस्ताव लिखकर ग्राम पंचायत विकास अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी को देंगे।

अगले दिन वापस लोग जुटे। प्रस्ताव लिखा। सबने हस्ताक्षर किए एवं 25 महिला–पुरुष, जो गाँव के हर समुदाय का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, बाड़ी आए। प्रस्ताव देते समय सबने मिलकर दोनों अधिकारियों को समस्या से विस्तार से अवगत कराया। लोगों के हुजूम के

साथ मीडिया के स्थानीय लोग भी आ गए। उनको बाड़ी आकर कार्यालयों में सम्पर्क से पहले बता दिया था। प्रार्थना-पत्र एवं प्रस्ताव की प्रतियाँ विकास अधिकारी जलदाय विभाग एवं मीडिया को दीं। सभी ने समस्या के हल के लिए आश्वासन दिया।

दूसरे दिन गाँववालों को चमत्कार-सा लगा। जलदाय विभाग के अभियंता एवं उनकी टीम गाँव में पहुँच चुकी थी। सभी हैंडपम्पों का निरीक्षण किया। दो हैंडपम्प ठीक किए तथा दो नए हैंडपम्प भी लगाना तय रहा। गाँव वालों ने अपनी सहूलियत एवं आवश्यकता की जगह का चयन कर बताया। हैंडपम्प से छूटी जलधारा और गाँववालों के सामने अभियंता की स्वीकृति ने सबके चहरों पर चमक ला दी।

ये गाँववालें हैं ग्राम रीछरी के। रीछरी ग्राम पंचायत चिलाचौंद, विकास खण्ड बाड़ी एवं जिला धौलपुर का गाँव है जो जिला मुख्यालय से 45 कि.मी. एवं विकास खण्ड से 14 कि.मी. बाड़ी-सरमथुरा रोड़ पर चिलाचौंद से दक्षिण दिशा में बसा हुआ है। गाँव में राजपूत एवं कुशवाहा, ब्राह्मण के कुल 51 परिवार हैं। सभी खनन मज़दूरी पर निर्भर हैं। खेती नाम मात्र की है। पीने के पानी की समस्या गाँव में काफी समय से थी और इसका दंश सबसे ज़्यादा महिलाओं और बच्चियों को भुगतना पड़ता था क्योंकि उन्हें ही पानी लाने के लिए ज़िम्मेदार माना जाता था। समस्या समाधान का लाभ ऐसे में उन्हें ही सबसे ज़्यादा मिला। गरीबों के अधिकारों को सुनिश्चित करने में समुदाय आधारित संगठनों की महत्ता भी इस दौरान सिद्ध हो गई।

***

सम्पर्क सूत्र

प्रशासनिक कार्यालय
68/337, प्रताप नगर, सांगानेर, जयपुर - 302020, राजस्थान, भारत
फोन. नं. : 91-0141-2792919, 9414028004
Email : prayatnraj@yahoo.com
prayatn@prayatn.org
Website : www.prayatn.org